निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

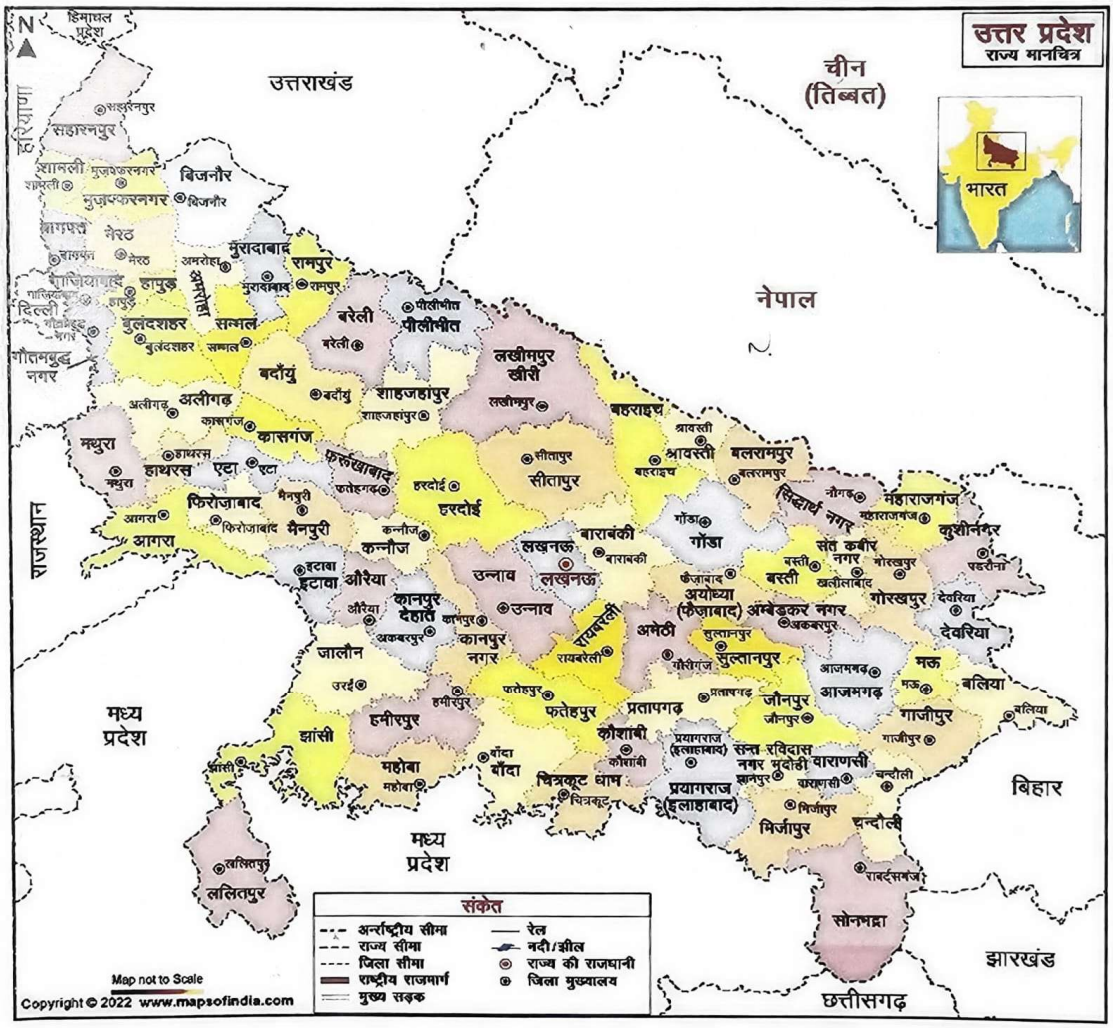

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-11

<u>अध्याय-4</u>

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	मेरठ मण्डल		**4857-4903(11)**
2	मुरादाबाद मण्डल		**4903-5374(11)** **5375-5487(12)**

जनपद - बागपत मण्डल - मेरठ

प्रारूप-04

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियॉ

प्रस्तर-01- ग्राम पंचायत मु०कनवाडा में अप्रैल-21 से 15 जनवरी-22 तक श्री कुबेर सिंह एवं 15 जनवरी-21 से मार्च-22 तक श्री गौरव राणा सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री कुबेर सिंह द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया, किन्तु श्री गौरव राणा ने अपने कार्यकाल का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के नियम संख्या 8 के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 का नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 का अनुसार भी व्यय का वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रु० 246867.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव राणा तथा प्रधान श्री रमेश चंद से किया जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहा।

1- सक्षम अधिकारी की खरीद संबंधी स्वीकृति, टेंडर, कोटशन इत्यादि ।

2- प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।

3- यदि कार्य ठेकेदार सा कराया गया हो तो ठेकेदार का पप्त कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीद इत्यादि।

4- व्यय धनराशि का वाउचर, बिल, मस्टरोल, मानदेय रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि।

अंकन रु० 246867.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाय। अन्यथा की स्थिति में अंकन रु० 246867.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश चंद एवं श्री गौरव राणा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर - बराबर कर ली जाय। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	दिनांक	मद	कार्य का नाम	धनराशि
01	01-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	पार्क हेतु पेड खरीद	19480.00
02	02-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	हैडपम्प मरम्मत सामग्री	27392.00
03	02-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	खेल मैदान हेतु हाई मास्क लाइट	98058.00
04	02-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	हैडपम्प रिबोर सत्यापन फीस	2100.00
05	08-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	सौदर्यकरण हेतु पेड खरीद	19370.00
06	09-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	निर्वाचन हेतु कैमरा बैटरी कवर खरीद	14100.00
07	09-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	बूथ लेखन कार्य हेतु भुगतान	1000.00
08	09-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	टेंडर प्रकाशन	7817.00
09	09-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	पेड धुलाई भुगतान	2500.00
10	11-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	पंचायत सहायक मानदेय	6000.00

11	12-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	कम्प्यूटर वर्क	3100.00
12	08-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी	6000.00
13	08-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	पंचायत घर फर्नीचर खरीद	39950.00
			योग-	246867.00

(मूल आपत्ति संख्या - 01)

<u>प्रस्तर-02-</u> ग्राम पंचायत सांकरौद में अप्रैल-21 से जुलाई-21 तक श्री सुनील बंसल तथा अगस्त-21 से मार्च-22 तक श्री विजित तोमर सचिव के पद पर कार्यरत रहे। श्री सुनील बंसल द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया, किन्तु श्री विजित तोमर ने अपने कार्यकाल का कोई अभिलेख यथा बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, बिल, स्टॉक रजिस्टर, प्रमाणित कार्यपूर्ति, उपभोग प्रमाण पत्र तथा कुटेशन लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के नियम संख्या 8 के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि का गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दशांयी गयी धनराशि अंकन रू० 177195.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विजित तोमर तथा प्रधान श्रीमती प्रवेश से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. सक्षम अधिकारी की खरीद संबंधी स्वीकृति, कोटेशन इत्यादि। 1
2. प्रनाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रत्तीदे इत्यादि ।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि।

अंकन रु० 177195.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रु० 177195.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश एवं श्री विजित तोमर ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर कर ली जाये। व्यय का विवरण निम्नतयत है- (प्रिया सॉफ्ट कैशबुक अनुसार)

क्र०स०	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
01	25-01-2022	गांव में कार्य हेतु ट्रेक्टर वाले को भुगतान	12000.00
02	25-01-2022	पंचायत सचिवालय हेतु समान खरीद	59950.00
03	25-01-2022	हैडपम्प मरम्मत सामान / मजूदरी भुगतान	33512.00
04	25-01-2022	रेहडा खरीद	17400.00
05	27-01-2022	सैनिटाइजेशन / फोगिंग व्यय	14634.00
06	25-03-2022	दीवार लेखन तथा रंगाई/पुताई कार्य	
	39699.00		
		योग-	177195.00

(मूल आपत्ति संख्या- 01)

<u>प्रस्तर-03-</u> ग्राम पंचायत आनंदपुर उर्फ बंदपुर की वर्ष 2021-22 नि लेखा परीक्षा (निधि प्रथम तथा केन्द्रीय वित्त) ऑनलाइन ई-गाम स्वराज पर उपलब्ध आंकडों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित आकड़ों के अनुसार कुल व्यय रु० 1218054.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान काई भी वाउचर/अभिलेख, मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, कार्यवाही पुस्तिका कार्य योजना, एस्टीमेट, एमबी, मानदेय रजिस्टर, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, टेंडर कुटेशन चरणवदध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि। जबकि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। अतः व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत का राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शाया गयी धनराशि अंकन रु० 1218054.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विजित तोमर तथा प्रधान श्री जैकी उर्फ जय कुमार से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर. एस्टीमेट, कॉटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया है तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रु० 1218054.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रु० 1218054.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान जैकी उर्फ जय कुमार एवं श्री विजित तोमर ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विजित तोमर के विरुद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	दिनाक	मद	कार्य का नाम	धनराशि
01	09-07-2021	पंद्रहवा वित्त आयोग	खेल के मैदान में रंगाई पुताई कार्य	197825.00
02	09-07-2021	पंद्रहवा वित्त आयोग	प्रा०पाठ बैंच स्थापना	73455.00
03	10-07-2021	पंद्रहवा वित्त आयोग	प्रा०पाठ 2 में बैंच स्थापना	146910.00
04	24-07-2021	पंद्रहवा वित्त आयोग	अदर एक्सपेंडीचर	134114.00
05	17-12-2021	पंद्रहवा वित्त आयोग	स्ट्रीट लाइट स्थापना	192500.00
06	17.01-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	प्रधान गानदेय जून-21 से दिसम्बर-21	25250.00
07	17-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	प्रा०वि०न०1 में इं०लॉ० टाइल व सौंदर्यकरण	250000.00
08	22-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	पंचायत सहा० मानेदय दिस्मबर-21 से फरवरी-22	18000.00
09	22-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	सामुदायिक शौ० निर्माण	100000.00
10	22-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	ग्राम पंचायत में नाली सफाई व मरम्मत	30000.00
11	22-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	प्रधान मानदेय जनवरी-22 से फरवरी-22	10000.00

12	22-03-2022	1 पंद्रहवा वित्त आयोग	नाली निर्माण कार्य	40000.00
			योग--	1218054,00

(मूल आपत्ति संख्या - 01)

<u>प्रस्तर-04-</u> ग्राम पंचायत मिलाना में अप्रैल-21 से 15.01.22 तक श्री कुबेर सिंह एवं 15.01.21 से मार्च-22 तक श्री गौरव राणा सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री कुबेर सिंह द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया, किन्तु श्री गौरव राणा ने अपने कार्यकाल का कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार व्यय का वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 का अनुसार भी व्यय का वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रु० 384525.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री गौरव राणा तथा प्रधान श्री नासिर से किया जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे-

1- सक्षम अधिकारी की खरीद संबंधी स्वीकृति, टेंडर, कोटशन इत्यादि।

2- प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।

3- यदि कार्य टेक्मेद्वार साप कराया गया हो तो ठेकेदार का पछ कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदण् इत्यादि।

4- व्यय धनराशि का वाउचर, बिल, मस्टरोल, मानेदा रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि।

अंकन रु० 384525.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये अन्यथा की स्थिति में अंकन रु० 384525.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नासिर एवं श्री गौरव राणा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर - बराबर कर ली जाये। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	दिनांक	मद	कार्य का नाम	धनराशि
01	02-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	खेल मैदान में प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु हाई- मास्क लाइट स्थापना कार्य	98058.0
02	02-02-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	कब्रिस्तान में हाई मास्क लाइट स्थापना	83100.00
03	10-02-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	कैमरा मरम्मत, चिप चार्जर कवर आदि	5470.00
04	11-02-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	एक्शन साफट प्रिया साफट वर्क	4340.00
05	11-02-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	निर्वाचन हजु बुथ लान कार्य	1040.00
06	21-02-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	विक्लांग विल्चघर खरीद	7890.00
07	07-03-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	पंचायत घर हेतु फर्नीचर खरीद	64570.00
08	07-03-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	पंचायत घर हेतु इन्वर्टर बैट्री खरीद	
09	07-03-2022	पंद्रहवा वित्त आयोग	फोंगिग मशीन	56817.00
10	07-03-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	विक्लांग विहल्य चेयर खरीद	7890.00
11	19-03-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	प्रधान मानदेय	17000.00
12	19-03-2022	पांचवां राज्य वित्त आयोग	पंचायत सहायक मादेय	6000.00

योग---- 384525.00

(मूल आपति संख्या - 01)

<u>प्रस्तर-05-</u> ग्राम पंचायत मुकुंदपुर 04/21 से 03/22 तक श्री मेमपाल ग्राम पचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री मेमपाल के द्वारा कुल अंकन रू0 2874773.80 व्यय किये गये है। श्री मेमपाल सचिव के द्वारा व्यय की पुष्टि में सी०आर०, बिल वाउचर, मस्टरोल, टेंडर पत्रावली, एस्टीमेट आदि लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार किये गये व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू0 2874773.80 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री मेमपाल तथा प्रधान श्री संजीव से किये जाने का प्रावधान है।

अंकन रू0 2874773.80 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू0 2874773.80 की ब्याज सहित वसूली श्री मेमपाल सचिव व ग्राम प्रधान संजीव से बराबर-बराबर की ली जाये। **(मूल आपति संख्या- 01)**

<u>प्रस्तर-06-</u> ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के आलोच्य वर्ष में अंकन रू0 3418769.80 खाते से आहरण कर व्यय किया गया। परन्तु प्रिया साफट की कैशबुक अनुसार अंकन रू0 2874773.80 व्यय दर्शाया गया है। अंतर अंकन रू0 543996.00 शेष के सम्बन्ध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। अंतर का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू0 543996.00 की वसूली सचिव श्री मेमपाल व प्रधान श्री संजीव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या- 02)**

जनपद – बुलंदशहर मंडल – मेरठ

<u>वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत की गंभीर आपत्तियां का सारांश</u> :-

<u>प्रस्तर संख्या 01</u>- ग्राम पंचायत गौरोली भौजगड़ी, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फिडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 2065703.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार <u>यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर</u>

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 2065703.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 2065703.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 02- ग्राम पंचायत रुकनपुर, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फिडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 1656292.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1656292.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1656292.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिविकास शर्मा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 03- ग्राम पंचायत भोगपुर, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 903965.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।
वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 903965.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 903965.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मलखान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 04- ग्राम पंचायत हिसारा, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 1035260.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।
वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1035260.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1035260.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीपाल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 05- ग्राम पंचायत नायफल उर्फ ऊंचागांव, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 1901416.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1901416.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1901416.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नंदवती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 06- ग्राम पंचायत नगलिया उदयभान, विकासखंड अरनिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्रीमती हेमलता द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यरत श्री प्रदीप गोस्वामी (तत्कालीन सचिव) द्वारा कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख चार्ज हस्तान्तरण में उपलब्ध नहीं कराए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 1049443.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1049443.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1049443.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गोस्वामी से कराई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 07- वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत उटरावली, विकासखंड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में वर्तमान में तैनात सचिव श्री मनोज शर्मा व प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी द्वारा केवल कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2021-22
1	निर्माण कार्यों पर व्यय	1426519.00
2	प्राथमिक विद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय	175000.00
3	हैंडपंप कार्य	18700.00
4	विविध व्यय	34000.00
	योग	1654219.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1654219.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1654219.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) से रुपये 327175.00, ग्राम प्रधान श्री राहुल से रुपये 499934.00, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से रुपये 827109 (कुल रुपये 1654219.00) की वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्र संख्या 08- वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **मिल्का मौसमगढ़**, विकासखंड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा व प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी द्वारा केवल कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2021-22
1	निर्माण कार्यों पर व्यय	508711.00
2	हैंडपंप मरम्मत	14500.00
3	विविध कार्य	112300.00

4	पंचायत घर हेतु फर्निचर क्रय	48300.00
	योग	683811.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 683811.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 683811.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) से रुपये 167955.50, ग्राम प्रधान श्री राजवीर से रुपये 173950.00, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से रुपये 341905.50 (कुल रुपये 1654219.00) की वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या 09</u>- वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बंगला पूठरी, विकासखंड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा व प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी द्वारा केवल कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार <u>यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है-

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2021-22
1	निर्माण कार्यों पर व्यय	313228.00
2	रिबोर व समरसेबिल पर व्यय	**15000**.00
3	विविध कार्य	105100.00
4	सचिवालय हेतु फर्निचर क्रय	53200.00
	योग	486528.00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 486528.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 486528.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली प्रशासक श्री रमेश चंद्र शर्मा (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) से रुपये 171214.00, ग्राम प्रधान श्रीमती कनक राजपूत से रुपये 72050.00, व ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से रुपये 243264.00 (कुल रुपये 486528.00) की वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्त र संख्या 10- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हसनपुर पहाड़पुर, विकासखंड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक व लिखित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 418192.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।
वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 418192.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 418192.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजेन्द्री देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 11- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मानकपुर, विकासखंड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक व लिखित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 547430.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 547430.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 547430.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्री मुकेश कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 12- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत कलौली, विकास खण्ड बुलंदशहर की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक व लिखित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग की गयी परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रुपये 1905801.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ0प्र0 सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रुपये 1905801.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेंडर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 2021-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रुपये 1905801.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान मो0 तौफीक एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्र र संख्या 13- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जैनपुर, विकास खण्ड गुलावठी के विभिन्न मार्गो पर इण्टरलाकिंग, रैम्प व नाली तथा पुलिया निर्माण पर कुल रू0 767139.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इन कार्यो हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र., माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/ मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स/ निविदायें आदि भी जाँच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए तथा क्रमांक 3 व 4 पर अंकित धनराशियों के व्यय के सम्बन्ध में न तो पारदर्शिता बरती गई है न ही पुलिया निर्माण व इण्टर लॉकिगं दोनों में किसी भी स्थान का जिक्र किया गया है। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग, रैम्प व नाली तथा पुलिया निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 767139.00 (सात लाख सड़सठ हजार एक

सौ उनतालीस रूपये) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	48157565	विनोद से जगदीश तक इ0 लॉ0 का भुगतान	207402.00
2	54127862	मैन रोड से विजय सिंह के मकान तक इ0 लॉ0 रैम्प नाली मरम्मत	82487.00
3	54127862	विभिन्न स्थानों पर पुलिया निर्माण	34810.00
4	54126317	**अम्बेडकर प्रतीमा से पप्पू के घर तक इ0 लॉ0 या सी0सी0 रोड और नाली मरम्मत**	442440.00
		योग	767139.00

प्रस्तर संख्या 14- ग्राम पंचायत जैनपुर में वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न मार्गो पर इण्टरलाकिंग निर्माण के कार्यो पर कुल रू0 60527.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसमें से रू0 58366.00 (रूपया अट्ठावन हजार तीन सौ छियासठ मात्र) का भुगतान अंबिका इण्टरप्राईजेज को किया गया है तथा शेष धनराशि रू0 2161.00 जी0एस0टी0 व टी0डी0एस0 में जमा किया गया है। उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कुटेशन तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विभिन्न कार्या में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 58366.00 (अट्ठावन हजार तीन सौ छियासठ रूपये) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	56397869	राजू के मकान से धर्मपाल के मकान तक इ0 लॉ0 और नाली निर्माण	25473.00
2	56397891	संजीव के मकान से कैलाश के मकान तक इ0 लॉ0 और नाली निर्माण	32893.00
		योग	58366.00

प्रस्तर संख्या 15- ग्राम पंचायत जैनपुर में वर्ष 2021-22 में पंचा0 घर के निर्माण कार्य पर कुल रू0 1300000.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे सम्बन्धित विधिवत् पारित प्रस्ताव, एस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत बजट तथा सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स, व्यय प्रमाणके, उपभोग प्रमाण-पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद/ मस्टररोल आदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्य के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रूपये 1300000.00 (रूपये तेरह लाख मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	42281276	पंचायत घर का भुगतान	400000.00

2	55645439	पंचायत घर का भुगतान	900000.00
		योग	1300000.00

प्रस्तर संख्या 16- ग्राम पंचायत जैनपुर में वर्ष 2021-22 में रू0 69194.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- **51/ 2017/1211/ 33-3-2017-46/ 2015** दिनांक **19.06.2017** के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में दी गई गाइड लाइन के अनुपालन की न तो पुष्टि करायी गयी और न ही हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्डपम्प मरम्मत के संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन, स्वीकृति पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोई कोटेशन्स, व्यय प्रमाणकें/ मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से समस्त दर्शित व्यय रू0 69194.00 (रूपये उनहत्तर हजार एक सौ चौरानवें मात्र) मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	48152663	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	69194.00
		योग	69194.00

प्रस्तर संख्या 17- ग्राम पंचायत जैनपुर में वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में स्कूल बाउन्ड्री के निर्माण पर कुल रू0 234659.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इस कार्य हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र., माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/ मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स/ निविदायें आदि भी जाँच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही स्कूल का नाम ई ग्राम - स्वराज पोर्टल पर अंकित किया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत के स्कूल में बाउन्ड्री निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 234659.00 (दो लाख चौतीस हजार छः सौ उनसठ रूपये) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	54581730	स्कूल बाउन्ड्री का निर्माण	234659.00
		योग	234659.00

प्रस्तर संख्या 18- उपरोक्त ग्राम पंचायत जैनपुर में आलोच्य वर्ष में रिक्शा भुगतान पर अंकन रू0 14990.00 व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस संबंध में पारित प्रस्ताव की

पुष्टि न हो सकी। रिक्शा भुगतान से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से दर्शित भुगतान के फर्जी होने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से दर्शित व्यय रू0 14990.00 की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	54126469	रिक्शा भुगतान	14990.00
		योग	14990.00

प्रस्र र संख्या 19- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर, विकास खण्ड गुलावठी के विभिन्न मार्गो पर इण्टरलाकिंग, रैम्प व नाली तथा पुलिया निर्माण पर कुल रू0 754289.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इन कार्यो हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र., माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/ मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स/ निविदायें आदि भी जाँच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग कार्य पर दर्शित समस्त व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 754289.00 (सात लाख चौवन हजार दो सौ नवासी रूपये) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	53006157	मैन रोड से जहूर किनवा वाले घर तक इ0 लॉ0 व नाली निर्माण	141938.00
2	53003695	हुसैनपुर में मैन रोड से रहीसू के मकान तक इ0 लॉ0 व नाली निर्माण	206654.00
3	48263969	मैन रास्ते से इरशाद याकूब के घर तक इ0 लॉ0 व नाली निर्माण	128406.00
4	48263122	इंतजार के घर से नाले तक इ0 लॉ0 व नाली निर्माण	78216.00
5	53006629	याकूब के प्लाट से याकूब के घर तक इ0 लॉ0 व नाली निर्माण	119125.00
6	54885140	प्राईमरी स्कूल में किचिन के पास इण्टर लॉकिंग	79950.00
		योग	754289.00

प्रस्तर संख्या 20- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत के द्वारा सामूदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर अवशेष कुल रू0 293925.00 का भुगतान ठेके पर करना दर्शाया गया है। जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस0पी0) 2010 दिनांक 01 अप्रैल 2016 के अनुसार किसी भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। निविदा आमंत्रण से पूर्व उसका स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने का प्राविधान

है परन्तु इस सम्बन्ध में आलोच्य वर्ष में किसी भी समाचार-पत्र को कोई भी भुगतान दर्शित नहीं किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपने पसंदीदा अनिल कान्ट्रेक्टर को कार्य आबंटित कर भुगतान किया गया उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई0 ग्राम स्वराज से नहीं होती है और न ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः ठेके पर कराये गये उक्त कार्य में नियमों का अनुपालन न कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया है। ग्राम प्रधान उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 293925.00 (रूपये दो लाख तिरानवे हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय (रू0 में)
1	42508075	ग्राम पंचायत में सामूदायिक शौचालय का अवशेष भुगतान	293925.00
		योग	293925.00

<u>प्रस्तर संख्या 21</u>- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों परा नाला सफाई तथा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सफाई आदि के नाम पर किये गये कार्यो पर कुल रूपया 508422.00 का व्यय बिना कुटेशन, मजदूरी भुगतान के मस्टरोल/प्राप्ति रसीदे, एम0बी0, कार्यपूर्ति, व्यय प्रमाणकें, कार्यवाही पंजिका के दर्शाया गया है। उपरोक्त व्यय की जाँच व पुष्टि न होने के कारण उक्त समस्त व्यय फर्जी है। अतःरूपये 508422.00 (रूपया पाँच लाख आठ हजार चार सौ बाईस मात्र) का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार की मिलीभगत से किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार दोनों से मय ब्याज सहित बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	53003777	आजाद नगर के पुल से आसिफ के मकान तक नाला सफाई	85480.00
2	53003777	आसिफ के मकान से महबूब वाले पुल तक नाला सफाई	70516.00
3	48265146	मिट्ठेपुर स्कूल के पास कब्रिस्तान सफाई	98000.00
4	53004319	हुसैनपुर में यामीन के पास वाला तालाब की सफाई	54632.00
5	54885373	नाले के पुल से अफसर के घर तक दोनों ओर नाला सफाई	53041.00
6	53004319	हुसैनपुर में यामीन के पास वाला तालाब की सफाई	16212.00
7	54884511	कब्रिस्तान में सफाई	70565.00
8	48262557	सफाई कार्य का भुगतान	59976.00

		योग	508422.00

प्रस्तर संख्या 22- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में सबमर्सिबल तथा वॉटर सप्लाई के कार्य पर कुल रू0 95361.00 का व्यय दर्शाया गया है। इन व्ययों की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से विधिवत् पारित प्रस्ताव की जाँच व पुष्टि न हो सकी तथा उक्त कार्यो से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कुटेशन, कार्य का स्वीकृति आदेश, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः व्यय की गई समस्त धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा मिलीभगत कर व्यपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 95361.00 (रूपये पिचानवें हजार तीन सौ इकसठ मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	53003414	प्रा0 वि0 मिट्ठेपुर में सबमर्सिबल व वॉटर सप्लाई	46518.00
2	53003559	हुसैनपुर स्कूल में वॉटर सप्लाई व समरसेविल	48843.00
		योग	95361.00

प्रस् र संख्या 23- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में रू0 105000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 51/ 2017/1211/ 33-3-2017-46/ 2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में दी गई गाइड लाइन के अनुपालन की न तो पुष्टि करायी गयी और न ही हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्डपम्प मरम्मत के संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन, स्वीकृति पत्र, विधिवत् पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोई कोटेशन्स, व्यय प्रमाणकें/ मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से समस्त दर्शित व्यय रू0 105000.00 (रूपये एक लाख पाँच हजार मात्र) मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	42524161	हैण्ड पम्प रिबोर मास्टर कंछिद के पास	38000.00
2	48261522	हैण्ड पम्प रिबोर का मेटेरियल क्रय	43000.00
3	48261522	हैण्ड पम्प मरम्मत	24000.00
		योग	105000.00

प्रस्तर संख्या 24- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में सफाई रिक्शा मेंटिनेंस व मरम्मत पर अंकन रू0 19970.00 व्यय दर्शित है, कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस

सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। सफाई रिक्शा से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से दर्शित भुगतान के फर्जी होने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 19970.00 (रूपया उन्नीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) की मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है विवरा निम्नलिखित हैः-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	48262557	रिक्शा मरम्मत और सफाई सामान का भुगतान आदि	9970.00
2	48264354	रिक्शा मरम्मत	10000.00
		योग	19970.00

प्रस्तर संख्या 25- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों तथा स्कूल में बरामदा मरम्मत तथा नाली निर्माण के कार्यो कुल रू0 247192.00 का व्यय दर्शाया गया है, लेखा परीक्षा के दौरान ऐसा कोई अभिलेख या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये, जो व्यय की गई धनराशि को वास्तविक खर्च माना जा सके जबकि शासनादेश संख्या 5-2016/253/18.02.2016 (एस0पी0) 2010 दिनांक 01 अप्रैल 2016 के अनुसार प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि नहीं करायी गई। जो कि नियम विरूद्ध है। उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाणकें आदि लेखा परीक्षा में अवलोकन तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे समस्त भुगतान फर्जी सिद्ध होता है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 247192.00 (रूपये दो लाख सैतालिस हजार एक सौ बानवें मात्र) मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	54885069	अलीमुद्दीन से याकूब के घर तक नाली निर्माण	67475.00
2	53003082	स्कूल के बरामदे की मरम्मत	59627.00
3	53003171	स्कूल फर्श मरम्मत	52416.00
4	54884940	शेरू मिस्त्री के घर से पररू के घर तक नाली निर्माण	67674.00
		योग	247192.00

प्रस्तर संख्या 26- उपरोक्त ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में स्कूल बाउन्ड्री के निर्माण पर अवशेष भुगतान रू0 165812.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इस कार्य हेतु विधिस्वरूप न तो प्रस्ताव पारित कराये गये और न ही वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान सचिव श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्र., माप पुस्तिका, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रत्येक कार्य का कार्य होने से

पहले व कार्यपूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणकें/ मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स/ निविदायें आदि भी जाँच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही स्कूल का नाम ई ग्राम - स्वराज पोर्टल पर अंकित किया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत के स्कूल में बाउन्ड्री निर्माण पर दर्शित व्यय फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 165812.00 (एक लाख पैंसठ हजार आठ सौ बारह रूपये) की वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	44101572	स्कूल बाउन्ड्री का निर्माण	165812.00
		योग	165812.00

<u>प्रस्तर संख्या 27</u>- ग्राम पंचायत मखदूमपुर उर्फ मिट्ठेपुर में वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में पेंटिग के कार्य पर रू0 58800.00 का व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत् पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान श्रीमती उल्फत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 58800.00 (रूपया अट्ठावन हजार आठ सौ मात्र) मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रम सं0	कार्य आई0 डी0	कार्य का विवरण	दर्शित व्यय रू)0 में(
1	48265146	स्कूल बाउन्ड्री का निर्माण	58800.00
		योग	58800.00

<u>प्रस्तर संख्या 28</u>- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मलकपुर विकासखंड अनूपशहर द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लिखा मैनुअल के अध्याय 08 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना, एस्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर/कुटेशन, स्टॉक रजिस्टर पंजिका, स्वीकृत मानचित्र भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में बिना बिल वाउचर एवं प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रुपए 4748033.00 नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बानो व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से

नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 29- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर कलां विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना, एस्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर/कुटेशन, स्टॉक रजिस्टर पंजिका, स्वीकृत मानचित्र भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में बिना बिल वाउचर एवं प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रुपए 2432756.00 नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश व ग्राम पंचायत सचिव श्री सूरज यादव व श्री योगेन्द्र से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 30- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत इस्माइलपुर, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना, एस्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर/कुटेशन, स्टॉक रजिस्टर पंजिका, स्वीकृत मानचित्र भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में बिना बिल वाउचर एवं प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रुपए 1101918.00 नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली ग्राम प्रधान श्री निरंजन व ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेंद्र यादव व सूरज यादव से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 31- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बोड़ा, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लिखा मैनुअल के अध्याय 08 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी

गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना, एस्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर/कुटेशन, स्टॉक रजिस्टर पंजिका, स्वीकृत मानचित्र भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में बिना बिल वाउचर एवं प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रुपए 9,21,262.00 नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती भावना व ग्राम पंचायत सचिव श्री लोकेंद्र से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

प्रस् र संख्या 32- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पीर बियवानी, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद द्वारा अनुदान की धनराशि का व्यय कोषवही में दर्शाया गया है दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लिखा मैनुअल के अध्याय 08 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए संबंधित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कार्ययोजना, एस्टीमेट, रूप पत्र 41 पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेंडर/कुटेशन, स्टॉक रजिस्टर पंजिका, स्वीकृत मानचित्र भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में बिना बिल वाउचर एवं प्राप्त अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय रुपए 9,21,262.00 नियमों के विरुद्ध करके धनराशि का अपहरण किया गया है। वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल व ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मपाल से नियमानुसार करते हुए प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम- गौतमबुद्ध नगर

वर्ष-2021-22

प्रारुप-04

जनपद का नाम-गौतमबुद्ध नगर। **सम्भाग**-मेरठ।

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या-01 ग्राम पंचायत-दलेलपुर विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री सौरभ यादव द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को होने वाली आय तथा किए गए व्यय की जांच न की जा सकी । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू 381669.00 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि ई-ग्राम स्वराज से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 381669.00 को सचिव श्री सौरभ यादव व प्रधान श्री कैलाश सिंह द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री सौरभ यादव व प्रधान श्री कैलाश सिंह से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या-02 ग्राम पंचायत-माडलपुर विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री निशांत शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को होने वाली आय तथा किए गए व्यय की जांच न की जा सकी । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू 1683595.25 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि ई-ग्राम स्वराज से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 1683595.25 को सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्रीमती पिंकी द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्रीमती पिंकी से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या-03 ग्राम पंचायत-चीती विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री सौरभ यादव द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को होने वाली आय तथा किए गए व्यय की जांच न की जा सकी । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू 6066270.00 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि ई-ग्राम स्वराज से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) उपलब्ध

न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 6066270.00 को सचिव श्री सौरभ यादव व प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री सौरभ यादव व प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या-04 ग्राम पंचायत-डौला रजपुरा विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार नीम द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को होने वाली आय तथा किए गए व्यय की जांच न की जा सकी । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू 3034757.00 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि ई-ग्राम स्वराज से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 3034757.00 को सचिव श्री संजीव कुमार नीम व प्रधान श्रीमती जमीला द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री संजीव कुमार नीम व प्रधान श्रीमती जमीला से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत-अलाउददीनपर उर्फ डुढेरा विकास खण्ड-जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री निशांत शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में ग्राम पंचायत को होने वाली आय तथा किए गए व्यय की जांच न की जा सकी । जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रू 2373557.26 व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि ई-ग्राम स्वराज से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 2373557.26 को सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्री मोहित कुमार शर्मा द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्री मोहित कुमार शर्मा से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत-आनन्दपुर विकास खण्ड-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान सचिव द्वारा केवल राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त का बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। तथा अवगत कराया कि संबंधित सचिव श्री निशांत शर्मा द्वारा कोई भी अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं कराया गया है। जबकि वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू 466605.00 व्यय किया गया है। जसकी पुष्टि अभिलेख केअभाव में न हो सकी। अभिलेख जैसे-कोषवही, व्यय प्रमाणक,एम.बी.,कार्यपूर्ति, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, पत्रावली, विभागीय अधिकारियों से प्राप्त स्वीकृति (अनुमति) व अन्य अभिलेख आदि। उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं लेखा द्वारा जारी प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई भी व्यय वाउचर्स (मूल प्रमाणक) व अभिलेख उपलब्ध न होने पर व्यय की गई समस्त धनराशि को अपहरण

मानने की व्यवस्था/ प्राविधानित हैं। जिसके क्रम में व्यय की गई धनराशि रू 466605.00 को सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्री कपिल कुमार द्वारा अपहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए सचिव व प्रधान पूर्ण रुप से जिम्मेदार हैं। इसकी जांच कराकर अपहरण की स्थिति में व्यय की गई धनराशि रू 466605.00 की वसूली बराबर-2 भागों में सचिव श्री निशांत शर्मा व प्रधान श्री कपिल कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद - गाज़ियाबाद मण्डल - मेरठ

प्रारूप 04

संस्था का नाम - ग्राम पंचायत वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या 01- ग्राम पंचायत सिखेड़ा हजारी, विकास खण्ड मुरादनगर के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 1658094.00 का व्यय, विभिन्न कार्यों पर होना, ई ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 165809**4**.00 की वसूली बराबर-बराबर भागों में सचिव श्री हर्ष राघव व प्रधान श्रीमती विमलेश से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या 02- ग्राम पंचायत पैंगा, विकास खण्ड मुरादनगर के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 1539781.00 का व्यय, विभिन्न कार्यों पर होना, ई ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 1539781.00 की वसूली बराबर-बराबर भागों में सचिव श्री हर्ष राघव व प्रधान श्री उपदेश कुमार से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या 03- ग्राम पंचायत सौंदा, विकास खण्ड मुरादनगर के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 5265985.00 का व्यय, विभिन्न कार्यों पर होना, ई ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम

में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 5265985.00 की वसूली बराबर-बराबर भागों में सचिव श्री हर्ष राघव व प्रधान श्रीमती पूनम से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या 04- ग्राम पंचायत जावली, विकास खण्ड लोनी के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 4783916.00 का व्यय, विभिन्न कार्यों पर होना, ई ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा दौरान उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 4783916.00 की वसूली बराबर-बराबर भागों में सचिव श्री संजय राणा व प्रधान श्री वेदप्रकाश से ब्याज सहित की जाए।

प्रस्तर संख्या 05- ग्राम पंचायत महमूदपुर, विकास खण्ड लोनी के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 686249.00 के व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 686249.00 के आधे की वसूली सचिव श्री सुभाष चन्द वर्मा व श्री विवेक शर्मा से तथा शेष आधे की वसूली प्रधान श्रीमती अर्चना से कर ली जाए।

प्रस्तर संख्या 06- ग्राम पंचायत मेवला भट्टी, विकास खण्ड लोनी के द्वारा वर्ष 2021-22 में रू 2373293.00 के व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा दौरान कोई भी साक्ष्य/प्रमाणक/अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8(क) के अनुसार किए गए व्यय के सम्बन्ध में अगर कोई भी व्यय वाउचर्स (प्रमाणक) उपलब्ध न होने पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण मानने की व्यवस्था प्रावधानित है। इस क्रम में अपुष्टित व्यय की धनराशि रू 2373293.00 के आधे की वसूली सचिव श्री सुभाष चन्द वर्मा व श्री विवेक शर्मा से तथा शेष आधे की वसूली प्रधान श्रीमती बृजेश व श्रीमती कुसुम से ब्याज सहित कर ली जाए।

जनपद- हापुड़ **मण्डल -मेरठ**

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत आपत्तियों का विवरण

<u>प्रस्तर-1</u> ग्राम पंचायत कावी विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान केन्द्रीय वित्त अनुदान व राज्य वित अनुदान से अंकन रू0 95090.00 का स्ट्रीट लाईट भुगतान व मरम्मत कार्य भुगतान पर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	दिनाक	धनराशि
1	19.09.21	48510.00
2	26.08.21	8400.00
3	10.02.22	38180.00
	योग	96090.00

उक्त स्ट्रीट लाईट भुगतान व मरम्मत कार्य भुगतान किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति,एस्टीमेंट व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है तथा लाईट कहां — कहां लगायी गयी है, लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार गबन/अनियममितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 95090.00 के लिए गाम प्रधान श्रीमति ललिता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-2</u> ग्राम पंचायत कावी विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान केन्द्रीय वित्त अनुदान से अंकन रू0 246528.00 का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	प्रमाणक संख्या	दिनाक	धनराशि
1	अज्ञात	09.7.21	42176.00
2	अज्ञात	09.7.21	42176.00
3	अज्ञात	09.7.21	42176.00
4	अज्ञात	29.9.21	30000.00
5	अज्ञात	29.9.21	30000.00
6	अज्ञात	26.11.21	60000.00
	योग		246528.00

उक्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराब होने की रिपोर्ट, ,सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये गये तथा कितने सक्षम हैडपम्प कहां - कहां ठीक कराये गये है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही कराया गया जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार

गबन/अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 246528.00 के लिए ग्राम प्रधान श्रीमति ललिता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-3</u> ग्राम पंचायत कावी विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न स्थानो पर ग्राम पंचायत में रिबोर कार्य पर अंकन रू0 159186.00 का व्यय किया गया हैं एस्टीमेट जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	दिनाक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	09.07.21	43186.00	धर्मवीर के घर के पास रिबोर कार्य
2	08.02.22	116000.00	प्रवेश के घर के पास रिबोर कार्य
	योग	159186.00	

उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, एस्टीमेंट व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये। जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार गबन /अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 159186.00 के लिए ग्राम प्रधान श्रीमति ललिता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-4</u> ग्राम पंचायत शेखपुर खिचडा विकास खंड धौलाना वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये कतिपय व्ययों से संबधित व्यय प्रमाणक,मस्टर रोल पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नही कराये गये। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0	दिनाक	व्यय की धनराशि	कार्य का विवरण
1	17.06.2021	49500.00	सफाई कार्य
2	17.06.2021	49500.00	सफाई कार्य
3	17.06.2021	150000.00	सफाई कार्य
4	22.06.2021	11210.00	दीवार लेखन कार्य
5	22.06.2021	32284.00	दीवार लेखन कार्य
6	05.07.2021	17600.00	सफाई कार्य
7	05.07.2021	22696.00	सफाई कार्य
8	12.07.2021	49500.00	सफाई कार्य
9	16.07.2021	13216.00	सफाई कार्य
	योग-	396006.00	

पंचायत राज विभाग द्वारा जारी वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्ययों के संबध में कोई भी बाउचर्स उपलब्ध नही कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड सहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त

धनराशि रू0 396006.00 को लेखा परीक्षा में गबन मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री संजय कुमार और प्रधान श्रीमति फरहत से तातारीख ब्याज सहित वसूली किये जाने की अपेक्षा की जाती है।उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-5</u> ग्राम पंचायत दहपा कन्दौली विकास खंड धौलाना वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये कतिपय व्ययों से संबधित व्यय प्रमाणक मस्टररोल पत्रावली,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0	दिनाक	व्यय की धनराशि	कार्य का विवरण
1	28.06.2021	24212.00	दीवार लेखन कार्य
2	28.06.2021	49500.00	सफाई कार्य
3	28.06.2021	49500.00	सफाई कार्य
1	28.06.2021	6950.00	दीवार लेखन कार्य
1	03.07.2021	65450.00	सफाई कार्य
1	03.07.2021	78400.00	सफाई कार्य
1	03.07.2021	24212.00	सफाई कार्य
	योगः-	359222.00	

पंचायत राज विभाग द्वारा जारी वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्ययों के संबध में कोई भी बाउचर्स उपलब्ध नही कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड सहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 396006.00 को लेखा परीक्षा में गबन मानते हुए तत्कालीन पंचायत सचिव श्री संजय कुमार और प्रधान श्री अभिषेक त्यागी से तातारीख ब्याज सहित वसूली किये जाने की अपेक्षा की जाती है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-6</u> ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान प्राथमिक विद्यालय में दिनाक 21.10.21 को रेन हारवेस्टिग कार्य पर अंकन स्0 74141.00 का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

उक्त रेन हारवेस्टिग कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति,स्टीमंट व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है। जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जो पंचायत लेखा मैनअुल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार गबन/अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 74141.00 के लिए ग्राम प्रधान श्री फरमान अली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-7</u> ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय वित्त अनुदान व राज्य वित्त अनुदान से अनुदान से अंकन रू0 193550.00 का स्ट्रीट लाईट भुगतान व मरम्मत कार्य भुगतान पर व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनाक	धनराशि
1	17.10.21	96775.00
2	11.10.21	96775.00
	योग	193550.00

उक्त स्ट्रीट,लाईट भुगतान व मरम्मत कार्य भुगतान किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, एस्टीमेट व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है। तथा लाईट कहां — कहां लगायी गयी है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही किया गया। जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार गबन/अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 193550.00 के लिए ग्राम प्रधान की फरमान अली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।

<u>प्रस्तर-8</u> ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान केन्द्रीय वित्त अनुदान व राज्य वित्त अनुदान से अंकन रू0 92341.00 का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	प्रमाणक संख्या	दिनाक	धनराशि
1	अज्ञात	24.08.21	16849.00
2	अज्ञात	24.08.21	19459.00
3	अज्ञात	24.08.21	17371.00
4	अज्ञात	24.08.21	11716.00
5	अज्ञात	24.08.21	14012.00
6	अज्ञात	07.10.21	12934.00
	योग		92341.00

उक्त व्यय के सापेक्ष हैण्डपम्प खराब होने की रिपोर्ट, एस्टीमेट सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये गये। तथा कितने हैण्डपम्प कहां — कहां ठीक कराये गये है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही कराया गया जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार गबन/अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 92341.00 के लिए ग्राम प्रधान श्री फरमान अली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-9</u> ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खंड हापुड वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्थानों पर ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर पर अंकन रू0 118076.00 का व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	दिनाक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	06.12.21	37000.00	मदरसे में रिबोर पार्ट भुगतान
2	06.12.21	59038.00	जाकिर की दुकान के पास रिबोर कार्य
3	13.12.21	22038.00	हैण्डपम्प रिबोर का अवशेष भुगतान
	योग-	118076.00	

उक्त हैडपम्प रिबोर कार्य कराये जाने पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एस्टीमेट व प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये। जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार गबन/अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः व्यय धनराशि अंकन रू0 118076.00 के लिए ग्राम प्रधान श्री फरमान अली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील खारी उत्तरदायी है।कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद -मेरठ

प्रारूप-4

जनपद का नाम-मेरठ **मण्डल का नाम-मेरठ।**

<u>ग्राम पंचायत वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित आपत्तियॉ-</u>

प्रस्तर-01-आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत गुढ़ा विकास खण्ड हस्तिनापुर में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० **1943284.00** व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 14.05.2021 को सेनेटाइजर एवं कूडा निस्तारण हेतु लिमरा आयरन स्टोर को रु० 94700.00 भुगतान किया गया/। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनिकी एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अन्य सुसंगत अिभलेख प्रस्तुत नहीं किये गये | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर नहीं उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धरा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **94700.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री महकार सिंह** व पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र सिंह** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-02- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड हस्तिनापुर में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 2021643.00 व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 30.11.2021 को जोगेन्द्र से आलोक तक सी0सी0 टाइल्स एवं नाली निर्माण हेतु रु० 151700.00 का भुगतान संतरपाल ठेकेदार को किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनिकी एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अन्य सुसंगत अभलेख प्रस्तुत नहीं किये गये | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर नहीं उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धरा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **151700.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री जगपाल** व पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र सिंह** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-03-आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **बटावली** विकास खण्ड हस्तिनापुर में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० **1729839.00** व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 30.11.2021 को वाटर हारवेस्टिग कार्य हेतु रु० **190000.00** का भुगतान संतरपाल ठेकेदार को किया गया है उक्त व्यय से सम्बनिधत व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनिकी एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अन्य सुसंगत अभलेख प्रस्तुत नहीं किये गये |

वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर नहीं उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धरा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **190000.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री गुरुबचन सिंह** व पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र सिंह** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-04-आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **मीवा** विकास खण्ड हस्तिनापुर में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० **3752503.00** व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 14.05.2021 को सेनेटाइजर एवं कूडा निस्तारण हेतु गुंजन इन्टरप्राजेज को रु० **154300.00** का भुगतान किया गया/ उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनिकी एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अन्य सुसंगत अभलेख प्रस्तुत नहीं किये गये | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर नहीं उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धरा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **154300.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री रकमपाल** व पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र सिंह** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-05- आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.07.2021 को रु० **236973.00** ग्राम पंचायत **शाहपुर पीरपुर** विकास खण्ड सरधना के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है | लाइट क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा | पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के के गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत और और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही | स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में DM की समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परिक्षण में प्रस्तुत नहीं रही | यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी या नहीं, पुराने की दशा में इसका निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही | इस प्रकार उक्त व्यय अवास्तविक पाया गया जो कि गबन की श्रेणी में आता है | अतः उक्त धनराशि रु० **236973.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री **ब्रजकिशोर** एवं तत्कालीन **सचिव** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-06- ग्राम पंचायत बना विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 7/21 तक श्री विसन सिंह एवं 8/21 से 3/22 तक श्री सुधीर राघव ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विसन के कार्यकाल में रू० 818024.00 एवं श्री सुधीर राघव के कार्यकाल मं रू० 1243367.00 व्यय किय गये है। श्री सुधीर द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विसन सिंह ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,206 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 818024.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह तथा प्रधान भगवती से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।

2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 818024.00की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 818024.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान भगवती एवं श्री विसन सिंह ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-07- ग्राम पंचायत अमरौली उर्फ बडा गांव विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 8/21 तक श्री विसन सिंह एवं 9/21 से 3/22 तक श्री अयज कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विसन के कार्यकाल में रू० 927476.00 एवं श्री अयज कुमार के कार्यकाल मं रू० 1677575.00 व्यय किय गये है। श्री अयज कुमार द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विसन सिंह ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,206 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 927476.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह तथा प्रधान श्री अर्जुन सिंह से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाणप-त्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र।-
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 927476.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 927476.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अर्जुन सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री विसन सिंह ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-08- ग्राम पंचायत जंधेडी विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 7/21 तक श्री विस्वेन्द्र कुमार एवं 8/21 से 3/22 तक श्री भूपेन्द्र शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विस्वेन्द्र के कार्यकाल में रू० 373500.00 एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा के कार्यकाल मं रू० 1281536.00 व्यय किय गये है। श्री भूपेन्द्र शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विस्वेन्द्र कुमार ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 373500.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र कुमार तथा प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 373500.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 373500.00 की ब्याज सहित वसूली श्री देवेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री विस्वेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र कुमार के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-09-ग्राम पंचायत राफन विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 12/21 तक श्री जुलफिकार भुटटो एवं 01/22 से 3/22 तक श्री देवेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री जुलफिकार भुटटो के कार्यकाल में रू० 808200.00 एवं श्री देवेन्द्र कुमार के कार्यकाल मं रू० 429119.00 व्यय किय गये है। श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री जुलफिकार भुटटो ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 808200.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री जुलफिकार भुटटो तथा प्रधान श्री योगेश कुमार से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 808200.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 808200.00 की ब्याज सहित वसूली श्री योगेश कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री जुलफिकार भुटटो ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री जुलफिकार भुटटो के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-10- ग्राम पंचायत फिटकरी विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 7/21 तक श्री विस्वेन्द्र एवं 8/21 से 3/22 तक श्री भूपेन्द्र शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विस्वेन्द्र के कार्यकाल में रू० 163350.00 एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा के कार्यकाल मं रू० 2415416.00 व्यय किय गये है। श्री भूपेन्द्र शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विस्वेन्द्र ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 163350.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र तथा प्रधान श्री शाहरूख खान से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 163350.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 163350.00 की ब्याज सहित वसूली श्री शाहरूख खान ग्राम प्रधान एवं श्री विस्वेन्द्र ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-11- ग्राम पंचायत बातनौर विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 8/21 तक श्री विसन सिंह एवं 9/21 से 3/22 तक श्री प्रवेश कुमार शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विसन सिंह के कार्यकाल में रू० 1139941.00 एवं श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कार्यकाल मं रू० 2855712.00 व्यय किय गये है। श्री प्रवेश कुमार शर्मा ने अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विसन सिंह ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 1139941.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह तथा प्रधान श्रीमती सलमा से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 1139941.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 1139941.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा एवं श्री विसन सिंह ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विसन सिंह के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-12-ग्राम पंचायत ततीना विकास खण्ड मवाना में 4/21 से 7/21 तक श्री विस्वेन्द्र एवं 8/21 से 3/22 तक श्री भूपेन्द्र शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहे है। श्री विस्वेन्द्र के कार्यकाल में रू० 559900.00 एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा के कार्यकाल मं रू० 954330.00 व्यय किय गये है। श्री भूपेन्द्र शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल के अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट करा लिया गया। किन्तु श्री विस्वेन्द्र ने अपने कार्यकाल के अभिलेख आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 (क) के अनुसार व्यय के वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी तथा नियम संख्या 13 के अनुसार ऑडिट नहीं कराने तक ग्राम पंचायत को राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204,205,256 एवं अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय के वाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय दर्शायी गयी धनराशि अंकन रू० 559900.00 गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र तथा प्रधान श्री हरीशपाल से किये जाने का प्राविधान है। व्यय की पुष्टि (ऑडिट) हेतु निम्न अभिलेख वांछित रहे।

1. निर्माण कार्य संबंधित पत्रावली, प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, एस्टीमेट, कोटेशन, माप पुस्तिका इत्यादि।
2. प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र।
3. यदि कार्य ठेकेदार से कराया गया हो तो ठेकेदार का पेन कार्ड, कर संबंधित भुगतान की रसीदे इत्यादि।
4. व्यय धनराशि के वाउचर, बिल, मस्टरोल इत्यादि।

अंकन रू० 559900.00 की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करके जांच करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में अंकन रू० 559900.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हरिशपाल ग्राम प्रधान एवं श्री विस्वेन्द्र ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर कर ली जाये। ग्राम पंचायत सचिव श्री विस्वेन्द्र के विरूद्ध विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

(मूल आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत सादुल्लापुर विकास खण्ड माछरा में आलोच्य वर्ष में श्री कमलेश, ग्राम प्रधान एवं श्री प्रवीन कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के अधार पर खाते से अंकन रू0 613436.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये, परन्तु उनके द्वारा आडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली /अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अत: अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से संबंधित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से संबंधित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सामग्री क्रय कोटेशन, माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 613436.00 श्री कमलेश, ग्राम प्रधान एवं श्री प्रवीन कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207, 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 613436.00 व्यय की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अंकन रू0 613436.00 की वसूली ब्याज सहित श्री कमलेश, ग्राम प्रधान एवं श्री प्रवीन कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-14-वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **एत्मादपुर विकास खण्ड माछरा** द्वारा **रू0 2964008.80** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **लोकेश कुमार** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **2964008.80** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री **लोकेश कुमार** एवं ग्राम प्रधान **श्री जयसिंह** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-15- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **खाई खेडा विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा रू0 **763417.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।
4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **आजम एवं श्री राजीव पाल** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **763417.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री आजम एवं श्री राजीव पाल** एवं ग्राम प्रधान **श्री मुनेश** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-16- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **जटौला विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा रू0 **920555.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-
1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।
4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **शशिकान्त वर्मा** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **920555.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री शशिकान्त वर्मा** एवं ग्राम प्रधान **श्री जयकरण** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-17- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **नांरगपुर विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा रू0 **2680986.00** निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **पारस गुप्ता** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **2680986.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री पारस गुप्ता** एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती लता** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-18- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **आसिफाबाद विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा **रू0 888656.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **सोहनवीर** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि उक्त अभिलेखों एवं प्रमाणकों के अभाव में दिनांक 01 अगस्त 2021 से 31.03.2022 तक किये भुगतान रू0 **888656.00** का ग्राम विकास तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री **सोहनवीर** एवं ग्राम प्रधान **श्री गुल्लू** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-19- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **शौदत्त विकास खण्ड परीक्षितगढ** रू0 **4154078.00** निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **अनीस अहमद** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **4154078.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री अनीस अहमद** एवं ग्राम प्रधान **श्री अफजाल** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-20- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **सालौर रसूलपुर पनहा विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा **रू0 667569.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **सोहनवीर** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **667569.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री **सोहनवीर** एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती धर्मवती** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-21- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत खजूरी अलियारपुर विकास खण्ड परीक्षितगढ द्वारा **रू0 1292169.00** का भुगतान किया गया है, जिसमें से ग्राम प्रधान का मानदेय रू0 60000.00 एवं पंचायत सहायक का मानदेय रू0 7200.00 को छोडकर रू0 **1160169.00** निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-
1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।
4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **पारस गुप्ता** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **1160169.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री पारस गुप्ता** एवं ग्राम प्रधान **श्रीमति अफसाना** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-22- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **परीक्षितगढ देहात विकास खण्ड परीक्षितगढ** रू0 **2654095.00 का** निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-
1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।
4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **शशिकान्त वर्मा** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **2654095.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी **श्री शशिकान्त वर्मा** एवं ग्राम प्रधान **श्री कृष्णा** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-23- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **ललियाना विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा **रू0 6769429.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-
1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।
4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **सुनील कुमार** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि उक्त अभिलेखों एवं प्रमाणकों के अभाव में दिनांक 01 अगस्त 2021 से 31.03.2022 तक किये भुगतान रू0 **6769429.00** का ग्राम विकास तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर गबन किया गया है,जिसके लिए

ग्राम विकास अधिकारी श्री **सुनील कुमार** एवं ग्राम प्रधान **श्री फहीम अहमद** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-24-वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत **नीमका विकास खण्ड परीक्षितगढ** द्वारा **रू0 1499043.00** का निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाणक/अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है-

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री **सुनील कुमार** द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभिसन्धि करके तथा संदिग्ध एवं अपुष्ट व्यय दर्शाकर अंकन रू0 **1499043.00** का गबन किया गया है,जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री **सुनील कुमार** एवं ग्राम प्रधान **श्री महीपाल** उत्तरदायी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-04)

प्रस्तर-25-आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **किनौनी** विकास खण्ड रोहटा में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० **3265638.00** व्यय किया गया, उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनिकी एवं वित्तीय स्वीकृति, ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका एवं अन्य सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये | ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर नहीं उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **3265638.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती रेखा** व पंचायत सचिव **श्री उमेश तोमर एवं श्री भोपाल** से समान अंशों में की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-26-आलोच्य वर्ष 2021- 22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **इस्लामाबाद छिलौरा विकास खण्ड रजपुरा** में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 1378948.86 व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 30.04.2021 को रु० **100532.00** का व्यय शिवनारायण से राजपाल तक रास्ते की सामग्री का भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय वाउचर, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी एवं

वित्तीय स्वीकृति और ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी | वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8 क के अनुसार व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराने पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को गबन की श्रेणी में माना जाता है, इसके अलावा उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित समान अंशों में ग्राम प्रधान एवं सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० **100532.00** की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री मनीष कुमार** व पंचायत सचिव **श्री ओमकारनाथ दुबे** से समान अंशों की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-27- आलोच्य वर्ष 2021- 22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत नंगली आजमाबाद विकास खण्ड रजपुरा में ई–ग्राम स्वराज (प्रिया सॉफ्ट) के अनुसार रु० 165444.00 व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 18.07.2021 को रु० 42840.00 तथा दिनांक 22.07.2021 को रु० 42800.00, कुल रु० 85640.00 सफाई एवं कूड़ा निस्तारण हेतु व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति और ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी | उ० प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204, 205, 256 व अधिनियम की धारा 27 व 109 के अनुसार भी व्यय वाउचर व अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने पर व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित समान अंशों में ग्राम प्रधान एवं सचिव से किये जाने का प्राविधान है | इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि रु० 85640.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता व पंचायत सचिव श्री नकुल धामा से समान अंशों की जानी अपेक्षित है |

(आपत्ति सं0-08)

प्रस्तर-28- ग्राम पंचायत शफियाबाद लोटी विकास खण्ड खरखौदा वर्ष 2021-22 में अंकन रू0 4006676-00 का विभिन्न तिथियो में निर्माण एवं अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गम्भीर आपत्तियॉ पाई गयी।

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रवण शर्मा द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभि सन्धि करके गंभीर अनियमितताए कर अंकन रू0 4006676-00 का व्यय दर्शाया गया है अत दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है । जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जीनत बेगम उत्तरदायी है। उक्त से वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-29-ग्राम पंचायत जसौरा विकास खण्ड खरखौदा वर्ष 2021-22 में अंकन रू0 3497548-00 का विभिन्न तिथियो में निर्माण एवं अन्य कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गम्भीर आपत्तियॉ पाई गयी।

1-सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रयसे सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।

2-स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।

3-सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किय गया।

4- स्वीकृत बजट स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।

5-सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।

6-टैण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।

7-सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचाने का कोई भाडा नही दर्शाया गया है।जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।

8-निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

9-मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरो के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।

10-माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।

11-श्रमिको की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टररोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।

12-निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रवण शर्मा द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की वसूली ब्याज सहित सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय आदेशो, नियमों एवं निर्देशो की अवहेलना दुरभि सन्धि करके गंभीर अनियमितताए कर अंकन रू0 3497548;00 का व्यय दर्शाया गया है अत दर्शित व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध है । जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती साईस्ता उत्तरदायी है। उक्त से वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-30- ग्राम पंचायत देवलीखेडा उर्फ जैनपुर विकास खण्ड सरूरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में मस्टर रोल, प्रमाणक, कोटेशन, विभागीय स्वीकृति, बजट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में व्यय काल्पनिक रहा विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि
1	15.10.2021	पंचायत घर में फलोर टाइल्स, वाल टाइल्स, सी0सी0 निर्माण	239700.00
2	15.10.2021	पंचायत घर में शौचालय निर्माण, दीवार निर्माण	198800.00
3	15.10.2021	पंचायत घर में बिजली फिटिंग, पुताई व सी0सी0 टाइल्स निर्माण	239700.00
		योग	**589600.00**

अत: ग्राम प्रधान शबनम खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश तोमर द्वारा मस्टर रोल, प्रमाणक, कोटेशन, विभागीय स्वीकृति, बजट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में धनराशि रू0 589600.00 का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश तोमर से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-31- ग्राम पंचायत देवलीखेडा उर्फ जैनपुर विकास खण्ड सरूरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में दिनांक 06.12.2021 को बिना प्रमाणक, भुगतान प्राप्त करने वाले का नाम विभागीय स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब की रिपोर्ट आदि के अभाव में विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय रू0 76700.00 किया गया। अत: ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश तोमर द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया, धनराशि रू0 76700.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम खान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेश तोमर से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-07)

प्रस्तर-32-ग्राम पंचायत ईकडी विकास खण्ड सरूरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा बिना मस्टररोल, प्रमाणक, कोटेशन, विभागीय स्वीकृति, बजट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 के व्यय केन्द्रीय वित्त में धनराशि रू0 2681050.00, राज्य वित्त में रू0 1973902.00 कुल धनराशि रू0 4654952.00 अप्रमाणित काल्पनिक करके ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द शर्मा एवं श्री उमेश तोमर द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील चन्द शर्मा एवं श्री उमेश तोमर से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर-33-ग्राम पंचायत मैथना इन्द्रसिंहपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2022 को प्रमाणक संख्या 21 के द्वारा रूपये 6000.00 तथा दिनांक 18.02.2022 को प्रमाणक संख्या 36 के द्वारा रूपये 6000.00 इस प्रकार कुल रूपये 12000.00 पंचायत सहायक को मानदेय का भुगतान दर्शाया गया है किन्तु उक्त भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि हेतु मानदेय पंजिका अप्राप्त रही जिसके अभाव मे यह अस्पष्ट रहा कि इस भुगतान से पूर्व किस अवधि तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है तथा किस अवधि का शेष रहा है आदि। मानदेय पंजिका के अभाव मे दर्शित भुगतान रूपये 12000.00 अनियमित है जिसकी पुष्टि नही की जा सकी । उक्त के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा रानी सयुक्त रूप से उत्तरदायी है उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा रानी से रूपये 12000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर-34- ग्राम पंचायत मैथना इन्द्रसिंहपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत कतिपय तिथियो मे ग्राम पंचायत की सफाई कराने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान दर्शाये गये है :-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का संक्षिप्त विवरण
08.07.2021	06	75000.00	ग्राम पंचायत की सफाई कराने हेतु भुगतान
16.11.2021	17	15000.00	ग्राम पंचायत की सफाई कराने हेतु भुगतान
29.11.2021	16	30500.00	ग्राम पंचायत की सफाई कराने हेतु भुगतान
30.12.2021	31	17500.00	ग्राम पंचायत की सफाई कराने हेतु भुगतान
	कुल योग	**138000.00**	

उक्त भुगतान ग्राम पंचायत मे विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हुए भी किया जाना दर्शित है। सफाई कर्मी होते हुए भी उपरोक्त भुगतान ग्राम पंचायत कोष से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारी की स्वीकृतियां/विभागीय आदेश/स्वीकृत बजट/उक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत का पारित प्रस्ताव इत्यादि लेखा परीक्षा समय अनुपलब्ध रहे। उक्त के कारण किये गए यह भुगतान अनियमित है जिनकी जाँच एवं पुष्टि नही की जा सकी। उक्त भुगतानो की समुचित पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा रानी से जांचोपरान्त रूपये 138000.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर-35- ग्राम पंचायत सिवाया जमालुलापुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि स्ट्रीट लाईट पर भी व्यय दर्शित है। संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का संक्षिप्त विवरण
29.06.2021	01	364000.00	विभिन्न स्थानो पर स्ट्रीट लाईट रिपेयर कार्य का भुगतान
08.07.2021	08	298000.00	विभिन्न स्थानो पर नई स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु खरीद भुगतान
03.10.2021	11	38600.00	स्ट्रीट लाईट रिपेयर कार्य का भुगतान
	कुल योग	**700600.00**	

उपरोक्त के सम्बन्ध मे कोटेशन/टैन्डर आदि प्राप्त नही किये गये है तथा उक्त से सम्बन्धित सामग्री स्टाकबुक जिसमे ग्राम पंचायत मे उक्त सामान की आमद, प्रयुक्त, शेष, आदि का पूर्ण विवरण अर्कित हो अप्राप्त रही। स्ट्रीट लाईटे कहा कहा की खराब थी, उनकी गारन्टी/वारन्टी की क्या स्थिति रही, कहा कहा रिपेयर अथवा नई लाईट स्थापना का कार्य कराया गया है। आदि की स्थिति अस्पष्ट रही । स्ट्रीट लाईट खरीद हेतु स्वीकृत बजट एवं स्वीकृती, विभागीय आदेश/ स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु विभागीय दर आदि की पत्रावली भी लेखा परीक्षा के समय जाँच व पुष्टि हेत अनुपलब्ध रही। उक्त के कारण दर्शित कुल भुगतान रूपये 700600.00 अनियमित प्रतीत होते है। उक्त के प्रति ग्राम प्रधान एवं सचिव सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री किरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप सिंह से रूपये 700600.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर-36- ग्राम पंचायत सिवाया जमालुलापुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 लेखा परीक्षा करने पर प्रकाश मे आया कि ग्राम पंचायत मे डैड स्टाक खरीद पर भी व्यय दर्शित है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का संक्षिप्त विवरण
08.07.2021	05	150000.00	वाटर कूलर की खरीद का भुगतान
08.07.2021	06	150000.00	वाटर कूलर की खरीद का भुगतान
12.08.2021	02	60000.00	पानी निकासी हेतु इंजन खरीद का भुगतान
03.10.2021	10	67400.00	पंचायत घर हेतु फर्नीचर खरीद का भुगतान
	कुल योग	**427400.00**	

उपरोक्त के सम्बन्ध मे कोटेशन/टैन्डर आदि प्राप्त नही किये गये है। उक्त डैड स्टाक खरीद की ग्राम पंचायत मे आमद होने की पुष्टि मे उपरोक्त खरीद कि गई वस्तुओ का पूर्ण विवरण अर्कित हो से सम्बन्धित डैड स्टाक पंजिका अप्राप्त रही। वाटर कूलर कहा कहा स्थापित किये गये है से सम्बन्धित पंजिका/पत्रावली अप्राप्त रही। उपरोक्त वाटर कूलर, इंजन के गारन्टी/वारन्टी की क्या स्थिति रही है से सम्बन्धित कागजात भी अनुपलब्ध रहे उपरोक्त डैड स्टाक खरीद किये जाने से सम्बन्धित स्वीकृ बजट एवं सक्षम अधिकारियो की स्वीकती, डैड स्टाक पंजिका, ग्राम पंचायत मे कुल डैड स्टाक की सूची/सत्यापन रिपोर्ट आदि भी नही है। उक्त के कारण किये गये भुगतान रूपये 427400.00 अनियमित प्रतीत होते है। उक्त के प्रति ग्राम प्रधान एवं सचिव सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री किरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप सिंह से रूपये 427400.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-17)

प्रस्तर-37-ग्राम पंचायत सिवाया जमालुलापुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत दिनांक 12.08.2021 को प्रमाणक संख्या 03 के द्वारा रूपये 148000.00 बाबत हैन्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर हेतु भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा के समय ग्राम पंचायत मे लगे कुल हैन्ड पम्पो की संख्या से सम्बन्धित पंजिकापत्रावलियां / आदि अप्राप्त रही । उक्त कार्य कराने से सम्बन्धित विभागीय आदेश पत्रावलीटैन्डर /कोटेशन/स्वीकृत बजट/स्वीकृति/ आदि भी नही है। हैन्ड पम्प खराब होने से सम्बन्धित ग्रामवासियो के शिकायती पत्र, हैन्ड पम्प सामान से सम्बन्धित स्टाक बुक जिसमे नये सामान क्रय का पूर्ण लेखा जोखा अर्कित हो आदि भी अप्राप्त रहा। रिबोरिंगमरम्मत के लिए / पुराने सामान की स्थिति स्टाक बुक मे पुष्टि नही करायी गई है और पुराने सामान की बिक्री का कोई धन पंचायत रिबोर किस किस स्थान पर कराये गये है/कोष मे जमा भी नही है। यह मरम्मत, अस्पष्ट रहा। उक्त तथ्यो के कारण दर्शित भुगतान अपुष्ट रहा तथा अनियमित प्रतीत होता है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री किरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप सिंह से रूपये 148000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-18)

प्रस्तर-38- ग्राम पंचायत सिवाया जमालुलापुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2021 को प्रमाणक संख्या 16 के द्वारा रूपये 131669.00 का भुगतान दर्शित है। इस राशि के भुगतान से सम्बन्धित विवरणसम्बन्धित व्ययो की पंजिका आदि/भुगतान की स्वीकृति/स्वीकृत बजट/ लेखा परीक्षा के समय अनुपलब्ध रही जिसके कारण उक्त राशि का भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री किरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप सिंह से रूपये 131669.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-19)

प्रस्तर-39- ग्राम पंचायत सिवाया जमालुलापुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.2021 को प्रमाणक संख्या 14 के द्वारा रूपये 237000.00 का भुगतान पंचायत घर के फर्श की टायल खरीद के सम्बन्ध मे दर्शित है। उक्त से सम्बन्धित स्वीकृत कार्य योजनाखरीद /भुगतान की स्वीकृति/स्वीकृत बजट / स्वीकृ मानचित्र एवं प्राक्कलन व कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उक्त /टैन्डर/किये जाने से सम्बन्धित कोटेशन खरीद की आमद एवं प्रयुक्त की निर्माण कार्यो की सामग्री स्टाक पंजिका से भी पुष्टिनही करायी गयी है। उक्त तथ्यो के कारण दर्शित भुगतान संदिग्ध एवं अनियमित है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री किरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप सिंह से रूपये 237000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर-40- ग्राम पंचायत समसपुर सुरानी विकास खण्ड दौराला में वर्ष आलोच्य 2021-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार मानदेय के भुगतान दर्शाये गये है :-

दिनांक	**प्रमाणक संख्या**	**धनराशि**	**व्यय का संक्षिप्त विवरण**
04.01.2022	02	24500.00	ग्राम प्रधान को जून 2021 से दिसम्बर 2021 तक सात माह का मानदेय भुगतान
16.03.2022	09	10000.00	ग्राम प्रधान को जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 का मानदेय भुगतान
14.01.2022	06	6000.00	पंचायत सहायक श्री मोन्टी को दिसम्बर 2021 का मानदेय भुगतान

16.02.2022	पंद्रहवा वित्त आयोग /2021-2022 पी / 06	6000.00	पंचायत सहायक श्री मोन्टी को जनवरी 2022 का मानदेय भुगतान
16.03.2022	07	6000.00	पंचायत सहायक श्री मोन्टी को फरवरी 2022 का मानदेय भुगतान
	कुल योग	**52500.00**	

उक्त भुगतानो की जाँच एवं पुष्टि हेतु मानदेय पंजिका अप्राप्त रही जिसके अभाव मे यह अस्पष्ट रहा कि उक्त भुगतान से पूर्व किस अवधि तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है तथा किस अवधि का शेष रहा है आदि। मानदेय पंजिका के अभाव मे दर्शित कुल मानदेय भुगतान **रूपये 52500.00** अनियमित है जिसकी पुष्टि नही की जा सकी । उक्त के लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव सयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति मे **ग्राम प्रधान श्री आदेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से रूपये 52500.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(आपत्ति सं0-16)

प्रस्तर-41- वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जलालपुर विकास खण्ड मेरठ की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 26 जुलाई 2021 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा केन्द्रीय वित्त के खाते से रू0 150000.00 इन्टरलोकिंग हेतु वेष्णो कान्टरेक्टर का भुगतान किया गया, जिससे सम्बन्धित प्रमाणक व अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त अभिलेखों एवं प्रमाणकों के अभाव में किया गया भुगतान रू0 150000.00 संदिग्ध एवं अपुष्ट है, जिसका ग्राम विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार तथा भूनेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीनम द्वारा गबन किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-18)

जनपद -अमरोहा मण्डल -मुरादाबाद

<u>प्रारूप - 4</u>

<u>ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां</u>

जनपद -अमरोहा

अनुभाग . पंचायत

(1)ग्राम पंचायत का नाम- कनपुरा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-01- लेखा **परीक्षा वर्ष** 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु॰ 1422612.00 का भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव श्रीमती हुमा परवीन व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार के साथ ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मुतालिब से भी समान रूप से की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव **द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है**, **किन्तु लेखा परीक्षा में अभिलेख उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है जिस प्रति आवश्यक कार्यवाही** किया जाना अपेक्षित है| अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क

तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(रु०**.1184777.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतीत होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रमसं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	01.10.2021	183023.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
02	01.11.2021	116730.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
03	01.11.2021	125464.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
04	20.11.2021	143582.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
05	29.01.2022	41156.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
06	29.01.2022	49654.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
07	04.02.2021	25440.00	**एस०पी० ट्रेडर्स**
08	22.10.2021	100731.00	**हबीबी सीमेंट स्टोर**
09	01.11.2021	113728.00	**हबीबी सीमेंट स्टोर**
10	20.11.2021	19400.00	**हबीबी सीमेंट स्टोर**
11	29.01.2022	108114.00	**जे०एच० चिस्ती कॉन्ट्रेक्टर**
12	23.07.2021	19880.00	**गजेन्द्र ट्रेडर्स**
13	08.08.2021	19540.00	**गजेन्द्र ट्रेडर्स**
14	22.10.2021	76525.00	**सोशल ब्रिक बर्कस**
15	23.07.2021	7140.00	**अरमान साईकिल स्टोर**
16	23.10.2021	2000.00	**यु०पी० सामान्य लाभ निधि**
17	29.07.2021	23600.00	**इंडियन मेडिकल स्टोर**
18	30.07.2021	5000.00	**एम०जे०ए० न्यूज़ एंड एडवरटायजिंग एजेन्सी**
19	29.01.2022	4070.00	**टेकनीकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यु०पी० नोडल**
	योग	**1184777.00**	

प्रस्तर-02- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि(रु0. 237835.00**) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही**

व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव श्रीमती हुमा परवीन व तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार के साथ ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मुतालिब से भी समान रूप से की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	23.07.2021	2950.00	**श्री आरिफ**
02	22.10.2021	3245.00	**श्री आरिफ**
03	22.10.2021	8100.00	**श्री आरिफ**
04	04.11.2021	7560.00	**श्री आरिफ**
05	04.11.2021	1180.00	**श्री अहसान**
06	04.11.2021	7560.00	**श्री मिशाहिद**
07	04.11.2021	4130.00	**श्री मौ अहसान**
08	23.07.2021	2950.00	**श्री असलम**
09	22.10.2021	8100.00	**श्री असलम**
10	22.10.2021	3245.00	**श्री असलम**
11	04.11.2021	4130.00	**श्री असलम**
12	04.11.2021	4130.00	**श्री जुल्फेकार**
13	04.11.2021	4130.00	**श्री ए० कुद्दुस**
14	04.11.2021	7560.00	**श्री इक़बाल**
15	23.07.2021	2950.00	**श्री नासिर**
16	22.10.2021	3245.00	**श्री नासिर**
17	22.10.2021	4425.00	**श्री नासिर**
18	04.11.2021	4130.00	**श्री नासिर**
19	04.11.2021	7560.00	**श्री असीम**
20	23.07.2021	2950.00	**श्री साजिद अली**
21	22.10.2021	3245.00	**श्री साजिद अली**
22	22.10.2021	4425.00	**श्री साजिद अली**
23	04.11.2021	4130.00	**श्री साजिद अली**
24	23.07.2021	2950.00	**श्री मौ० गुर्फान**
25	22.10.2021	3245.00	**श्री मौ० गुर्फान**
26	22.10.2021	4425.00	**श्री मौ० गुर्फान**

27	04.11.2021	4130.00	**श्री मौ० गुर्फान**
28	04.11.2021	7560.00	**श्री अख्तर**
29	22.10.2021	4425.00	**श्री रमीज रजा**
30	04.11.2021	4130.00	**श्री रमीज रजा**
31	04.11.2021	7560.00	**श्री ताहिर**
32	23.07.2021	2950.00	**श्री मौ० यासीन**
33	22.10.2021	3245.00	**श्री मौ० यासीन**
34	22.10.2021	8100.00	**श्री मौ० यासीन**
35	04.11.2021	4130.00	**श्री मौ० यासीन**
36	04.11.2021	4130.00	**श्री नदीम अहमद**
37	23.07.2021	1770.00	**श्री मौ० अकरम**
38	22.10.2021	4425.00	**श्री मौ० अकरम**
39	04.11.2021	4130.00	**श्री मौ० अकरम**
40	04.11.2021	7560.00	**श्री अजबुल हक**
41	22.10.2021	1180.00	**श्री मौ० अमीर**
42	04.11.2021	4130.00	**श्री मौ० अमीर**
43	04.11.2021	4130.00	**श्री जमशेद**
44	29.01.2022	6000.00	**श्री फरमान शाही**
45	11.02.2022	6000.00	**श्री फरमान शाही**
46	15.10.2021	31500.00	**श्री निगार अन्जुम**
	योग	**237835.00**	

(2)ग्राम पंचायत का नाम- औरंगाबाद वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-03- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु**0. 700369.00 का** भुगतान किया गया है। भुगतानित धनराशि के सापेक्ष में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा कोई व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख बार-बार माँगने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराये गये। अतः लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत बैक स्टेटमेण्ट व ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(रु० **607284.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022,19.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम

पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अन्जुम/सचिव श्री मोहित चौधरी के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून से भी समान रूप से की जानी अपेक्षित है|

क्रमसं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	11.11.2021	139068.00	**उदित राज बिल्डर्स**
02	05.01.2022	13843.00	**उदित राज बिल्डर्स**
03	13.08.2021	19880.00	**सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार**
04	11.11.2021	19880.00	**सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार**
05	18.07.2021	19900.00	**गजेन्द्र ट्रेडर्स**
06	20.08.2021	19880.00	**गजेन्द्र ट्रेडर्स**
07	16.09.2021	61090.00	**गजेन्द्र ट्रेडर्स**
08	12.01.2022	19880.00	**हनीसिंह ट्रेडर्स**
09	12.01.2022	19880.00	**हनीसिंह ट्रेडर्स**
10	24.03.2022	19880.00	**हनीसिंह ट्रेडर्स**
11	24.03.2022	19770.00	**हनीसिंह ट्रेडर्स**
12	13.08.2021	7060.00	**अरमान साईकिल स्टोर**
13	13.08.2021	19936.00	**अरमान साईकिल स्टोर**
14	20.12.2021	1200.00	**उ०पी० पं० सामान्य लाभ निधि**
15	26.11.2021	149280.00	**इण्डियन एफ़० एच० इन्टर प्राईजेज**
16	09.07.2021	54000.00	**लक्ष्मी एस०एच०जी०**
17	26.12.2021	2857.00	**टेकनीकल एंड एड० आ० उ०पी० नोडल**
	योग	**607284.00**	

प्रस्तर-04- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि(रु**0 93085.00**) को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधानद्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022,19.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के

वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अन्जुम/सचिव श्री मोहित चौधरी के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा खातून से भी समान रूप से की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	22.08.2021	3835.00	**श्री इंतजार**
02	27.11.2021	8100.00	**श्री इंतजार**
03	22.08.2021	3835.00	**श्री शहनावाज**
04	27.11.2021	4425.00	**श्री शहनावाज**
05	05.01.2022	1620.00	**श्री शहनावाज**
06	05.01.2022	590.00	**श्री नवीद अहमद**
07	22.08.2021	3835.00	**श्री मौ० उबैद**
08	18.09.2021	590.00	**श्री मौ० उबैद**
09	27.11.2021	4425.00	**श्री मौ० उबैद**
10	05.01.2022	885.00	**श्री मौ० उबैद**
11	12.01.2022	6000.00	**श्रीमती तायाबा बी**
12	24.03.2022	12000.00	**श्रीमती तायाबा बी**
13	22.08.2021	3835.00	**श्री दिलशाद**
14	16.09.2021	1080.00	**श्री दिलशाद**
15	27.11.2021	8100.00	**श्री दिलशाद**
16	27.11.2021	8100.00	**श्री हीनत जहाँ**
17	22.08.2021	3835.00	**श्री विजय पाल**
18	21.09.2021	590.00	**श्री विजय पाल**
19	27.11.2021	4425.00	**श्री विजय पाल**
20	05.12.2021	4130.00	**श्री दरक्षा**
21	27.11.2021	4425.00	**श्री नवीद आलम**
22	05.12.2021	4425.00	**श्री जावेद आलम**
	योग	**93085.00**	

(3)ग्राम पंचायत का नाम- शेखुपुर माफी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-05- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० **3029267.00 का** भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री दिवेश कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री मुस्तकीम अहमद के साथ ग्राम प्रधान श्री इब्राहिम से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो

का निष्पादन किया जा रहा है| जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है । अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानितधनराशि(**रु० 2631702.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	13.07.2021	6000.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
02	22.07.2021	6000.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
03	22.10.2021	19200.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
04	10.12.2021	19800.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
05	10.12.2021	19800.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
06	09.07.2021	19000.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
07	09.07.2021	19900.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
08	04.01.2022	76400.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
09	15.08.2021	8745.00	श्री मौ० उमर शरीफ
10	15.08.2021	8745.00	श्री मौ० उमर शरीफ
11	04.09.2021	5830.00	श्री मौ० उमर शरीफ
12	04.09.2021	5182.00	श्री मौ० उमर शरीफ
13	06.09.2021	78206.00	श्री मौ० उमर शरीफ
14	20.09.2021	24660.00	श्री मौ० उमर शरीफ
15	20.09.2021	11404.00	श्री मौ० उमर शरीफ
16	20.09.2021	76442.00	श्री मौ० उमर शरीफ
17	08.03.2022	12276.00	श्री मौ० उमर शरीफ

18	09.09.2021	153554.00	अमिल कांट्रेक्टर
19	10.12.2021	156595.00	अमिल कांट्रेक्टर
20	15.08.2021	73703.00	निशा इन्टर प्राईजेज
21	15.08.2021	85704.00	निशा इन्टर प्राईजेज
22	04.09.2021	81922.00	निशा इन्टर प्राईजेज
23	04.09.2021	32497.00	निशा इन्टर प्राईजेज
24	04.09.2021	63295.00	निशा इन्टर प्राईजेज
25	13.10.2021	140125.00	निशा इन्टर प्राईजेज
26	02.11.2021	168934.00	निशा इन्टर प्राईजेज
27	17.07.2021	110840.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
28	15.08.2021	31857.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
29	15.08.2021	32147.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
30	04.09.2021	34343.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
31	04.09.2021	4536.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
32	04.09.2021	35253.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
33	13.10.2021	28373.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
34	02.11.2021	25452.00	ख्वाजा ईंट उद्योग
35	17.07.2021	32580.00	वाजिद ट्रेडर्स
36	17.07.2021	41472.00	वाजिद ट्रेडर्स
37	15.08.2021	11682.00	वाजिद ट्रेडर्स
38	15.08.2021	12441.00	वाजिद ट्रेडर्स
39	15.08.2021	13824.00	वाजिद ट्रेडर्स
40	15.08.2021	12899.00	वाजिद ट्रेडर्स
41	04.09.2021	13411.00	वाजिद ट्रेडर्स
42	04.09.2021	13492.00	वाजिद ट्रेडर्स
43	04.09.2021	1950.00	वाजिद ट्रेडर्स
44	04.09.2021	1036.00	वाजिद ट्रेडर्स
45	04.09.2021	14169.00	वाजिद ट्रेडर्स
46	04.09.2021	14515.00	वाजिद ट्रेडर्स
47	13.10.2021	20230.00	वाजिद ट्रेडर्स
48	13.10.2021	8985.00	वाजिद ट्रेडर्स
49	02.11.2021	9978.00	वाजिद ट्रेडर्स
50	02.11.2021	5184.00	वाजिद ट्रेडर्स
51	08.03.2022	32739.00	वाजिद ट्रेडर्स
52	08.03.2022	36390.00	वाजिद ट्रेडर्स
53	27.11.2021	13440.00	अंसार हैंडलूम हॉउस

54	27.11.2021	10000.00	वशीम इलैक्ट्रिकल्स
55	08.03.2022	22249.00	वशीम इलैक्ट्रिकल्स
56	17.12.2021	33038.00	एस० के० ट्रेडर्स
57	17.12.2021	15156.00	एस० के० ट्रेडर्स
58	17.12.2021	4838.00	एस० के० ट्रेडर्स
59	24.01.2022	11245.00	एस० के० ट्रेडर्स
60	24.01.2022	59369.00	एस० के० ट्रेडर्स
61	24.01.2022	2073.00	एस० के० ट्रेडर्स
62	08.03.2022	38000.00	एस० के० ट्रेडर्स
63	13.03.2022	6220.00	एस० के० ट्रेडर्स
64	13.03.2022	52931.00	एस० के० ट्रेडर्स
65	13.03.2022	18980.00	एस० के० ट्रेडर्स
66	13.03.2022	8799.00	एस० के० ट्रेडर्स
67	15.03.2022	43815.00	एस० के० ट्रेडर्स
68	15.03.2022	21387.00	एस० के० ट्रेडर्स
69	04.01.2022	5785.00	टेकनीकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यु०पी० नोडल
70	24.01.2022	48240.00	लिफ्बेल्ट होम सोलुसंस
71	09.09.2021	53760.00	रचित इन्टर प्राईजेज
72	09.09.2021	42480.00	रचित इन्टर प्राईजेज
73	23.11.2021	1200.00	यु०पी० सामान्य लाभ निधि
74	23.11.2021	38000.00	रोकिट बैंट्री कम्पनी
75	23.11.2021	20000.00	बी०सी० कम्प्यूटर
76	23.11.2021	60000.00	बी०सी० कम्प्यूटर
77	27.11.2021	27000.00	मौलाना ट्रेडर्स
	योग	**2631702.00**	

प्रस्तर-06- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानितधनराशि**(रु0 397565.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्नियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव**

श्री दिवेश कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री मुस्तकीम अहमद के साथ ग्राम प्रधान श्री इब्राहिम से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	12.07.2021	2950.00	श्री इल्याश
02	12.07.2021	8000.00	श्री इरशाद अली
03	17.07.2021	3245.00	श्री इरशाद अली
04	15.08.2021	4425.00	श्री इरशाद अली
05	15.08.2021	5400.00	श्री इरशाद अली
06	04.09.2021	5400.00	श्री इरशाद अली
07	04.09.2021	1475.00	श्री इरशाद अली
08	13.10.2021	7020.00	श्री इरशाद अली
09	02.11.2021	6480.00	श्री इरशाद अली
10	11.12.2021	2950.00	श्री इरशाद अली
11	24.01.2022	4775.00	श्री इरशाद अली
12	13.03.2022	5400.00	श्री इरशाद अली
13	12.07.2021	2950.00	श्री मौ० सलीम
14	15.08.2021	4425.00	श्री मौ० सलीम
15	04.09.2021	4860.00	श्री मौ० सलीम
16	20.09.2021	1770.00	श्री मौ० सलीम
17	13.10.2021	7020.00	श्री मौ० सलीम
18	02.11.2021	3245.00	श्री मौ० सलीम
19	24.01.2022	2360.00	श्री मौ० सलीम
20	13.03.2022	5400.00	श्री मौ० सलीम
21	12.07.2021	2950.00	श्री फईम
22	15.08.2021	8100.00	श्री फईम
23	04.09.2021	5400.00	श्री फईम
24	04.09.2021	2700.00	श्री फईम
25	20.09.2021	2065.00	श्री फईम
26	13.10.2021	13000.00	श्री फईम
27	02.11.2021	8900.00	श्री फईम
28	11.12.2021	8000.00	श्री फईम
29	24.01.2022	4320.00	श्री फईम
30	13.03.2022	7200.00	श्री फईम
31	12.07.2021	2950.00	श्री इकराम
32	17.07.2021	4425.00	श्री इकराम
33	15.08.2021	2360.00	श्री इकराम

34	04.09.2021	2950.00	श्री इकराम
35	04.09.2021	2360.00	श्री इकराम
36	02.11.2021	3540.00	श्री इकराम
37	11.12.2021	2950.00	श्री इकराम
38	13.03.2022	2065.00	श्री इकराम
39	12.07.2021	2950.00	श्री तय्युव
40	17.07.2021	4425.00	श्री तय्युव
41	15.08.2021	2950.00	श्री तय्युव
42	04.09.2021	1770.00	श्री तय्युव
43	04.09.2021	2950.00	श्री तय्युव
44	04.09.2021	1180.00	श्री तय्युव
45	13.10.2021	3835.00	श्री तय्युव
46	02.11.2021	6480.00	श्री तय्युव
47	11.12.2021	2950.00	श्री तय्युव
48	24.01.2022	2065.00	श्री तय्युव
49	13.03.2022	2950.00	श्री तय्युव
50	12.07.2021	2950.00	श्री भूरा
51	17.07.2021	4425.00	श्री भूरा
52	15.08.2021	2655.00	श्री भूरा
53	13.10.2021	3835.00	श्री भूरा
54	02.11.2021	3540.00	श्री भूरा
55	13.03.2022	2950.00	श्री भूरा
56	12.07.2021	2950.00	श्री अब्दुल कादिर
57	15.08.2021	2950.00	श्री अब्दुल कादिर
58	04.09.2021	2950.00	श्री अब्दुल कादिर
59	02.11.2021	3540.00	श्री अब्दुल कादिर
60	11.12.2021	2950.00	श्री अब्दुल कादिर
61	17.07.2021	4425.00	श्री नन्हे
62	04.09.2021	2655.00	श्री नन्हे
63	15.08.2021	8300.00	श्री राजवीर सिंह
64	04.09.2021	6000.00	श्री राजवीर सिंह
65	04.09.2021	7500.00	श्री राजवीर सिंह
66	04.09.2021	2870.00	श्री राजवीर सिंह
67	12.07.2021	2950.00	श्री अतरसिंह
68	17.07.2021	8100.00	श्री अतरसिंह
69	15.08.2021	5400.00	श्री अतरसिंह

70	04.09.2021	4860.00	श्री अतरसिंह
71	17.12.2021	885.00	श्री अतरसिंह
72	17.07.2021	8100.00	श्री सेवाराम
73	15.08.2021	2950.00	श्री सेवाराम
74	04.09.2021	2655.00	श्री सेवाराम
75	17.12.2021	2700.00	श्री सेवाराम
76	04.09.2021	2655.00	श्री अख्तर
77	15.08.2021	8000.00	श्री राहुल सागर
78	08.03.2022	13963.00	श्री अनिल कुमार
79	15.03.2022	5400.00	श्री अनिल कुमार
80	08.03.2022	11567.00	श्री सुनील कुमार
81	15.03.2022	5400.00	श्री सुनील कुमार
82	12.07.2021	1475.00	श्री शमशेर
83	20.09.2021	3240.00	श्री सरवन
84	13.10.2021	3835.00	श्री सरवन
85	15.03.2022	4320.00	श्री रियाज़ अहमद
86	17.12.2021	1475.00	श्री ध्यानसिंह
87	24.01.2022	19900.00	श्री रामपाल सिंह
	योग	**397565.00**	

(4)ग्राम पंचायत का नाम- फतेहपुर जिवाई वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-07- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० **907961.00 का** भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री दिवेश कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री अतरसिंह के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है| जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है । अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(**रु० 825965.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है| अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है| जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रमसं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	12.08.2021	18000.00	अरमान साईकिल स्टोर
02	12.08.2021	19824.00	हिन्दुस्तान फोम फर्नीचर
03	12.08.2021	19423.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
04	13.10.2021	146960.00	उदित राज बिल्डर्स
05	28.10.2021	29440.00	उदित राज बिल्डर्स
06	30.12.2021	40288.00	उदित राज बिल्डर्स
07	27.07.2021	19800.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
08	27.07.2021	152732.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
09	15.01.2022	47321.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
10	28.10.2021	24395.00	अरहम ट्रेडर्स
11	15.01.2022	51975.00	अरहम ट्रेडर्स
12	22.03.2022	59400.00	अरहम ट्रेडर्स
13	30.12.2021	18085.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
14	15.01.2022	51033.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
15	22.03.2022	54000.00	डा० अम्बेडकर एस०एच०जी०
16	26.12.2021	3158.00	टेकनीकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यु०पी० नोडल
17	30.12.2021	34272.00	निदा सैनेट्री स्टोर
18	30.12.2021	27349.00	निदा सैनेट्री स्टोर
19	21.10.2021	2000.00	यु०पी० सामान्य लाभ निधि
20	21.10.2021	6510.00	एम०जे०ए० न्यूज़ एंड एडवरटायजिंग एजेन्सी
	योग	**825965.00**	

प्रस्तर-08- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि **(रु**0. **81996.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई

बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री दिवेश कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री अतरसिंह के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	13.10.2021	28000.00	श्री ओमवती
02	31.10.2021	7020.00	श्री चमनलाल
03	30.12.2021	7680.00	श्री चमनलाल
04	31.10.2021	5400.00	श्री विजेन्द्र सिंह
05	30.12.2021	5760.00	श्री विजेन्द्र सिंह
06	13.01.2022	6000.00	कु० प्रियंका
07	22.03.2022	12000.00	कु० प्रियंका
08	15.01.2022	10136.00	श्री यशवीर
	योग	**81996.00**	

(5)ग्राम पंचायत का नाम- पलौला वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-09- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० **1219908.00 का** भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्रीमति हुमा परवीन व तत्कालीन **सचिव** श्रीमती अन्जुम के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती गुले आयशा से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है| जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है । अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानितधनराशि(**रु० 995720.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरानबार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रमसं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	05.08.2021	19700.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
02	05.08.2021	29500.00	हिंदुस्तान फोम एंड फर्नीचर
03	05.08.2021	9500.00	चौधरी सेल्स कारपोरेशन
04	05.08.2021	19800.00	अरमान साईकिल स्टोर
05	02.01.2022	99000.00	ए० एस० ट्रेडर्स
06	02.01.2022	77045.00	ए० एस० ट्रेडर्स
07	27.11.2021	47025.00	ताज ट्रेडर्स
08	16.12.2021	99652.00	ताज ट्रेडर्स
09	16.12.2021	63472.00	ताज ट्रेडर्स
10	08.02.2022	41521.00	ताज ट्रेडर्स
11	08.02.2022	39273.00	ताज ट्रेडर्स
12	21.02.2022	41521.00	ताज ट्रेडर्स
13	21.02.2022	39273.00	ताज ट्रेडर्स
14	13.03.2022	84543.00	ताज ट्रेडर्स
15	24.12.2021	2724.00	टेकनीकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यु०पी० नोडल
16	02.01.2022	19600.00	हनी सिंह ट्रेडर्स
17	26.01.2022	19800.00	हनी सिंह ट्रेडर्स
18	02.08.2021	19930.00	अमिल कॉन्ट्रेक्टर
19	31.08.2021	19820.00	अमिल कॉन्ट्रेक्टर
20	04.12.2021	19770.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
21	04.12.2021	19800.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
22	11.11.2021	8000.00	एम०जे०ए० न्यूज़ एंड एडवरटायजिंग एजेन्सी
23	17.07.2021	154251.00	मुस्तफा हुसैन कॉन्ट्रेक्टर
24	24.12.2021	1200.00	यु०पी० सामान्य लाभ निधि

	योग	**995720.00**	

प्रस्तर-10- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि**(रु0 224188.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधानद्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्नियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्रीमति हुमा परवीन व तत्कालीन **सचिव** श्रीमती अन्जुम के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती गुले आयशा से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	23.08.2021	3245.00	श्री नसरुद्दीन
02	31.08.2021	3245.00	श्री नसरुद्दीन
03	02.12.2021	2360.00	श्री नसरुद्दीन
04	30.12.2021	2360.00	श्री नसरुद्दीन
05	26.01.2022	2360.00	श्री नसरुद्दीन
06	08.02.2022	7680.00	श्री नसरुद्दीन
07	21.02.2022	7680.00	श्री नसरुद्दीन
08	13.03.2022	6480.00	श्री नसरुद्दीन
09	23.08.2021	3245.00	श्री हारून
10	31.08.2021	3245.00	श्री हारून
11	02.12.2021	2360.00	श्री हारून
12	28.12.2021	10127.00	श्री हारून
13	30.12.2021	2360.00	श्री हारून
14	26.01.2022	2360.00	श्री हारून
15	08.02.2022	7200.00	श्री हारून
16	21.02.2022	7200.00	श्री हारून
17	23.08.2021	3540.00	श्री अमीर सुहैल
18	31.08.2021	3540.00	श्री अमीर सुहैल
19	02.12.2021	7900.00	श्री अमीर सुहैल

20	28.12.2021	8780.00	श्री अमीर सुहैल
21	30.12.2021	7900.00	श्री अमीर सुहैल
22	26.01.2022	19928.00	श्री अमीर सुहैल
23	26.01.2022	7900.00	श्री अमीर सुहैल
24	08.02.2022	7680.00	श्री अमीर सुहैल
25	21.02.2022	7680.00	श्री अमीर सुहैल
26	13.03.2022	6480.00	श्री अमीर सुहैल
27	23.08.2021	3245.00	श्री अलाउद्दीन
28	31.08.2021	3245.00	श्री अलाउद्दीन
29	02.12.2021	2360.00	श्री अलाउद्दीन
30	28.12.2021	11123.00	श्री अलाउद्दीन
31	30.12.2021	2360.00	श्री अलाउद्दीन
32	26.01.2022	2360.00	श्री अलाउद्दीन
33	08.02.2022	5760.00	श्री अलाउद्दीन
34	21.02.2022	5760.00	श्री अलाउद्दीन
35	23.08.2021	3245.00	श्री मौ० अज़ीम
36	31.08.2021	3245.00	श्री मौ० अज़ीम
37	02.12.2021	2360.00	श्री मौ० अज़ीम
38	30.12.2021	2360.00	श्री मौ० अज़ीम
39	26.01.2022	2360.00	श्री मौ० अज़ीम
40	23.08.2021	3245.00	श्री जुल्फेकार
41	31.08.2021	3245.00	श्री जुल्फेकार
42	02.12.2021	2360.00	श्री जुल्फेकार
43	30.12.2021	2360.00	श्री जुल्फेकार
44	26.01.2022	2360.00	श्री जुल्फेकार
45	12.01.2022	6000.00	श्री लुबना सनावर
	योग	**224188.00**	

(6)ग्राम पंचायत का नाम- कालाखेड़ा **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-11- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० **19530.00 का** भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री अतरसिंह व तत्कालीन **सचिव** श्री राजेश कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती अंजू से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का

निष्पादन किया जा रहा है| जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है । अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(**रु० 19530.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रमसं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	12.03.2022	19530.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
	योग	**19530.00**	

(7)ग्राम पंचायत का नाम- करौंदी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-12- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत द्वारा रु० **1104770.00 का** भुगतान किया गया है, जिसके लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी से कोई भी व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये| अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री नीरज कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री राजेश कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती ओमवती से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है| वर्तमान सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है| जो लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर राजकीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करने के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है । अतः ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(**रु० 949186.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

क्रमसं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	28.08.2021	19820.00	सैफी सीड्स एंड कीटनाशक भण्डार
02	28.12.2021	19720.00	भारत मेडिकल स्टोर
03	28.08.2021	7140.00	अरमान साईकिल स्टोर
04	26.08.2021	18080.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
05	04.09.2021	39901.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
06	05.01.2022	19810.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
07	11.02.2022	19770.00	गजेन्द्र ट्रेडर्स
08	07.01.2022	47672.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
09	07.01.2022	77395.00	लोकेश इन्टर प्राईजेज
10	04.02.2022	85047.00	सिशोदिया टाईल्स
11	12.03.2022	64436.00	सिशोदिया टाईल्स
12	12.03.2022	57171.00	सिशोदिया टाईल्स
13	12.03.2022	16942.00	सिशोदिया टाईल्स
14	23.10.2021	67882.00	हरदीप ईंट उद्योग
15	12.03.2022	25246.00	हरदीप ईंट उद्योग
16	12.03.2022	6813.00	हरदीप ईंट उद्योग
17	23.10.2021	83294.00	अशोक सीमेंट स्टोर
18	29.11.2021	29325.00	अशोक सीमेंट स्टोर
19	27.01.2022	15870.00	अशोक सीमेंट स्टोर
20	12.03.2022	50064.00	अशोक सीमेंट स्टोर
21	12.03.2022	4461.00	अशोक सीमेंट स्टोर
22	26.03.2022	117975.00	आर० के० इलेक्ट्रीकल
23	28.12.2021	2548.00	टेकनीकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यु०पी० नोडल
24	29.03.2022	48000.00	गोयल ट्रेडर्स
25	01.12.2021	1200.00	यु०पी० सामान्य लाभ निधि

26	24.01.2022	3604.00	शाह टाईम्स
	योग	**949186.00**	

प्रस्तर-13- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि**(रु**0. **155584.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 02.09.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्नियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत के वर्तमान **सचिव** श्री नीरज कुमार व तत्कालीन **सचिव** श्री राजेश कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती ओमवती से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	12.03.2022	2360.00	श्री अमरपाल सिंह
02	12.03.2022	5310.00	श्री आनन्द पाल सिंह
03	28.08.2021	3245.00	श्री पवन कुमार
04	22.12.2021	3245.00	श्री पवन कुमार
05	12.03.2022	5310.00	श्री पवन कुमार
06	12.03.2022	1770.00	श्री पवन कुमार
07	23.10.2021	6480.00	श्री धर्मवीर
08	27.01.2022	4860.00	श्री धर्मवीर
09	12.03.2022	9720.00	श्री धर्मवीर
10	28.08.2021	3245.00	श्री कल्लन
11	22.12.2021	3245.00	श्री कल्लन
12	12.03.2022	5310.00	श्री कल्लन
13	28.08.2021	3245.00	श्री अंकित कुमार
14	22.12.2021	3245.00	श्री अंकित कुमार
15	12.03.2022	5310.00	श्री अंकित कुमार
16	12.03.2022	6204.00	श्री अंकित कुमार
17	28.08.2021	3245.00	श्री मुनशीद
18	22.12.2021	3245.00	श्री मुनशीद
19	12.03.2022	5310.00	श्री मुनशीद
20	28.08.2021	3245.00	श्री चमन कुमार

21	22.12.2021	3245.00	श्री चमन कुमार
22	12.03.2022	9720.00	श्री चमन कुमार
23	12.03.2022	2360.00	श्री चमन कुमार
24	28.08.2021	3245.00	श्री प्रेमपाल सिंह
25	23.10.2021	6480.00	श्री प्रेमपाल सिंह
26	22.12.2021	3245.00	श्री प्रेमपाल सिंह
27	27.01.2022	8100.00	श्री प्रेमपाल सिंह
28	12.03.2022	4320.00	श्री प्रेमपाल सिंह
29	12.03.2022	9720.00	श्री प्रेमपाल सिंह
30	18.01.2022	6000.00	श्री मति अर्चना
31	12.03.2022	12000.00	श्री मति अर्चना
	योग	**155584.00**	

(8)ग्राम पंचायत का नाम- वहापुर **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-14- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1199750.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पतियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1199750.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रू0 1199750/-** का गबन **प्रधान** श्री इन्द्रेश एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री यशपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(9)ग्राम पंचायत का नाम- घासीपुरा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-15- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1035955.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1035955.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रू0 1035955.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती नीरज देवी एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(10)ग्राम पंचायत का नाम- पीठखेड़ा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-16- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1451858.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1451858.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का

मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रू0 1451858.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती लता सागर एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(11)ग्राम पंचायत का नाम- अगरौला कला **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-17- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2260370.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 2260370.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रू0 2260370.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती नफीसा उर्फ नवीसा एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विपिन यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(12)ग्राम पंचायत का नाम- शेखुपुरा झकड़ी **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-18- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1164602.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1164602.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 1164602.00** का गबन **प्रधान** श्री विनोद कुमार एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विकास यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(13)ग्राम पंचायत का नाम- सौहरका वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-19- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 2731019.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 2731019.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 2731019.00** का गबन **प्रधान** श्री संतोष एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विकास यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(14)ग्राम पंचायत का नाम- ओसा माफी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-20- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1134551.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1134551.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 1134551.00** का गबन **प्रधान** श्री लाखन सिंह एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(15)ग्राम पंचायत का नाम- हुसैनपुर वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-21- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 570553.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 570553.00 के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 570553.00** का गबन **प्रधान** श्री महेन्द्र एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री अविनाश द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(16)ग्राम पंचायत का नाम- कुन्दरकी भूड़ वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-22- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 949471.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 949471.00 के

खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 949471.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती बेबी त्यागी एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(17)ग्राम पंचायत का नाम- तसिया वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-23- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1213382.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1213382.00 के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 1213382.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती प्रियंका एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विकास यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(18)ग्राम पंचायत का नाम- पतेई भूड़ वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-24- आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौराने वर्ष की कैशबुक के अनुसार रूपया 1266695.00 विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रूपया 1266695.00 के खर्च सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी. वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्ति एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसेक साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त **धनराशि रूपया 1266695.00** का गबन **प्रधान** श्रीमती आरती देवी एवं **सचिव** ग्राम पंचायत श्री विकास यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(19)ग्राम पंचायत का नाम- आरिफपुर माफी वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-25- वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्य की निम्न व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर छिड़काव पर **व्यय- 51048/-**

(दिनांक 27.09.2021 आईडी न. 51976462)

अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री अतुल कुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर-26- वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्य की निम्न व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

ठेली खरीद पर बदरूद्दीन ट्रेडर्स को **भुगतान-43000/-**

(दिनांक- 28.09.2021 आईडी नं.- 51976776)

अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री अतुल कुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

इस प्रकार उपरोक्त दोनों आपत्तियों के अनुसार 94048/- के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल केअध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से एक बराबर अनुपात में की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जाएगा उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रू0 94048.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री अतुल कुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(20)ग्राम पंचायत का नाम- मूढाखेड़ा खादर वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-27- वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोर 1 ही आई.डी न. 4684989 पर 5वें वित्त से कराये गये है जबकि निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-आरजीएसए/197-2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 02 मई 2019 के द्वारा प्रस्तर संख्या-2 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक आईडी पर एक ही हैण्डपम्प रिबोर कराया जाएगा, के निर्देश के उपरान्त भी 3 हैंड पम्प रिबोर को एक ही आईडी पर बनाकर कराया कार्या कराया गया है।

दिनांक 05.08.21 आईडी नं. 49684989 (5वें वित्त आयोग) 100034/-

उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी नियम विरूद्ध तरीके से कार्य कराया गया है जो की गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है|

अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री संदीप के साथ **ग्राम प्रधान** श्री आरिफ से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

(21)ग्राम पंचायत का नाम- सुजमना वर्ष - 2021-22

प्रस्तर-28- निर्धारित लेखा परीक्षा तिथि पर निम्न व्यय पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी -मरम्मत ठेली की पत्रावली अप्राप्त।

(आईडी नं. 51446827)

27.10.2021 शंकर सिंह हैण्डपम्प को भुगतान- 10715/-

27.10.2021 शंकर सिंह हैण्डपम्प को भुगतान- 800/-
कुल भुगतान- 11515/-
अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री वेद प्रकाश से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर-29- ग्राम पंचायत में सफाई कार्य पर व्यय।
(आईडी नं. 51447507)
16.08.2021 को 06 मजदूरों को भुगतान- 59705/-
अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री वेद प्रकाश से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|
इस प्रकार उपरोक्त दोनों आपत्तियों के अनुसार 71220/- के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल केअध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाय गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से एक बराबर अनुपात में की जाएगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जाएगा उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रू. 71220.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री विदित यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्री वेद प्रकाश से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित

(22)ग्राम पंचायत का नाम- ढकिया खादर **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-30- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु**0 1464571.00 का** भुगतान किया गया है। भुगतानित धनराशि के सापेक्ष में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा कोई व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख बार-बार माँगने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराये गये। अतः लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत बैक स्टेटमेण्ट व ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा

प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(रु0 **1182864.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती कृष्णा देवी से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	03.04.2021	43700.00	भारत कृषि स्टोर
02	03.04.2021	35400.00	भारत कृषि स्टोर
03	14.05.2021	35400.00	भारत कृषि स्टोर
04	14.05.2021	43600.00	भारत कृषि स्टोर
05	24.05.2021	48300.00	रोहित ट्रेडर्स
06	06.08.2021	48300.00	रोहित ट्रेडर्स
07	26.03.2022	32150.00	रोहित ट्रेडर्स
08	01.02.2022	56955.00	राणा जी ट्रेडर्स
09	01.02.2022	68380.00	ओम ब्रिक बर्कस
10	04.02.2022	56613.00	राज इन्टरप्राईजेज
11	04.02.2022	52140.00	राज इन्टरप्राईजेज
12	26.03.2022	154342.00	राज इन्टरप्राईजेज
13	05.01.2022	4604.00	डारेक्टर पंचायतीराज
14	07.02.2022	2413.00	मलीक ईंट उद्योग
15	26.03.2022	9969.00	मलीक ईंट उद्योग
16	09.12.2021	19822.00	किरनपाल कांट्रेक्टर

17	21.12.2021	46813.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
18	21.12.2021	34531.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
19	21.12.2021	53485.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
20	21.12.2021	46813.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
21	05.01.2022	19400.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
22	22.03.2022	77997.00	किरनपाल कांट्रेक्टर
23	05.01.2022	1200.00	उ० पी० पंचायत सामान्य लाभ निधि
24	05.01.2022	19850.00	बजरुद्दीन ट्रेडर्स
25	12.12.2021	5303.00	ए०एम०एस० एडवरटाईजिंग एजेंसी
26	12.12.2021	6276.00	ए०एम०एस० एडवरटाईजिंग एजेंसी
27	07.02.2022	6274.00	ए०एम०एस० एडवरटाईजिंग एजेंसी
28	07.02.2022	6534.00	दैनिक पब्लिक आसिया
29	13.08.2021	48300.00	हर्ष इन्टर प्राईजेज
30	13.08.2021	48300.00	शिव इन्टर प्राईजेज
31	03.04.2021	39480.00	प्रताप ट्रेडर्स
32	03.04.2021	10220.00	फौजी ब्रिक बर्कस
	योग	**1182864.00**	

प्रस्तर-31- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित **रु० 24500.00** ग्राम प्रधान श्रीमति कृष्णा देवी द्वारा स्वंय के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में बैक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना मे अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों मे न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्नियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती कृष्णा देवी से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	28.01.2022	24500.00	श्रीमती कृष्णा देवी

	योग	**24500.00**	

प्रस्तर-32- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि **(रु0 257207.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती कृष्णा देवी से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	06.08.2021	23920.00	श्री सुम्मेरा
02	01.02.2022	17903.00	श्री दौजी सिंह
03	08.01.2022	4550.00	श्री नौ सिंह
04	04.02.2022	2880.00	श्री नौ सिंह
05	04.02.2022	2880.00	श्री नौ सिंह
06	26.03.2022	8640.00	श्री नौ सिंह
07	08.01.2022	12550.00	श्री रामफूल
08	04.02.2022	3729.00	श्री रामफूल
09	04.02.2022	4102.00	श्री रामफूल
10	26.03.2022	15111.00	श्री रामफूल
11	08.01.2022	4550.00	श्री हरपाल
12	04.02.2022	1625.00	श्री हरपाल
13	04.02.2022	1787.00	श्री हरपाल
14	26.03.2022	5525.00	श्री हरपाल
15	08.01.2022	4550.00	श्री गंगाराम
16	04.02.2022	1625.00	श्री गंगाराम
17	04.02.2022	1625.00	श्री गंगाराम
18	26.03.2022	5525.00	श्री गंगाराम
19	21.08.2021	14700.00	श्री नेपाल सिंह
20	21.08.2021	14700.00	श्री नेपाल सिंह
21	06.08.2021	14700.00	श्री नन्दराम सिंह
22	14.08.2021	22540.00	श्री नन्दराम सिंह

23	21.08.2021	22540.00	श्री नन्दराम सिंह
24	08.01.2022	4550.00	श्री नवीन
25	08.01.2022	4550.00	श्री नरेश
26	08.01.2022	13300.00	श्री मदनसिंह
27	08.01.2022	4550.00	श्री जोगेंद्र
28	10.01.2022	6000.00	श्रीमती लक्ष्मी
29	11.02.2022	6000.00	श्रीमती लक्ष्मी
30	22.03.2022	6000.00	श्रीमती लक्ष्मी
	योग	**257207.00**	

(23)ग्राम पंचायत का नाम- जीवपुर मुस्त **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-33- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु**0. 873209.00 का** भुगतान किया गया है। भुगतानित धनराशि के सापेक्ष में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा कोई व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख बार-बार माँगने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराये गये। अतः लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत बैक स्टेटमेण्ट व ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (**रु0 652129.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री रजत यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती ममता से भी समान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	25.05.2021	42000.00	रोहित ट्रेडर्स
02	31.07.2021	19900.00	जय श्री राम ट्रेडर्स
03	11.08.2021	92559.00	जय श्री राम ट्रेडर्स
04	04.09.2021	31441.00	जय श्री राम ट्रेडर्स
05	04.09.2021	30189.00	जय श्री राम ट्रेडर्स
06	11.08.2021	65107.00	अग्रवाल ब्रिक बर्कस
07	31.10.2021	1408.00	अग्रवाल ब्रिक बर्कस
08	31.10.2021	77855.00	अग्रवाल ब्रिक बर्कस
09	11.11.2021	4200.00	हिन्दुस्तान मिडिया
10	22.07.2021	27000.00	लक्ष्मी नारायन एस०एच०जी०
11	27.01.2022	27000.00	लक्ष्मी नारायन एस०एच०जी०
12	27.01.2022	10000.00	सन एनर्जी इण्डिया इन्टर प्राईजेज
13	27.01.2022	2453.00	डारेक्टर पंचायती राज
14	28.01.2022	19900.00	राखी फोटो स्टूडियो एंड जनरल स्टोर
15	30.09.2021	19500.00	सत्यम सीमेंट स्टोर
16	04.09.2021	6276.00	ए०एम०एस० एडवरटाईजिंग
17	04.09.2021	5170.00	शाह टाईम्स
18	23.11.2021	121365.00	मुकुल बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
19	27.11.2021	47606.00	मुकुल बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
20	27.01.2022	1200.00	उ०पी० पंचायत सामान्य लाभ निधि
	योग	**652129.00**	

प्रस्तर-34- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित **रु० 41500.00** ग्राम प्रधान श्रीमति ममता द्वारा स्वंय के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में बैक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना मे अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों मे न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार

योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री रजत यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती ममता से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	06.12.2021	3500.00	श्रीमती ममता
02	27.01.2022	7000.00	श्रीमती ममता
03	15.03.2022	31000.00	श्रीमती ममता
	योग	**41500.00**	

प्रस्तर-35- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि **(रु0 179580.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री रजत यादव के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती ममता से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	02.06.2022	6000.00	श्रीमती खुशबू राघव
02	10.02.2022	6000.00	श्रीमती खुशबू राघव
03	15.03.2022	6000.00	श्रीमती खुशबू राघव
04	22.07.2021	3000.00	श्री रूमसिंह
05	11.08.2021	4500.00	श्री रूमसिंह
06	16.08.2021	20000.00	श्री रूमसिंह
07	31.10.2021	3900.00	श्री रूमसिंह
08	22.07.2021	10000.00	श्री धर्मपाल
09	11.08.2021	7200.00	श्री धर्मपाल
10	16.08.2021	20000.00	श्री धर्मपाल
11	31.10.2021	6720.00	श्री धर्मपाल
12	22.07.2021	3000.00	श्री धर्मवीर

13	11.08.2021	6720.00	श्री धर्मवीर
14	16.08.2021	20000.00	श्री धर्मवीर
15	31.10.2021	6240.00	श्री धर्मवीर
16	22.07.2021	3000.00	श्री सौराज
17	11.08.2021	4200.00	श्री सौराज
18	31.10.2021	4200.00	श्री सौराज
19	22.07.2021	900.00	श्री कपिल
20	11.08.2021	4200.00	श्री कपिल
21	31.10.2021	4200.00	श्री कपिल
22	11.08.2021	4200.00	श्री लीलाधर
23	31.10.2021	4200.00	श्री लीलाधर
24	16.08.2021	21200.00	श्री महीपाल
	योग	**179580.00**	

(24)ग्राम पंचायत का नाम- गुलामपुर **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-36- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु**0. 1242302.00 का** भुगतान किया गया है। भुगतानित धनराशि के सापेक्ष में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा कोई व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख बार-बार माँगने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराये गये। अतः लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत बैक स्टेटमेण्ट व ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(**रु0 1043347.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है|अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है|जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा

8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्र्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री पुष्पेन्द्र चौहान के साथ **ग्राम प्रधान** श्री राजकुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	21.07.2021	19500.00	बजरुद्दीन ट्रेडर्स
02	03.11.2021	3691.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
03	03.11.2021	46815.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
04	03.11.2021	46815.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
05	03.11.2021	46815.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
06	03.11.2021	43124.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
07	15.09.2021	47227.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
08	15.09.2021	47801.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
09	15.09.2021	46077.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
10	15.09.2021	46652.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
11	15.09.2021	21995.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
12	15.09.2021	24657.00	आई०एस०ए० कांट्रेक्टर
13	25.02.2022	36000.00	ओम साईं फर्नीचर हाऊस
14	25.07.2021	27000.00	जय माता दी एस०एच०जी०
15	22.03.2022	27000.00	जय माता दी एस०एच०जी०
16	11.08.2021	46390.00	शिव इन्टर प्राईजेज
17	27.08.2021	41291.00	शिव इन्टर प्राईजेज
18	27.08.2021	51995.00	शिव इन्टर प्राईजेज
19	27.08.2021	48690.00	शिव इन्टर प्राईजेज
20	27.08.2021	3960.00	शिव इन्टर प्राईजेज
21	27.08.2021	47112.00	शिव इन्टर प्राईजेज
22	03.10.2021	32808.00	शिव इन्टर प्राईजेज
23	03.10.2021	11942.00	शिव इन्टर प्राईजेज
24	03.10.2021	32009.00	शिव इन्टर प्राईजेज
25	06.10.2021	32603.00	शिव इन्टर प्राईजेज
26	06.10.2021	20836.00	शिव इन्टर प्राईजेज
27	24.03.2022	22766.00	शिव इन्टर प्राईजेज
28	27.08.2021	4751.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
29	27.08.2021	7060.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
30	03.10.2021	4332.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
31	03.10.2021	1812.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस

32	03.10.2021	4008.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
33	06.10.2021	5447.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
34	06.10.2021	4648.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
35	24.03.2022	2975.00	न्यू फौजी ब्रिक बर्कस
36	19.05.2021	47250.00	रोहित ट्रेडर्स
37	30.09.2021	5170.00	शाह टाईम्स
38	30.09.2021	6091.00	श्री प्रकाश न्यूज़
39	30.09.2021	6276.00	एम०एम०एस०एडबरटाईजिंग
40	10.09.2021	19956.00	राखी फोटो स्टूडियो एंड जनरल स्टोर
	योग	**1043347.00**	

प्रस्तर-37- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित **रु० 25080.00** ग्राम प्रधान श्री राजकुमार द्वारा स्वंय के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में बैक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना मे अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों मे न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री पुष्पेन्द्र चौहान के साथ **ग्राम प्रधान** श्री राजकुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	03.10.2021	11080.00	श्री राजकुमार
02	02.02.2020	14000.00	श्री राजकुमार
	योग	**25080.00**	

प्रस्तर-38- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि **(रु0 173875.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में

एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्नियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री पुष्पेन्द्र चौहान के साथ **ग्राम प्रधान** श्री राजकुमार से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	24.03.2022	650.00	श्री हरी चन्द
02	24.03.2022	960.00	श्री अजय कुमार
03	24.03.2022	800.00	श्री मोंटी
04	24.03.2022	650.00	श्री अरुण
05	25.07.2021	8450.00	श्री नुरेलारेफिन
06	11.08.2021	6490.00	श्री नुरेलारेफिन
07	27.08.2021	1300.00	श्री नुरेलारेफिन
08	27.08.2021	1625.00	श्री नुरेलारेफिन
09	27.08.2021	1950.00	श्री नुरेलारेफिन
10	27.08.2021	1625.00	श्री नुरेलारेफिन
11	03.10.2021	325.00	श्री नुरेलारेफिन
12	03.10.2021	975.00	श्री नुरेलारेफिन
13	06.10.2021	1300.00	श्री नुरेलारेफिन
14	06.10.2021	650.00	श्री नुरेलारेफिन
15	25.07.2021	9750.00	श्री सुनील कुमार
16	27.08.2021	1920.00	श्री सुनील कुमार
17	27.08.2021	2400.00	श्री सुनील कुमार
18	27.08.2021	2880.00	श्री सुनील कुमार
19	27.08.2021	2400.00	श्री सुनील कुमार
20	11.08.2021	6785.00	श्री सुनील
21	03.10.2021	1920.00	श्री सुनील

22	03.10.2021	480.00	श्री सुनील
23	03.10.2021	1440.00	श्री सुनील
24	06.10.2021	1920.00	श्री सुनील
25	06.10.2021	960.00	श्री सुनील
26	25.07.2021	9750.00	श्री फुरकान
27	11.08.2021	6785.00	श्री फुरकान
28	27.08.2021	1300.00	श्री फुरकान
29	27.08.2021	1950.00	श्री फुरकान
30	27.08.2021	1625.00	श्री फुरकान
31	16.08.2021	1625.00	श्री फुरकान
32	03.10.2021	1300.00	श्री फुरकान
33	03.10.2021	975.00	श्री फुरकान
34	03.10.2021	325.00	श्री फुरकान
35	06.10.2021	1300.00	श्री फुरकान
36	06.10.2021	650.00	श्री फुरकान
37	25.07.2021	17600.00	श्री रवि
38	11.08.2021	18400.00	श्री रवि
39	27.08.2021	3400.00	श्री रवि
40	03.10.2021	3000.00	श्री रवि
41	03.10.2021	2400.00	श्री रवि
42	06.10.2021	3000.00	श्री रवि
43	06.10.2021	1800.00	श्री रवि
44	11.08.2021	6785.00	श्री जावेद
45	27.08.2021	4600.00	श्री जावेद
46	27.08.2021	4000.00	श्री जावेद
47	03.10.2021	1300.00	श्री जावेद
48	03.10.2021	1400.00	श्री जावेद
49	21.07.2021	6000.00	श्रीमती सोनिका
50	07.02.2022	6000.00	श्रीमती सोनिका
51	22.03.2022	6000.00	श्रीमती सोनिका
	योग	**173875.00**	

(25)ग्राम पंचायत का नाम- चकफेरी **वर्ष - 2021-22**

प्रस्तर-39- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु**0. 2683057.00 का** भुगतान किया गया है। भुगतानित धनराशि के सापेक्ष में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा कोई व्यय सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (बाउचर) कैशबुक इत्यादि अभिलेख बार-बार माँगने के उपरान्त भी उपलब्ध नही कराये गये। अतः लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत बैक स्टेटमेण्ट व ई-ग्राम स्वाराज के ऑनलाइन ऑकडो के आधार पर सम्पन्न की गयी। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा अलग-अलग फर्मो से ईंट/सीमेंट व अन्य मटेरियल आदि खरीद हेतु भुगतानित धनराशि(**रु 2123817.00**) की गयी है,जो व्यय प्रमाणक (बाउचर)को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है,के जीएसटी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नही के बिषय में भी संदिग्धता प्रतित होती है| अतः फर्म की जीएसटी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है| जिस प्रति विभागीय अधिकारियो के साथ-2 जीएसटी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती सावित्री से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	07.08.2021	21898.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
02	07.08.2021	25533.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
03	07.08.2021	61302.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
04	07.08.2021	24998.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
05	28.09.2021	71783.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
06	28.09.2021	60522.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
07	28.09.2021	34498.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
08	06.10.2021	26380.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
09	06.10.2021	39961.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
10	06.10.2021	49037.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स

11	06.10.2021	18442.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
12	13.10.2021	20359.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
13	13.10.2021	18843.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
14	13.10.2021	30907.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
15	13.10.2021	25422.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
16	21.11.2021	80480.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
17	04.12.2021	58314.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
18	04.12.2021	20226.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
19	24.03.2022	73522.00	आशीर्बाद राणा ट्रेडर्स
20	07.08.2021	16669.00	सैनी सीमेंट स्टोर
21	07.08.2021	4660.00	सैनी सीमेंट स्टोर
22	07.08.2021	5525.00	सैनी सीमेंट स्टोर
23	07.08.2021	3603.00	सैनी सीमेंट स्टोर
24	28.09.2021	16078.00	सैनी सीमेंट स्टोर
25	28.09.2021	7459.00	सैनी सीमेंट स्टोर
26	28.09.2021	3432.00	सैनी सीमेंट स्टोर
27	06.10.2021	4775.00	सैनी सीमेंट स्टोर
28	06.10.2021	3303.00	सैनी सीमेंट स्टोर
29	06.10.2021	5875.00	सैनी सीमेंट स्टोर
30	06.10.2021	4766.00	सैनी सीमेंट स्टोर
31	13.10.2021	26230.00	सैनी सीमेंट स्टोर
32	13.10.2021	23097.00	सैनी सीमेंट स्टोर
33	13.10.2021	3594.00	सैनी सीमेंट स्टोर
34	13.10.2021	3211.00	सैनी सीमेंट स्टोर
35	31.10.2021	160055.00	सैनी सीमेंट स्टोर
36	21.11.2021	46410.00	सैनी सीमेंट स्टोर
37	04.12.2021	5652.00	सैनी सीमेंट स्टोर
38	04.12.2021	2710.00	सैनी सीमेंट स्टोर
39	04.12.2021	62712.00	सैनी सीमेंट स्टोर
40	20.03.2022	96630.00	सैनी सीमेंट स्टोर
41	07.08.2021	6005.00	फोजी ब्रिक वर्कस
42	07.08.2021	7673.00	फोजी ब्रिक वर्कस
43	07.08.2021	9403.00	फोजी ब्रिक वर्कस
44	07.08.2021	10665.00	फोजी ब्रिक वर्कस
45	28.09.2021	25847.00	फोजी ब्रिक वर्कस
46	28.09.2021	6398.00	फोजी ब्रिक वर्कस

47	28.09.2021	12028.00	फोजी ब्रिक वर्कस
48	06.10.2021	7875.00	फोजी ब्रिक वर्कस
49	06.10.2021	10426.00	फोजी ब्रिक वर्कस
50	06.10.2021	5811.00	फोजी ब्रिक वर्कस
51	06.10.2021	7518.00	फोजी ब्रिक वर्कस
52	13.10.2021	26930.00	फोजी ब्रिक वर्कस
53	13.10.2021	21111.00	फोजी ब्रिक वर्कस
54	13.10.2021	6039.00	फोजी ब्रिक वर्कस
55	13.10.2021	5161.00	फोजी ब्रिक वर्कस
56	31.10.2021	10356.00	फोजी ब्रिक वर्कस
57	21.11.2021	75664.00	फोजी ब्रिक वर्कस
58	04.12.2021	10888.00	फोजी ब्रिक वर्कस
59	04.12.2021	9893.00	फोजी ब्रिक वर्कस
60	20.03.2022	9866.00	फोजी ब्रिक वर्कस
61	24.03.2022	2511.00	फोजी ब्रिक वर्कस
62	16.10.2021	6276.00	ए०एम०एस० एडबरटाईजिंग एजेंसी
63	07.02.2022	6274.00	ए०एम०एस० एडबरटाईजिंग एजेंसी
64	07.02.2022	6091.00	श्री प्रकाश एजेंसी
65	12.12.2021	5303.00	दैनिक पब्लिक एशिया
66	07.02.2022	6534.00	दैनिक पब्लिक एशिया
67	31.07.2021	34900.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
68	31.07.2021	46653.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
69	07.08.2021	7645.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
70	09.09.2021	19950.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
71	13.10.2021	36924.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
72	13.10.2021	42793.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
73	23.12.2021	19970.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
74	27.01.2022	19970.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
75	29.03.2022	19990.00	धानसिंह हैण्ड पम्प कांट्रेक्टर
76	19.02.2022	125500.00	आर० के० इलेक्ट्रिकल
77	27.01.2022	4953.00	डारेक्टर पंचायती राज
78	30.07.2021	27000.00	बालाजी एस० एच०जी०
79	24.03.2022	27000.00	बालाजी एस० एच०जी०
80	07.08.2021	47250.00	रोहित ट्रेडर्स
81	15.08.2021	4200.00	अफसर हिन्दुस्तान न्यूज़
82	22.11.2021	1200.00	उ०पी० पंचायत सामान्य लाभ निधि

83	28.01.2022	50500.00	सैनी सुपर शॉप
	योग	**2123817.00**	

प्रस्तर-40- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित **रु० 35060.00** ग्राम प्रधान श्रीमति सावित्री द्वारा स्वंय के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में बैक से आहरित किया गया है निम्नांकित आहरण किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना मे अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों मे न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अध्निियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती सावित्री से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
01	28.01.2022	24500.00	श्रीमती सावित्री
02	14.03.2022	10560.00	श्रीमती सावित्री
	योग	**35060.00**	

प्रस्तर-41- ग्राम पचांयत मे कराये गये कार्यों का अधिकाशंतः भुगतानित धनराशि **(रु0 524180.00)** को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरो के नाम से निम्नाकिंत दिनाकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस वावत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचयात आधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार (दिनांक 22.11.2022 को पत्र प्रेषित) मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पचांयत के वित एंव लेखा प्रवन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एंव खण्ड 8क तथा 8ख एंव उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः उक्त व्यय की गयी धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत **सचिव** श्री कपिल कुमार के साथ **ग्राम प्रधान** श्रीमती सावित्री से भी सामान रूप की जानी अपेक्षित है|

क्रम सं0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
01	09.08.2021	1475.00	श्री छोटेलाल
02	06.10.2021	1180.00	श्री छोटेलाल
03	06.10.2021	2360.00	श्री छोटेलाल
04	06.10.2021	980.00	श्री छोटेलाल
05	06.10.2021	1622.00	श्री छोटेलाल
06	13.10.2021	3540.00	श्री छोटेलाल
07	21.11.2021	3540.00	श्री छोटेलाल
08	20.03.2022	8287.00	श्री छोटेलाल
09	09.08.2021	1180.00	श्री किरनपाल
10	28.09.2021	4320.00	श्री किरनपाल
11	06.10.2021	3288.00	श्री किरनपाल
12	06.10.2021	1440.00	श्री किरनपाल
13	06.10.2021	3360.00	श्री किरनपाल
14	06.10.2021	2880.00	श्री किरनपाल
15	13.10.2021	1180.00	श्री किरनपाल
16	09.08.2021	4320.00	श्री डालचन्द
17	28.09.2021	2655.00	श्री डालचन्द
18	06.10.2021	2400.00	श्री डालचन्द
19	06.10.2021	1770.00	श्री डालचन्द
20	06.10.2021	885.00	श्री डालचन्द
21	06.10.2021	2360.00	श्री डालचन्द
22	13.10.2021	5280.00	श्री डालचन्द
23	21.11.2021	5760.00	श्री डालचन्द
24	20.03.2022	12000.00	श्री डालचन्द
25	09.08.2021	2400.00	श्री मोहनलाल
26	28.09.2021	1475.00	श्री मोहनलाल
27	06.10.2021	1327.00	श्री मोहनलाल
28	13.10.2021	3245.00	श्री मोहनलाल
29	21.11.2021	5760.00	श्री मोहनलाल
30	20.03.2022	8125.00	श्री मोहनलाल
31	13.10.2021	5605.00	श्री गनसी
32	04.12.2021	2360.00	श्री गनसी
33	04.12.2021	590.00	श्री गनसी
34	04.12.2021	4277.00	श्री गनसी
35	09.08.2021	1475.00	श्री राजेन्द्र

36	28.09.2021	4130.00	श्री राजेन्द्र
37	13.10.2021	5752.00	श्री राजेन्द्र
38	04.12.2021	3840.00	श्री राजेन्द्र
39	04.12.2021	960.00	श्री राजेन्द्र
40	04.12.2021	7200.00	श्री राजेन्द्र
41	24.03.2022	2600.00	श्री राजेन्द्र
42	09.08.2021	3381.00	श्री रामवीर
43	09.08.2021	8394.00	श्री रामवीर
44	15.09.2021	10500.00	श्री रामवीर
45	28.09.2021	5639.00	श्री रामवीर
46	28.09.2021	12133.00	श्री रामवीर
47	28.09.2021	6926.00	श्री रामवीर
48	06.10.2021	6035.00	श्री रामवीर
49	06.10.2021	4532.00	श्री रामवीर
50	06.10.2021	2013.00	श्री रामवीर
51	13.10.2021	3217.00	श्री रामवीर
52	13.10.2021	3692.00	श्री रामवीर
53	13.10.2021	13641.00	श्री रामवीर
54	13.10.2021	2833.00	श्री रामवीर
55	21.11.2021	7326.00	श्री रामवीर
56	04.12.2021	6148.00	श्री रामवीर
57	04.12.2021	2762.00	श्री रामवीर
58	24.03.2022	6851.00	श्री रामवीर
59	30.07.2021	4550.00	श्री राजवीर
60	07.08.2021	1475.00	श्री राजवीर
61	15.09.2021	4875.00	श्री राजवीर
62	28.09.2021	2400.00	श्री राजवीर
63	13.10.2021	1475.00	श्री राजवीर
64	21.11.2021	3540.00	श्री राजवीर
65	09.08.2021	1920.00	श्री संदीप
66	28.09.2021	7200.00	श्री संदीप
67	13.10.2021	9600.00	श्री संदीप
68	21.11.2021	5280.00	श्री संदीप
69	09.08.2021	4267.00	श्री राजकुमार
70	28.09.2021	2655.00	श्री राजकुमार
71	13.10.2021	1920.00	श्री राजकुमार

72	21.11.2021	3392.00	श्री राजकुमार
73	26.03.2022	2600.00	श्री राजकुमार
74	30.07.2021	4550.00	श्री रमेश
75	07.08.2021	1920.00	श्री रमेश
76	15.09.2021	4875.00	श्री रमेश
77	28.09.2021	1475.00	श्री रमेश
78	13.10.2021	1180.00	श्री रमेश
79	21.11.2021	3540.00	श्री रमेश
80	09.08.2021	2655.00	श्री महेन्द्र
81	28.09.2021	4130.00	श्री महेन्द्र
82	13.10.2021	1180.00	श्री महेन्द्र
83	21.11.2021	3245.00	श्री महेन्द्र
84	13.10.2021	2400.00	श्री महेश
85	21.11.2021	3540.00	श्री महेश
86	30.07.2021	4550.00	श्री योगेश कुमार
87	07.08.2021	1475.00	श्री योगेश कुमार
88	31.10.2021	7080.00	श्री योगेश कुमार
89	30.07.2021	10500.00	श्री सुनील
90	07.08.2021	3357.00	श्री सुनील
91	15.09.2021	10500.00	श्री सुनील
92	31.10.2021	6785.00	श्री सुनील
93	31.10.2021	11040.00	श्री सुरेश
94	30.07.2021	10500.00	श्री ब्रह्मनंदन
95	07.08.2021	1920.00	श्री ब्रह्मनंदन
96	15.09.2021	4550.00	श्री ब्रह्मनंदन
97	31.10.2021	6785.00	श्री ब्रह्मनंदन
98	31.10.2021	6785.00	श्री मति कलावती
99	04.12.2021	2507.00	श्री मति कलावती
100	04.12.2021	885.00	श्री मति कलावती
101	04.12.2021	4130.00	श्री मति कलावती
102	30.07.2021	4550.00	श्री खूबचंद
103	07.08.2021	1180.00	श्री खूबचंद
104	15.09.2021	4875.00	श्री खूबचंद
105	31.10.2021	6785.00	श्री खूबचंद
106	30.07.2021	4550.00	श्री राजपाल
107	07.08.2021	1475.00	श्री राजपाल

108	15.09.2021	4875.00	श्री राजपाल
109	31.10.2021	6785.00	श्री राजपाल
110	30.07.2021	4550.00	श्री कमल
111	07.08.2021	1421.00	श्री कमल
112	15.09.2021	4875.00	श्री कमल
113	31.10.2021	11040.00	श्री कमल
114	24.03.2022	3360.00	श्री कमल
115	31.10.2021	11040.00	श्री अमित
116	09.08.2021	2950.00	श्रीमती मिथलेश
117	09.08.2021	1475.00	श्री हरद्वारी
118	10.01.2022	6000.00	श्रीमती कविता
119	11.02.2022	6000.00	श्रीमती कविता
120.	14.03.2022	6000.00	श्रीमती कविता
	योग	**524180.00**	

जनपदः- बिजनौर

जनपदः- बिजनौर मण्डलः-मुरादाबाद

1.ग्राम पंचायतः- शेख सराय हबीव विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-1- जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत शेख सराय हबीव की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 724526.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण

रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका,त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है। वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है.

3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ‘‘ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 724526.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री नदीम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विनित कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-2-. मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 7.41 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7.41 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00, सामग्री मद में व्यय रु0 0.00 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.0 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण,

एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।
पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 7.41 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

2.**ग्राम पंचायतः- सरकथलपुर मिलक विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22**

प्रस्तर संख्या-3 जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत सरकथलपुर मिलक की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 727829.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।
यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

-वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माणकार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ‘‘ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव

समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 72782.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री सोरन सिंह पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-4- मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 15.46 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10.62 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.24 सामग्री मद में व्यय रु0 3.22 टैक्स रु० 0.39 प्रशासनिक खर्च रु० 0.0 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 15.46 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

3.ग्राम पंचायतः- सुजातपुर खादर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-5-जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत सुजातपुर खादर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली

हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 827099.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका,त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

2. वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माणकार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 827099.20 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री अशोक पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-6. मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 7.75 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6.00 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.3 सामग्री मद में व्यय रु0 1.3 टैक्स रु० 0.15 प्रशासनिक खर्च रु० 0.0 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न

लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 7.75 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

4. ग्राम पंचायतः- भगौड़ा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-7-जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत भगौड़ा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1497605.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं

निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
-वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 1497605.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमति मिथलेश पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।
प्रस्तर संख्या-8.मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 31.74 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 21.16 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.84 सामग्री मद में व्यय रु0 8.37 टैक्स रु० 0.64 प्रशासनिक खर्च रु० 0.73 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश
आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण,

एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।
पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 31.74 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

5.ग्राम पंचायतः- बमनौला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-9- जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत बमनौला की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1635171.20 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।
यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव

समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 1635171.20 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री टिंकू पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-10-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 35.08 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 15.89 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3.4 सामग्री मद में व्यय रु0 14.28 टैक्स रु० 1.51 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 35.89 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

6.ग्राम पंचायतः- जमालुद्दीनपुर विकास खण्ड- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-11- जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत- जमाजुद्दीनपुर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के

प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय अधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021.2022 में राज्य वितध् केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1537911.00 व्यय भुगतान किया गया है-लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं-जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है. यथा-

-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचयत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है इत्यादि की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यर्यो की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पेच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0, 2%ः इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है.

1 वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535 (व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यो का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के बिना नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3 -वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माणा कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें' तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोगध्केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रु0 1537911.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री गीता देवी एवं पंचायत सचिवध्ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मवीर सिंह द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके.

प्रस्तर संख्या-12-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022- मनरेगा मद में कुल रु० 18.66 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9.08 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु०0.54, सामग्री मद में व्यय रु0 8.05 टैक्स रु० 0.99 प्रशासनिक खर्च रु०00 लाख

दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंगव्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही. 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4- लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक-मनरेगा ध् पत्रांक सं0-240ध्495 ध् 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा-7 रजिस्टर, श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीयध्प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडरध्कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौलध्बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्टध्सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ०टी०ओ० का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है. पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः. धनराशि स्व 18.66 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए.ध जे.ई. ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिवध्ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

7. ग्राम पंचायतः- खानपुर खादर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-13जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत खानपुर खादर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 2262834.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं

निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 2262834.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री हरिसिंह पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-14-. मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 9.66 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6.79 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.11 सामग्री मद में व्यय रु0 1.86 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.68 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश
आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण,

एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।
पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 9.66 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.
8. ग्राम पंचायतः- शेखपुरी चौहड विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-15-जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत शेखपुररी चौहड की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1157293.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।
यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ‘‘ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी

उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 115729.20 आहरण कर ग्राम प्रधान श्रीमति बीना देवी पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-16 मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 11.93 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5.59 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 सामग्री मद में व्यय रु0 5.71 टैक्स रु० 0.64 प्रशासनिक खर्च रु० 0.68 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 9.66 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

9.ग्राम पंचायतः- जुझारूपुर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-17- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 21.57 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9.28 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.21, सामग्री मद में व्यय रु0 9.14 टैक्स रु० 1.26 प्रशासनिक खर्च रु० 0.68 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी।

प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है,

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी द्य अतः धनराशि रु0 21.57 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

10.ग्राम पंचायतः- ठेठ विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-18- जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत ठेठ की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1548565.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखापरीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदन/कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण

रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।
प्रस्तर संख्या-22- वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ''ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोगध्केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 1548565.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री कौशल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।
प्रस्तर संख्या-19मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 23.8 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु०17.38 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु०2.22, सामग्री मद में व्यय रु0 3.13 टैक्स रु० 0.39 प्रशासनिक खर्च रु०0.68 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश
आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना

अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 23.8 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

11.ग्राम पंचायतः- थुरैला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-20- जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत थुरेला की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा करने पर निम्न लिखित अपहरण/दुर्विनियोग/गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके के प्रति विभागीय उच्चाधिकारीयों का समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में दर्शित रु० 1635685.00 व्यय भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न लेखापरीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है।

यथा 1-स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, वर्क आई०डी०, एम0बी0, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमानपत्र, निर्माण कार्यों के समक्ष तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पैमाइश रजिस्टर, निर्माणकार्य सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसंपति रजिस्टर इत्यादि. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है की पुष्टि नहीं होती है ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्शित व्ययों की धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित ऑफलाइन बिलप्रमाणक एवं गॉडफाइल,, क्रय आदेश, डिलीवरी चालान, टेंडर/कुटेशन फाइल, कार्यवाही पुस्तिका, विभिन्न समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, चल-अचल संपत्ति रजिस्टर डिस्पैच एवं रिसीट रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, निरीक्षण रजिस्टर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनध्कार्य का भौतिक सत्यापन रजिस्टर, डैड स्टॉक रजिस्टर, आन्तरिक सम्प्रेक्षण रजिस्टर, भूमि प्रबंध समिति अभिलेख, आर्थिक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका, ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान देय पंजिका, त्रिस्तरीय डिजिटल फोटोग्राफ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं होती है साथ ही उपरोक्त के अभाव में एम0एम0-11 एवं रायल्टी भुगतान, 12% जी0एस0टी0,2% इनकमटैक्स, 1% लेवरसेस आदि की भी पुष्टि नहीं होती है।

- वितीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के नियम-535(व) के अनुसार प्रत्येक पैमाइश पुस्तिका रु० 50000.00 से ऊपर के कार्यों का अंतिम भुगतान बिना ऐ०ई० के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा. पुष्टि नहीं होती है. 3-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत नियम 422,423 के अनुसार निर्माणकार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं बाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी. इस प्रकार ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियां/अभिलेख नहीं हैं. अतः व्यय की पुष्टि नहीं होती है. पंचायतीराज वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ‘‘ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित सचिव समस्त व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा दौरान समय पर उपलब्ध करायें तथा इसके विपरीत यह भी उल्लिखित है कि पंचायतीराज वित्त एवं लेखा मेनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी. अतः ई-ग्राम स्वराज एकोउन्टिंग पोर्टल

पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग मद में दर्शित कुल रू0 1635685.00 आहरण कर ग्राम प्रधान श्री कौशल एवं पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री आशीष कुमार धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके ।

प्रस्तर संख्या-21-मनरेगा-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 मनरेगा मद में कुल रु० 11.35 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9.82 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.35, सामग्री मद में व्यय रु0 0.00 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु०0.0 लाख दर्शित है. लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी. इसके बाबजूद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए हैं लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे- 1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही। 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश

आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा /पत्रांक सं0-240/495/ 2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफ0टी0ओ0 का विवरण, एम० बी०, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरछित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी. अतः धनराशि रु० 11.35 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी.ए./ जे.ई, ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

12. ग्राम पंचायतः-बमनोली विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-22- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 27.93 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 17.73 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.8 सामग्री मद में व्यय रु0 8.39 टैक्स रु० 1.01 प्रशासनिक खर्च रु० 0.0 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. कृत कार्य के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो ग्राफ अप्राप्त रहें 2. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 3- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 4-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 5-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 6-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 7- लेखा परीक्षा को आंशका है कि ग्राम पंचायत में टी0संख्या शासनादेश ए0 730/33-3-2022-11/2022 पंचायत राज अनुभाग -3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश राज लेखा मेनुअल अध्याय 5 के बिन्दु ग के अनुसार प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यय स्वीकृति कर्ता व्यक्ति या प्राधिकारी लाभान्वित होता है तो ऐसे व्यय को कडाई से प्रतिवबंधित किया गया है इस प्रकार नियामों का उल्लघंन कर संगे संबधियो द्वारा फर्म गठित करके निर्माण कार्य में पक्के कार्यो में सामग्री क्रय दर्शाकर संगठित रूप से धन का अपहरण किया गया है 8-लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररौल तथा साम पंचायत का मनरेगा परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा. 9-लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे अभिलेखों के अभाव में धनराशि के अपहरण, अनियमिता व दुरुपयोग की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त याम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक -मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख यथा-रजिस्टर, श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशनका विवरण, समाचार पत्र मै प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, दितीय, तृतीय स्तर की), जीओ टेनिंग के फोटो ग्राफ्स. कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति, एफएटी०ओ० का विवरण, एम० बी० बुक अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरचित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) के अनुसार बिना व्यय के धनराशि अपहरण होगी। अतः धनराशि 27.93 27.93 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार, टी0ए0 सोनू कुमार/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

13. ग्राम पंचायतः-इस्माईलपुर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-23- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 24.3 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 19.77 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.43 सामग्री मद में व्यय रु0 3.67 टैक्स रु० 0.43 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल

मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 2430000.00 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 नृपेन्द्र सिंह/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

14. ग्राम पंचायतः-सुल्तानपुर खादर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-24- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 75.4 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 17.96 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9.77 सामग्री मद में व्यय रु0 43.21 टैक्स रु० 4.45 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

- मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 7540000.00 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 सत्यवीर

सिंह/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

15. ग्राम पंचायतः-बसेड़ी विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-25- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 20.68 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 15.45 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.92 सामग्री मद में व्यय रु0 3.91 टैक्स रु० 0.4 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 20.68 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 अतीब अयूब/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

16. ग्राम पंचायतः-मिर्जापुर बेला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-26- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 50.18 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 26.38 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3.45 सामग्री मद में व्यय रु0 17.97 टैक्स रु० 2.38 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री

के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 50.18 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 सोनू कुमार/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

17 ग्राम पंचायतः-भिडियाखेड़ा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-27- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 28.52 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 14.93 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.12 सामग्री मद में व्यय रु0 11.45 टैक्स रु० 1.35 प्रशासनिक खर्च रु० 0.68 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1.मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 28.52 लाख का

अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 सत्यवीर सिंह/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

18. ग्राम पंचायतः-लुहारपुरा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-28- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 29.72 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 19.12 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.16 सामग्री मद में व्यय रु0 8.1 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.47 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 29.72 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 अतीब अयूब/जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

19 ग्राम पंचायतः-रामपुर नजराना विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-29- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 18.59 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 10.67 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.3 सामग्री मद में व्यय रु0 5.08 टैक्स रु० 0.86 प्रशासनिक खर्च रु० 0.68 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6-मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टैंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 18.59 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

20. ग्राम पंचायतः-रवाना विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-30- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 87.32 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 6.51 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 63.12 सामग्री मद में व्यय रु0 7.27 टैक्स रु० 0.63 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टैंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है,

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 87.32 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

21. ग्राम पंचायतः-अहरौला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-31- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 17.53 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 13.66 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.45 सामग्री मद में व्यय रु0 2.98 टैक्स रु० 0.45 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 17.53 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

22. ग्राम पंचायतः-पीपलसाना विकास खण्डः-जलीलपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-32 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 28.84 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 11.72 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.7 सामग्री मद में व्यय रु0 13.89 टैक्स रु० 1.63 प्रशासनिक खर्च रु० 0.0 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी।

प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त - ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी द्य अतः धनराशि रु0 28.84 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

23. ग्राम पंचायतः-नसीबपुर विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या- 33-पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 239479.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	11.06.2021	88146.00	प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर क्रय।
2	01.11.2021	1000000.00	प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में सी.सी. निर्माण कार्य।
3	19.11.2021	51333.00	प्राथमिक विद्यालय फजलपुर में टाईल्सकरण कार्य।
	योग	2394479.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 239479.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सविता देवी, ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर राही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 598920.00व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	16.06.2021	88146.00	प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर क्रय।
2	28.07.2021	697200.00	जूनियर हाई स्कूल में फर्नीचर क्रय।
3	8.07.2021	69720.00	जूनियर हाई स्कूल में फर्नीचर क्रय।
4	19.11.2021	200000.00	प्राथमिक विद्यालय व आंगनवाड़ी में मरम्मत व टाईल्स कार्य।
	19.11.2021	51334.00	प्राथमिक विद्यालय फजलपुर में टाईल्सकरण कार्य।
6	03.02.2022	120000.00	जूनियर हाई स्कूल व पंचायत घर के सामने सी.सी. कार्य।
	योग	598920.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 598920.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सविता देवी, ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर राही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

24.ग्राम पंचायतः-फुलसन्दा हीरा विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-35 पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 171429.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	18.06.2021	27400.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण

2	26.08.2021	57529.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण
3	26.01.2022	31500.00	पंचायत घर में फर्नीचर क्रय।
4	19.02.2022	55000.00	पंचायत घर में रिपेयर व टाईलीकरण कार्य।
	योग	171429.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 171429.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री यशपाल सिहं, ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुलरू0 459147.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	11.06.2021	53100.00	आंगनवाडी केन्द्र में फर्नीचर क्रय।
2	11.06.2021	70800.00	आंगनवाडी केन्द्र में फर्नीचर क्रय।
3	11.06.2021	120247.00	जूनियर हाई स्कूल में शौचाालय रिपेयर कार्य।
4	26.08.2021	50000.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स व रिपेयर कार्य
5	22.10.2021	100000.00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्मार्ण
6	26.01.2022	65000.00	पंचायत घर में टाईल्सकरण कार्य।
	योग	459147.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 459147.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री यशपाल सिहं, ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायतः-कश्मीरी अबुनसीरपुर विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-37 पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 484217.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	09.09.2021	125806.00	प्राथमिक विद्यालय में मेन भवन के बरामदे में टाईलीकरण कार्य
2	09.09.2021	171907.00	प्राथमिक विद्यालय के आंगनवाडी व अतिरिक्त रूम में टाईलीकरण कार्य
3	09.09.2021	93451.00	प्राथमिक विद्यालय मेन रूम में टाईलीकरण कार्य
4	20.11.2021	90053.00	शमशान घाट निर्माण कार्य
	योग	481217.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 481217.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सुदेशा कुमारी ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 588777.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	09.09.2021	140000.00	प्राथमिक विद्यालय मेन रूम में टाईलीकरण कार्य
2	26.01.2021	275932.00	ग्रम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य
3	25.03.2022	131569.00	जू0हा0स्कूल के रूम में टाईलीकरण कार्य
4	29.03.2022	41276.00	पूर्व माध्यमिक विद्यालय कश्मीरी के रूम व बरामदे में टाईलीकरण कार्य
	योग	588777.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस

प्रकार उक्त धनराशि रु. 588777.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सुदेशा कुमारी ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-39- पन्द्रहवां केन्द्रीय वित आयोग योजना मद के ग्राम निधि खाता सं0 03650001000460670 से दिनांक 03.04.21 को रू0135614 एवं 94874 कुल योग रू0230488 आहरित कर कैश बुक में अंकन न करके धनराशि का अपहरण किया गयाह है। जिसकी वसूली तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रिंकू कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जनी अपेक्षित है

26.ग्राम पंचायतः-धनुपुरा अम्बर विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-40-पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 688690.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	21.09.2021	223426.00	प्राथमिक विद्यालय के बरामदें व आफिस में टाईलीकरण कार्य
2	04.10.2021	183207.00	प्राथमिक विद्यालय के किचन में टाईलीकरण कार्य व हैण्डवास निर्माण
3	13.12.2021	92437.00	सी0 सी0 रोड से भूरे के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण
4	01.02.2022	89645.00	प्रा0वि0 धनुपुरा अम्बर में फर्नीचर क्रय।
5	19.02.2022	99975.00	प्रा0वि0 अम्बरपुर जभर में टाईलीकरण कार्य।
	योग	688690.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 688690.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सुदेशा कुमारी ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 785610.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	21.09.2021	194471.00	प्राथमिक विद्यालय मेन रूम बरामदें व आफिस में टाईलीकरण कार्य
2	22.09.2021	190734.00	प्राथमिक विद्यालय के प्रागण में सी0सी0 निर्माण कार्य।
3	10.11.2021	115574.00	प्राथमिक विद्यालय के किचन व शौचालय में टाईलीकरण कार्य व हैण्डवास निर्माण
4	18.12.2021	64400.00	सोलर लाईट रिपेयर व बैटरी फिटिंग कार्य
5	18.12.2021	60000.00	सोलर लाईट रिपेयर व बैटरी फिटिंग कार्य
6	01.02.2022	160431.00	सी0सी0 रोड से नीलू के घर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।
	योग	785610.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु.785610.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति सुदेशा कुमारी ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

27.ग्राम पंचायतः-महमूदपुर बुजुर्ग विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-42-पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 800197.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	10.11.2021	184471.00	गुन्नु के घर से समसुददीन के घर से सी0सी0 रोड व नाली निर्माण
2	10.11.2021	443055.00	प्राथमिक विद्यालय के कमरों में टाईलीकरण कार्य

3	28.01.2022	56671.00	पंचायत घर में फर्नीचर क्रय।
4	14.02.2022	116000.00	प्रा0वि0 वाजिदपुर में शौचालय रिपेयर टाईल्स व हैण्डवास निर्माण
	योग	800197.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 800197.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री खलील अहमद एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सैनी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 361581.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	08.12.2021	159117.00	खलील के घर से फारूख के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण
2	14.12.2021	60700.00	प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य।
3	14.03.2022	37208.00	गौशाला में पाइप व गेट निर्माण कार्य
4	24.03.2022	45000	गौशाला में भूसा क्रय का भुगतान
5	30.03.2022	59556.00	पंचायत घर में कम्प्यूटर क्रय का भुगतान
	योग	361581.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 361581.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री खलील अहमद एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सैनी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

28.ग्राम पंचायतः-फुलसन्दा खाकम विकास खण्डः- नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-44 -पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 598394.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	26.07.2021	161414.00	जू0हा0स्कूल मे किचन शेड निर्माण।
2	02.08.2021	28080.00	हैण्डपम्प रिपेयर।
3	03.09.2021	73227.00	प्रा0वि0 विकलांग शौचालय का निर्माण।
4	20.09.2021	155000.00	प्रा0वि0 के कमरों में टाईलीकरण कार्य
5	14.02.2022	53900.00	जू0हा0स्कूल के रूम में टाईलीकरण कार्य
6	14.02.2022	66773ः00	सामुदायिक उपकेन्द्र में टाईल्स व रिपेयर कार्य।
7	21.02.2022	60000.00	आंगनवाडी केन्द्र मे टाईलीकरण कार्य
8	योग	598394.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 598394.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति किरन देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 361581.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	26.05.2021	181936.00	नसीर के घर से नौसाद के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य
2	04.08.2021	38360.00	प्राईमारी स्कूल में हैण्डवास निर्माण कार्य
3	20.09.2021	53663.00	प्राईमारी स्कूल में टाइल्स कार्य व हैण्डवास निर्माण कार्य
4	20.09.2021	46143.00	प्राथमिक विद्यालय में सी0सी0 एवं टाइल्स निर्माण कार्य
5	20.09.2021	177755.00	प्राईमारी स्कूल में कमरों में टाइल्स निर्माण कार्य

6	27.10.2021	159969.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य।
7	14.02.2022	145000.00	जू0हा0स्कूल के रूम में टाईलीकरण कार्य
8	14.02.2022	87400.00	केतवाली मार्ग से अयूब के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य
9	14.02.2022	75030.00	प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर क्रय
		965256.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 965256.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति किरन देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विशेष कुमार से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

29.ग्राम पंचायतः-फरीदाबाद विकास खण्डः-नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-46-पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 189128.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथाा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	1705.2021	55300.00	इकराम के घर से शकील के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य
2	17.05.2021	72742.00	मेन रोड से जहीरूददीन के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य
3	26.11.2021	47629.00	प्रा0वि0 के बरामदे में फर्श का निर्माण कार्य।
4	29.01.2022	13457.0	उ0प्रा0वि0 के कमरों में टाईलीकरण कार्य
	योग	189128.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस

प्रकार उक्त धनराशि रु 189128.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री फरमान अंसारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर रीही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 648713.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	24.05.2021	155279.00	शरीफ के घर से समशेर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य
2	24.05.2021	144741.00	मेन रोड से जहीरूददीन के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य
3	29.07.2021	98572.00	जू0हा0स्कूल की रसोई व शौचालय रूम में टाईलीकरण कार्य
4	24.09.2021	150121.00	जू0हा0स्कूल मे विकलांग शौचालय निर्माण कार्य
5	28.01.2022	100000.00	उ0प्रा0 विद्यालय के कमरो व आफिस मं टाईलीकरण कार्य
	योग-	648713.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 648713.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री फरमान अंसारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर रीही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

30.ग्राम पंचायतः-बुढपुर विकास खण्डः-नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर 48 आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रू0 1682000.00 व्यय किये गये है। जिसमें अकुशल मजदूरी रूपये 754000,अर्धकुशल मजदूरी रू0 87000,सामग्री पर व्यय रूपये 774000 टैक्स रू0 00, प्रशासनिक व्यय रू0 68000 है। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा- प्रस्ताव संख्या,तकनिकी एवं वित्तीय स्तीकुति,क्रय सामग्री का बिल कोटेशन,सप्लाई आर्डर,आयकर जमाख् क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकाये, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पुतिग् प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जांब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश, बुक, डे बुक, प्रस्तुत नही किया गया।

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय केसापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली

जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 1682000.00की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमती नाजमा खतून, ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सैनी तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

31.ग्राम पंचायतः-सलेमपुर विकास खण्डः-नहटौर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-49 आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रू0 750000.00 व्यय किये गये है। जिसमें अकुशल मजदूरी रूपये 658000,अर्धकुशल मजदूरी रू0 24000, सामग्री पर व्यय रू0-00, टैक्स रू0 00 , प्रशासनिक व्यय रू0 64000 है। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त वयय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव संख्या,तकनिकी एवं वित्तीय स्तीकृति, क्रय सामग्री का बिल,कोटेशन,सप्लाई आर्डर, आयकर जमा, क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकाये, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका कार्य पुति प्रमाण पत्र निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जाब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश बुक, प्रस्तुत नही किया गया।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये वयय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नही होते है तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 75000 की वसूली तम्कालिन प्रधान श्री मनीराम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर राही तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित हे।

प्रस्तर-50 -पंचम राज्य वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 658289.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	04.05.2021	89022.00	प्राथमिक विदयालय में विकलांग शौचालय का निर्माण कार्य
2	24.05.2021	16400.00	प्राथमिक विदयालय में फर्नीचर क्रय।
3	25.05.2021	120734.00	प्राथमिक विदयालय के कमरों में टाईल्सकरण कार्य
4	15.09.2021	180567.00	प्राथमिक विदयालय के कमरों में टाईल्सकरण कार्य
5	11.10.2021	84960.00	प्राथमिक विदयालय व जूनियर हाई स्कुन में फर्नीचर क्रय
6	16.11.2021	109935.00	पंचायत घर में बांउड्रीवाल मरम्मत कार्य
7	28.03.2022	56671.00	प्ंचायत घर में फर्नीचर क्रय।
	योग-	658289.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 658289.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मनीराम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर राही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 -पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त आयोग योजना मद से कुल रू0 886423.00.00 व्यय की गई धनराशि की पुष्ठि में व्यय प्रमाणक यथा प्रस्ताव वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणक पत्र, सामग्री का क्रय बिल, मस्टर रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नांकित हैः-

क्र0सं0	दिनांक	व्यय धनराशि	विवरण
1	24.08.2021	202374.00	सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।
2	15.09.2021	191003.00	पंचायत घर में टाईल्सकरण कार्य।
3	11.10.2021	320152.00	ज्ुनियर हाई स्कूल में टाईल्सकरण कार्य सामुदायिक शैचालय पर समरसेबुल व लाइट फिटिंग कार्य
4	31.01.2022	75900.00	सामुदायिक शैचालय पर समरसेबुल
5	31.01.2022	96994.00	पंचायत घर में रंगाई पोताई व लाइट फिटिंग कार्य।
		886423.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 886423.00.की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री मनी राम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दीप अमर रीही से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

32.ग्राम पंचायतः- विशनपुरा विकास खण्डः- बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-52 आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रुपये 18100000.00(रूपये अठारह लाख दस हजार रूपये मात्र) व्यय किये गये हैं। जिसमें अकुशल मजदूरी रुपये 1599000.00 अर्धकुशल मजदूरी रुपये 48000.00 सामग्री पर व्यय रुपये 106000.00 टैक्स रुपये 27000.00 प्रशासनिक व्यय रु.31000.00 हैं। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा- क्रय सामग्री का बिल, कोटेशन, सप्लाई आर्डर, आयकर जमा, क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकायें, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र,

निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जॉब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्रस्तुत नहीं किया गया।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 18100000.00(रूपये अठारह लाख दस हजार रूपये मात्र) की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति प्रियंका, ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

33.ग्राम पंचायतः- गैंडाजूड़ विकास खण्डः- बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2021-22
प्रस्तर संख्या-53 आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रुपये 1482000.00 व्यय किये गये हैं। जिसमें अकुशल मजदूरी रुपये 1365000.00 अर्धकुशल मजदूरी रुपये 8000.00 सामग्री पर व्यय रुपये 15000.00 टैक्स रुपये 1000.00 प्रशासनिक व्यय रु. 94000.00 हैं। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा- क्रय सामग्री का बिल, कोटेशन, सप्लाई आर्डर, आयकर जमा, क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकायें, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जॉब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्रस्तुत नहीं किया गया।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 1482000.00 की वसूली तत्कालिन प्रधान श्रीमति रेनू रानी, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमति कंचन तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

34.ग्राम पंचायतः- हुसैनपुर कला विकास खण्डः- बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-54 -निम्नलिखित निर्माण व मरम्मत कार्य पर व्यय की गई कुल धनराशि रू 273783.00 की पुष्टि में प्रस्ताव, वित्तीय व तकनिकी स्वीकृति,प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री क्रय बिल, मस्टश्र रोल, कोटेशन, टेण्डर व अन्य व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

क्रमांक	दिनांक वाउचर नं.	व्यय धनराशि	विवरण
1	13.01.2022 पांचवां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी /5	17180.00	ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प रिपेयर
2	13.12.2021 पंद्रहवा वित्त आयोग /2021-22/पी /6	53815.00	प्रइमरी स्कुल में हैण्ड पम्प रिबोर
3	13.12.2021 पांचवां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/75	52788.00	निहाल सिंह के खेत पर हैण्ड पम्प रिबोर।
4	13.12.2021 पांचवां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी	100000.00	समुदायिक शौचालय निर्माण का भुगतान

	/8		
5	28.01.2022 पांचवां राज्य वित्त आयोग /2021-22/पी/10	50000.00	समुदायिक शौचालय निर्माण का भुगतान
	योग-	273783.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 273783.00की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री राहिल, ग्राम विकास अधिकारी श्री कृपाल सिंह तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-55 -आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रुपये 1629000.00 व्यय किये गये हैं। जिसमें अकुशल मजदूरी रुपये 1629000.00, अर्धकुशल मजदूरी रुपये 00, सामग्री पर व्यय रुपये 00, टैक्स रुपये 00, प्रशासनिक व्यय रु.00 हैं। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा- क्रय सामग्री का बिल, कोटेशन, सप्लाई आर्डर, आयकर जमा, क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकायें, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जॉब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्रस्तुत नहीं किया गया।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 1193000.00 (रुपये ग्यारह लाख तिरानबे हजार मात्र) की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री राहिल, ग्राम विकास अधिकारी श्री कृपाल सिंह तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है।

35.ग्राम पंचायतः- मेवा नवादा विकास खण्डः-बुढ़नपुर स्योहारा वर्षः- 2021-22

प्रस्तर संख्या-56 - आलोच्य वर्ष में मनरेगा पर कुल रुपये 1193000.00 व्यय किये गये हैं। जिसमें अकुशल मजदूरी रुपये 145000, अर्धकुशल मजदूरी रुपये 00, सामग्री पर व्यय रुपये 13000, टैक्स रुपये 00, प्रशासनिक व्यय रु.35000 हैं। जबकि लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना में उक्त व्यय धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक यथा- क्रय सामग्री का बिल, कोटेशन, सप्लाई आर्डर, आयकर जमा, क्रय सामग्री का स्टाक पंजिका, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं पंजिकायें, मस्टर रोल, प्राकलन, माप पुस्तिका, कार्य पुर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, सृजित सम्पत्ति की परिसम्पत्ति पंजिका, रोजगार के लिये पंजिकरण पंजिका, जॉब कार्ड इश्यू पंजिका, आय व्यय का विवरण तथा कैश बुक, डे बुक, प्रस्तुत नहीं किया गया।
पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 1193000.00 (रुपये ग्यारह लाख तिरानबे हजार मात्र) की वसूली तत्कालिन प्रधान श्री राहिल, ग्राम विकास अधिकारी श्री कृपाल सिंह तथा माप करने वाले तकनिकी सहायक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

36. ग्राम पंचायतः-बमनोला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-57 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,51,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,48,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.40 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.39 लाख, टैक्स रु० 0.34 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 19,51,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.40 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.19,51,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

37. ग्राम पंचायतः-हीमपुर प्रिथ्या विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-58 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,82,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,31,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.33 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.17 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,82,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.33 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,82,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

38. ग्राम पंचायतः-धमरोली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-59 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,27,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,83,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.43 लाख, टैक्स रु० 0.23 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 5,27,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,27,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

39. ग्राम पंचायतः-टंगरोला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या 60- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,42,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,55,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.07 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.05 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 4,42,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,42,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

40. ग्राम पंचायतः-रोशनपुर जागीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-61- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 1,29,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,29,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 1,29,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.1,29,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

41. ग्राम पंचायतः-नगली जाजू विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-62- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,25,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,77,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.21 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.38 लाख, टैक्स रु० 0.13 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 10,25,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.21 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,25,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

42. ग्राम पंचायतः-पोटी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-63- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 43,16,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,42,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3.72 लाख तथा सामग्री मद में रु० 21.53 लाख, टैक्स रु० 2.73 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 43,16,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 3.72 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.43,16,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

43. ग्राम पंचायतः-पूरनपुर नंगला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-64- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,55,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,26,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.48 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.05 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 9,55,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.48 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,55,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

44. ग्राम पंचायतः-गोयली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-65- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,84,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,73,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.11 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,84,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.11 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,84,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

45. ग्राम पंचायतः-मुराहट विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-66- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 28,11,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 20,63,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.94 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.98 लाख, टैक्स रु० 0.56 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 28,11,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.94 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.28,11,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

46.ग्राम पंचायतः-नूरपुर देहात उर्फ टेहरी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-67- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 23,05,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,38,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.59 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.27 लाख, टैक्स रु० 0.82 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 23,05,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.59 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.23,05,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

47. ग्राम पंचायतः-नैनू नगला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-68- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,81,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,02,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 3,81,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,81,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

48. ग्राम पंचायतः-पैजनिया विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-69- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 17,34,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 15,54,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.77 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.93 लाख, टैक्स रु० 0.10 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 17,34,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.77 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.17,34,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

49. ग्राम पंचायतः-रहेटा जागीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-70- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 18,40,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 17,64,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 18,40,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.18,40,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

50. ग्राम पंचायतः-आजमपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-71- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,51,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,48,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.23 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.05 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 4,51,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.23 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,51,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

51.ग्राम पंचायतः- रहेटा बिल्लोच विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-72- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,92,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,75,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.16 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.24 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 6,92,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.16 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,92,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

52. ग्राम पंचायतः-रामोरूपपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या 73- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 21,18,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,34,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.31 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.18 लाख, टैक्स रु० 0.67 लाख प्रशा० 0.68 लाख कुल व्यय रु०. 21,18,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.31 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.21,18,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
53. ग्राम पंचायतः-राहूनंगला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-74- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 13,78,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,11,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.80 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.00 लाख, टैक्स रु० 0.11 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 13,78,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.80 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.13,78,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
54. ग्राम पंचायतः-दरियापुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-75- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,23,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,02,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.68

लाख कुल व्यय रु०. 9,23,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.21 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,23,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही

55. ग्राम पंचायतः-धारूपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-76- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,91,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,58,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.05 लाख, टैक्स रु० 1.25 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 16,91,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,91,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

56 ग्राम पंचायतः-धोलागढ़ विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-77- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,26,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,37,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.20 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.62 लाख, टैक्स रु० 0.07 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 4,26,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.20 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,26,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

57. ग्राम पंचायतः-चेलापुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-78- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,54,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,63,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.78 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.12 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 7,54,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.78 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,54,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

58. ग्राम पंचायतः- नायक नंगला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-79 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,10,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,35,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.76 लाख प्रशा० 0.68 लाख कुल व्यय रु०. 5,10,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,10,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

59. ग्राम पंचायतः- अराजी भैंसा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-80 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 18,79,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,07,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.49 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.25 लाख, टैक्स रु० 0.63 लाख प्रशा०

0.00लाख कुल व्यय रु०. 18,79,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.49 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.18,79,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

60. ग्राम पंचायतः-भैंसा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-81- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 28,33,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,23,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2.30 लाख तथा सामग्री मद में रु० 15.29 लाख, टैक्स रु० 1.75 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 21,18,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 2.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.28,33,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

61. ग्राम पंचायतः-आलियापुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-82 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 30,77,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 17,23,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.65 लाख तथा सामग्री मद में रु० 10.09 लाख, टैक्स रु० 1.10 लाख प्रशा० 0.71 लाख कुल व्यय रु०. 21,18,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.65 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) ज) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे

उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.30,77,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

62. ग्राम पंचायतः-चहेला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-83- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,64,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,84,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.04 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 5,64,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.04 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,64,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

63.ग्राम पंचायतः-भवानीपुर कालिया विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-84- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,26,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,83,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.24 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.18 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,26,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.24 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,26,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
64. ग्राम पंचायतः- हसनपुर बिलोच्च विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-85- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,88,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,60,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.04 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.91 लाख, टैक्स रु० 0.18 लाख प्रशा० 0.16 लाख कुल व्यय रु०. 15,88,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.04 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,88,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

65. ग्राम पंचायतः-बसंतपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-86 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,56,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,50,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.36 लाख तथा सामग्री मद में रु० 10.59 लाख, टैक्स रु० 1.36 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 20,56,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.36 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.20,56,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

66.ग्राम पंचायतः-कमालुद्दीनपुर हुसेन विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या- 87लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,76,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,98,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.01 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.44 लाख, टैक्स रु० 1.33 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 15,76,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.01 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,76,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

67. ग्राम पंचायतः- अथाई अहीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-88- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,31,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,69,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.37 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.15 लाख, टैक्स रु० 0.11 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 9,31,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.37 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,31,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

68. ग्राम पंचायतः-धुधली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-89- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,34,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,46,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.08 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.05 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 5,34,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,34,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

69. ग्राम पंचायतः-फतेहाबाद विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-90- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 12,39,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,71,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.65 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.16 लाख, टैक्स रु० 0.87 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 12,39,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.65 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.12,39,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

70 ग्राम पंचायतः-अब्दुल्लापुर डहाना विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-91- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,13,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,41,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.13 लाख तथा सामग्री मद में रु० 5.98 लाख, टैक्स रु० 0.61 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 20,13,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.20,13,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

71. ग्राम पंचायतः-मंडोर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-92 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,93,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,86,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.55 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.48 लाख, टैक्स रु० 0.05 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,93,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.55 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,93,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

72. ग्राम पंचायतः-मरमकदूमपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-93- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 25,60,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,25,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 17.32 लाख, टैक्स रु० 1.98 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 25,60,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.25,60,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

73. ग्राम पंचायतः-महमदाबाद विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-94- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,54,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,32,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.22 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,54,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.22 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,54,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

74. ग्राम पंचायतः-ढेला अहीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-95 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 14,84,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,46,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.53 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.47 लाख, टैक्स रु० 0.37 लाख प्रशा० 0.00लाख कुल व्यय रु०. 14,84,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.53 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.14,84,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

75. ग्राम पंचायतः-मंझोला गुज्जर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-96- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 1,71,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,62,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 1,71,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.1,71,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

76. ग्राम पंचायतः-मालवा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-97- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 49,98,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,08,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3.78 लाख तथा सामग्री मद में रु० 31.17 लाख, टैक्स रु० 3.95 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 49,98,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 3.78 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.49,98,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

77. ग्राम पंचायतः-महमूद नाशो विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-98 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,19,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,42,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.89 लाख, टैक्स रु० 0.12 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 4,19,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,19,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

78. ग्राम पंचायतः-फजलपुर ढाकी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-99- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,84,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,08,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.49 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.27 लाख, टैक्स रु० 0.24 लाख प्रशा० 0.75 लाख कुल व्यय रु०. 10,84,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.49 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,84,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

79. ग्राम पंचायतः-कुंडा खुर्द विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-100 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,41,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,33,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.18 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,41,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.18 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,41,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

80. ग्राम पंचायतः-बूचानांगल विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-101- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 1,96,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,88,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.68 लाख कुल व्यय रु०. 1,96,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.1,96,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

81. ग्राम पंचायतः-चहेली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-102- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 2,65,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,84,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.05 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 2,65,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.2,65,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

82. ग्राम पंचायतः-अफजलपुर बल्दानी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-103 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,14,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,82,000.00 कुशल

मजदूरी पर व्यय रु० 0.12 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.19 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 2,65,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,14,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

83. ग्राम पंचायतः-युसुफा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-104- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,54,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,30,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.54 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.84 लाख, टैक्स रु० 0.10 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 11,54,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.54 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,54,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

84. ग्राम पंचायतः-उमरा बड़ी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-105- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 18,58,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,74,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.65 लाख तथा सामग्री मद में रु० 7.62 लाख, टैक्स रु० 0.58 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 18,58,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.65 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.18,58,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

85. ग्राम पंचायतः-उमरा बुजुर्ग विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-106- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,68,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,74,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.26 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.46 लाख, टैक्स रु० 0.18 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,68,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.26 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,68,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

86. ग्राम पंचायतः-सूनगढ़ विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-107- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 22,66,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,41,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.44 लाख तथा सामग्री मद में रु० 9.46 लाख, टैक्स रु० 1.34 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 22,66,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.44 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.22,66,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

87. ग्राम पंचायतः- सुजातपुर टीकर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-108- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,50,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,89,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.75 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.01 लाख, टैक्स रु० 0.10 लाख प्रशा०

0.76लाख कुल व्यय रु०. 10,50,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.75 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,50,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

88. ग्राम पंचायतः-शिवाला कला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-109 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,36,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,57,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.04 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 3,36,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.04 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,36,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

89. ग्राम पंचायतः-झुजैला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-110- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,65,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,76,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.13 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 6,65,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे

उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,65,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

90. ग्राम पंचायतः-मिर्जापुर ढिकली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-111 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 17,76,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,92,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.65 लाख तथा सामग्री मद में रु० 7.37 लाख, टैक्स रु० 0.82 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 17,76,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.65 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.17,76,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

91. ग्राम पंचायतः-कन्हड़ी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-112- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,06,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,83,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.22 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,06,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.22 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,06,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

92. ग्राम पंचायतः-छजुपुरा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-113- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 22,00,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 17,49,000.00 कुशल

मजदूरी पर व्यय रु० 1.45 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.73 लाख, टैक्स रु० 0.33 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 22,00,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.45 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.22,00,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

93. ग्राम पंचायतः-पाहुली विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-114- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,97,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,67,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.06 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.45 लाख, टैक्स रु० 0.03 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 3,97,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.06 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,97,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

94.ग्राम पंचायतः-पीपला जागीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-115- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,21,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 13,97,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.02 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.25 लाख, टैक्स रु० 0.39 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 19,21,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.02 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.19,21,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

95. ग्राम पंचायतः-जमालपुर कीरत विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-116- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,10,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,31,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.69 लाख तथा सामग्री मद में रु० 5.70 लाख, टैक्स रु० 0.65 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 15,10,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.69 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,10,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

96.ग्राम पंचायतः-अथाई जमालुद्दीन विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-117- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,52,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,37,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.61 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.23 लाख, टैक्स रु० 0.31 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 15,52,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.61 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,52,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

97. ग्राम पंचायतः-बल्दाना सफीपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-118- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,44,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,27,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.18 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 6,44,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.18 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,44,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

98. ग्राम पंचायतः-पोटा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-119- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 28,04,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,86,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.98 लाख तथा सामग्री मद में रु० 14.56 लाख, टैक्स रु० 1.64 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 28,04,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.98 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.28,04,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

99. ग्राम पंचायतः-कासमपुर बिलोच्च विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-120- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,02,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,29,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.48 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.05 लाख, टैक्स रु० 0.20 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 8,02,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.48 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.8,02,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

100. ग्राम पंचायतः-गाजीपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-121- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,10,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,02,000.00 कुशल

मजदूरी पर व्यय रु० 0.09 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,10,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,10,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

101. ग्राम पंचायतः-सेला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-122 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,54,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,75,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.67 लाख तथा सामग्री मद में रु० 10.18 लाख, टैक्स रु० 1.18 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 19,54,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.67 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.19,54,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

102. ग्राम पंचायतः-सेमला विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-123- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,30,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,62,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.96 लाख तथा सामग्री मद में रु० 5.39 लाख, टैक्स रु० 0.58 लाख प्रशा० 0.76लाख कुल व्यय रु०. 20,30,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.96 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.20,30,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

103. ग्राम पंचायतः- शहदपुर गुलाल विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-124- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 28,72,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,26,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2.46 लाख तथा सामग्री मद में रु० 12.50 लाख, टैक्स रु० 1.50 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 28,72,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.01 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.28,72,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

104. ग्राम पंचायतः-सदनपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-125- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,44,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,85,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.74 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.39 लाख, टैक्स रु० 0.46 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 7,44,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.74 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,44,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

105. ग्राम पंचायतः-गोपालपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-126- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,39,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,20,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.24 लाख, टैक्स रु० 0.16 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 6,39,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,39,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

106. ग्राम पंचायतः-टंण्डेरा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-127- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,87,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,11,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 5,87,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,87,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

107. ग्राम पंचायतः-खासपुरा विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-128- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.11,30,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,24,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.20 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.44 लाख, टैक्स रु० 0.42 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 11,30,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.20 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,30,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

108. ग्राम पंचायतः-किरतपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-129- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.15,64,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,48,000.00 कुशल

मजदूरी पर व्यय रु० 0.84 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.95 लाख, टैक्स रु० 0.62 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 15,64,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.01 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,64,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

109. ग्राम पंचायतः- फजलपुर हुसैन विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-130- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.13,55,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,27,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.68 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.56 लाख, टैक्स रु० 0.28 लाख प्रशा० 0.76 लाख कुल व्यय रु०. 13,55,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.68 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.13,55,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

110. ग्राम पंचायतः-मोरना विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-131 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.7,98,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,20,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.19 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.53 लाख कुल व्यय रु०. 7,98,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,98,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

111. ग्राम पंचायतः-लिण्डरपुर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-132 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.74,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 72,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.02 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 74,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.02 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.74,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
112. ग्राम पंचायतः-खजूरी विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-133- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.11,67,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,77,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.86 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.48 लाख, टैक्स रु० 0.57 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 11,67,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.86 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,67,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

113. ग्राम पंचायतः-रोशनपुर जागीर विकास खण्डः- नूरपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-134 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 1,29,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,29,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 1,29,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.1,29,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

114. ग्राम पंचायतः-करोली विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-135 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,76,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,20,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.70 लाख, टैक्स रु० 0.08 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 5,76,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,76,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

115. ग्राम पंचायतः-अहमदपुर सादात विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-136 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,42,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,55,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु००.०१ लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० ०.०० लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 5,42000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 5,42,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

116 ग्राम पंचायतः-हकीमपुर काजी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-137 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,18,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,80,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.38 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 8,18,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 5,42,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

117. ग्राम पंचायतः-जीतपुर खास विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-138 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,85,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,71,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.01 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.85 लाख, टैक्स रु० 0.29 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 9,85,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 59,85,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

118. ग्राम पंचायतः-समीपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-139 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,44,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 19,42,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.24 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 20,44,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 20,44,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

119. ग्राम पंचायतः-सदातपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-140 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 12,56,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,00,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.22 लाख, टैक्स रु० 0.53 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 12,56,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 12,56,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एव ंवैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

120. ग्राम पंचायतः-दहीरपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-141 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 1015,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,02,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.14 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 10,15,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 10,15,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

121. ग्राम पंचायतः-फतेहुल्लापुर दर्ग विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-142- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 25,59,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,16,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 13.73 लाख, टैक्स रु० 1.59 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 25,59,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 25,59,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

122. ग्राम पंचायतः-गंगुवाला विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-143- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,15,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,58,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.08 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.41 लाख, टैक्स रु० 0.31 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 11,15,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 11,15,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

123. ग्राम पंचायतः-इससेयपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-144- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 21,94,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,84,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.36 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.5.95 लाख, टैक्स रु० 0.78 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 21,94,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 21,94,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

124 ग्राम पंचायतः-अलावलपुर नेनू विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-145- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 22,21,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,37,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.40 लाख तथा सामग्री मद में रु० 14.94 लाख, टैक्स रु० 1.50 लाख प्रशा०

0.00 लाख कुल व्यय रु०. 22,21,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.40 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 22,21,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

125. ग्राम पंचायतः-गाजीपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-146- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,37,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,59,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 6,37.000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 6,37,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही

126. ग्राम पंचायतः-हरचंदपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-147- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,41,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,85,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.13 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.40 लाख, टैक्स रु० 0.25 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.10,41,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.13 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 10,41,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

127 ग्राम पंचायतः-बिजौरी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-148- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,13,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,49,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.79 लाख तथा सामग्री मद में रु० 5.33 लाख, टैक्स रु० 0.73 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 19,13,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.79 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 19,13,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

128 ग्राम पंचायतः-धनसिनी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-149- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 13,67,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,28,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.40 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.72 लाख, टैक्स रु० 0.49 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 13,67,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.40 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 13,67,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

129.ग्राम पंचायतः-धनौरा(ततारपुर लालू) विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-150- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,40,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,58,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.04 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 3,40,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.04 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 3,40,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एव वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

130. ग्राम पंचायतः-चंदोक विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-151- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,11,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,27,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 8,11,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 8,11,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

131. ग्राम पंचायतः-सराय आलम विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-152- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,33,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,28,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.63 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.16 लाख, टैक्स रु० 0.47 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 19,33,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.63 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 19,33,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एव ंवैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

132. ग्राम पंचायतः-दिनोरा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-153- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 14,58,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,21,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.01 लाख, टैक्स रु० 0.37 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 2,14,58,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 14,58,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

133. ग्राम पंचायतः-हरेवली विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-154- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 14,33,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,48,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.53 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.15 लाख, टैक्स रु० 0.38 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 14,33,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 14,33,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।

134. ग्राम पंचायतः-जालपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-155 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,62,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,81,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 7,62,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 7,62,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

135. ग्राम पंचायतः-ज्वालीलाला विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-156- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 23,00,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,37,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.82 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.37 लाख, टैक्स रु० 0.66 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 23,00,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.82 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 23,00,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

136. ग्राम पंचायतः-कामगारपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-157- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 13,37,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 13,13,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.24 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 13,37,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.24 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 13,37,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवंवैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

137. ग्राम पंचायतः-असदुल्लपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-158 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,98,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,20,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78

लाख कुल व्यय रु०. 6,98,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०. 6,98,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

138. ग्राम पंचायतः-अमानुल्लपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-159- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,23,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,98,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6.32 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.85 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.11,23,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,23,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

139. ग्राम पंचायतः-गजरौला विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-160 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,36,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,64,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.50 लाख, टैक्स रु० 1.12 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०.15,36,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,36,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

140. ग्राम पंचायतः-भागुवाला विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-161- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,97,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,40,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.68 लाख, टैक्स रु० 0.10 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 9,97,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,97,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

141. ग्राम पंचायतः-फजलपुर हबीद विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-162 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,19,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,33,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.16 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.46 लाख, टैक्स रु० 0.45 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.10,19,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.16 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,19,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

142. ग्राम पंचायतः-कामराजपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-163- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,84,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 16,26,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.58 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.85 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 16,84,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.58 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,84,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

143. ग्राम पंचायतः-तिसोत्रा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-164- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,45,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,40,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.27 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 8,45,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.27 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.8,45,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

144. ग्राम पंचायतः-करमस खेड़ी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-165- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 15,82,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,96,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.08 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 22,21,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.15,82,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
145. ग्राम पंचायतः-प्रेमपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-166- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,21,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 16,14,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.07 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78

लाख कुल व्यय रु०.16,21,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,21,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

146. ग्राम पंचायतः-सिकरोड़ा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-167- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,09,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,22,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.18 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.45 लाख, टैक्स रु० 0.23 लाख प्रशा० 0.00लाख कुल व्यय रु०. 6,09,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.18 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,09,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

147. ग्राम पंचायतः-ताहरपुर इशाक विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-168- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,86,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,82,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1,46 लाख तथा सामग्री मद में रु० 7.00 लाख, टैक्स रु० 0.80 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.16,86,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.46 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,86,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

148. ग्राम पंचायतः-तैयबपुर गौक्हा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-169- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,86,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,39,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.27 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.85 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०.8,86,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.27 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.8,86,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

149. ग्राम पंचायतः-सुंगरपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-170- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,57,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,24,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.19 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.23 लाख, टैक्स रु० 0.13 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.11,57,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.19 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,57,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

150. ग्राम पंचायतः-कांशीरामपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-171- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,49,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,66,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0,05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 7,49,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,49,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

151. ग्राम पंचायतः-राजपुर नवादा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-172- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,03,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,18,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.21 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.81 लाख, टैक्स रु० 0.81 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०.16,03,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.21 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,03,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

152. ग्राम पंचायतः-विजयपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-173- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 19,17,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 13,41,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 5.11 लाख, टैक्स रु० 0.65 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 19,17,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.19,17,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

153. ग्राम पंचायतः-कल्हेड़ी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-174- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,54,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,30,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.50 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.49 लाख, टैक्स रु० 0.47 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.11,54,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.50 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,54,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

154. ग्राम पंचायतः-कनकपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-175- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,41,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,57,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०.10,41,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,41,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

155. ग्राम पंचायतः-रामनगर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-176- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,85,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,89,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.36 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.32 लाख, टैक्स रु० 0.28 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०.7,85,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,85,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

156. ग्राम पंचायतः-रसूलपुर सैद विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-177- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,44,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,65,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 6,44,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,44,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

157. ग्राम पंचायतः- सबलबीतरा विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-178- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 12,56,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,00,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.22 लाख, टैक्स रु० 0.53 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 12,56,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.12,56,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

158. ग्राम पंचायतः-रायपुरखास विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-179- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,35,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,32,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 6,35,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,35,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

159. ग्राम पंचायतः-मो0अलीपुर द्वारका विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-180- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 14,86,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 13,93,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.14 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 14,86,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.14 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.14,86,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

160. ग्राम पंचायतः-सोफतपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-181- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,47,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,06,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.14 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.23 लाख, टैक्स रु० 0.25 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 7,47,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ओफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.14 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,47,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

161. ग्राम पंचायतः-श्यामिवाला विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-182 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 22,81,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 15,15,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.19 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.43 लाख, टैक्स रु० 1.05 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 22,81,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.19 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.22,81,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

162. ग्राम पंचायतः-नंगलाउब्बन विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-183 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,09,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,51,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.80 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 10,09,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,09,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

163. ग्राम पंचायतः-नांगल विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-184 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,49,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,39,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,49,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,49,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

164. ग्राम पंचायतः-रफिपुर मोहन विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-185 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,42,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,56,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.08 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 6,42,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,42,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

165. ग्राम पंचायतः-ओरंगाबाद विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-186- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,99,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,70,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.50 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78लाख कुल व्यय रु०. 7,99,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.50 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,99,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

166. ग्राम पंचायतः-सरवनपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-187- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 18,83,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,21,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.94 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.56 लाख, टैक्स रु० 1.11 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 18,83,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.94 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.18,83,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

167. ग्राम पंचायतः-शेखपुरअमि विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-188 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,99,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,96,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.02 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 7,99,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.02 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,99,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

168. ग्राम पंचायतः-राहतपुरखुर्द विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-189- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 23,99,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 14,56,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.53 लाख तथा सामग्री मद में रु० 7.22 लाख, टैक्स रु० 0.90 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 23,99,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.53 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.23,99,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

169. ग्राम पंचायतः-शेखपुर आलम विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-190- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 25,64,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,90,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.17 लाख तथा सामग्री मद में रु० 14.96 लाख, टैक्स रु० 1.82 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 25,64,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.17 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.25,64,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

170. ग्राम पंचायतः-गढ़मलपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-191- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,52,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,69,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.05 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 6,52,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.05 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,52,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

171. ग्राम पंचायतः-खलीलपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-192- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.41,80,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 21,39,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.59 लाख तथा सामग्री मद में रु० 17.89 लाख, टैक्स रु० 1.93 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 41,80,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.59 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.41,80,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

172. ग्राम पंचायतः-प्रतापपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-193- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 21,91,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,63,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.02 लाख तथा सामग्री मद में रु० 10.07 लाख, टैक्स रु० 1.20 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 21,91,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.02 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.21,91,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

173. ग्राम पंचायतः-पूरनपुर गढ़ी विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-194 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,40,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,40,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.00 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 7,40,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.00 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,40,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

174. ग्राम पंचायतः-पूरनपुर नरोत्तम विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-195- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,62,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,93,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.69 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,62,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.69 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,62,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

175. ग्राम पंचायतः-शहजादपुर विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-196- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,31,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,17,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.44 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.38 लाख, टैक्स रु० 0.54 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 11,31,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.44 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,31,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

176. ग्राम पंचायतः-सबलगढ़ विकास खण्डः- नजीबाबाद वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-197- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,01,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 11,07,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.88 लाख तथा सामग्री मद में रु० 6.53 लाख, टैक्स रु० 0.74 लाख प्रशा० 0.78 लाख कुल व्यय रु०. 20,01,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.88 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) हीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.20,01,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

177. ग्राम पंचायतः-हुसैनपुर हमीद विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-198- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,86,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,49,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.20 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.86 लाख, टैक्स रु० 0.32 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 9,86,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.20 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,86,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

178. ग्राम पंचायतः-शाहलीपुर नीचल विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-199- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 20,49,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 15,37,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.86 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.26 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 20,49,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.86 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.20,49,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

179. ग्राम पंचायतः-हकीमपुर शकरगंज विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-200- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,68,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,59,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.09 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 4,68,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,68,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

180. ग्राम पंचायतः-बालकिशनपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-201 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,43,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,35,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.08 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,43,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.3,43,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

181. ग्राम पंचायतः-बेरखेड़ा चौहान विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-202- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 3,86,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 2,61,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.23 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.01 लाख, टैक्स रु० 0.01 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 3,86,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.23 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०3,86,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

182. ग्राम पंचायतः-बुआपुर नत्थू विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-203- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,55,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,40,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.15 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,55,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.15 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०6,55,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
183. ग्राम पंचायतः-अलीपुर लालमान विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-204- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,66,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,53,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.12 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,66,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,66,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

184. ग्राम पंचायतः-फतेहपुर जमाल विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-205 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,58,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,47,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.12 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.86 लाख, टैक्स रु० 0.32 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,58,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,58,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

185. ग्राम पंचायतः-चकशहजानी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-206 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,28,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,03,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.69 लाख तथा सामग्री मद में रु० 8.46 लाख, टैक्स रु० 1.11 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 16,28,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.69 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,28,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

186. ग्राम पंचायतः-दौलतपुर सुक्खा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-207- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,18,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 10,81,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.37 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 11,18,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.37 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,18,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

187. ग्राम पंचायतः-मिर्जापुर पल्ला विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-208 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,77,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,11,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.17 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.38 लाख, टैक्स रु० 0.11 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 7,77,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.17 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,77,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

188. ग्राम पंचायतः-कौड़ीपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-209- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,48,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,54,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 4,48,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,48,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

189 ग्राम पंचायतः-मकरदपुर मानक विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-210- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,36,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,29,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.35 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.65 लाख, टैक्स रु० 0.07 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,36,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.35 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,36,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

190. ग्राम पंचायतः-रामठेरा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-211 - लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 2707000-00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,44,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.97 लाख तथा सामग्री मद में रु० 15.77 लाख, टैक्स रु० 0.07 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 27,07,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.97 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 27,07,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

191. ग्राम पंचायतः-सदुल्लाखानपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-212 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,77,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,98,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.88 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.74 लाख, टैक्स रु० 0.16 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 11,77,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु०0.88 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 11,77,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

192. ग्राम पंचायतः-सलाराबाद विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-213 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,47,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,42,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.22 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 5,47,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.22 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,47,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

193. ग्राम पंचायतः-सरकथल सानी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-214 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 43,44,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 22,65,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4.64 लाख तथा सामग्री मद में रु० 14.66 लाख, टैक्स रु० 1.49 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 43,44,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 4.64 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.43,44,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे० ई० , लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

194. ग्राम पंचायतः-जमालपुर उदयचंद विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-215- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,65,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,41,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.40 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84

लाख कुल व्यय रु०. 7,65,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.40 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 7,65,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

195. ग्राम पंचायतः-नारूल्लापुर चीमा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-216- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 17,88,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 12,96,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.73 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.35 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 17,88,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.73 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.17,88,000.00का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

196. ग्राम पंचायतः-नंगला नेन्सी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-217- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 24,99,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,87,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.44 लाख तथा सामग्री मद में रु० 12.74 लाख, टैक्स रु० 0.11 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 24,99,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.44 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.24,99,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे ई लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

197 ग्राम पंचायतः-मो0 अलीपुर भिक्कन विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-218- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,97,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,82,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.09 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.06 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,97,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.09 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,97,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

198. ग्राम पंचायतः-मौ0पुर जमाल विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-219- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,09,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,02,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.07 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,09,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,09,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
199. ग्राम पंचायतः-मौ0पुर सादात विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-220- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,13,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,48,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.47 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.05 लाख, टैक्स रु० 0.30 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 11,13,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.47 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,13,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

200. ग्राम पंचायतः-मो0पुर सुल्तान विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-221- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 16,64,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,68,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.68 लाख तथा सामग्री मद में रु० 9.98 लाख, टैक्स रु० 1.30 लाख प्रशा० 0.00लाख कुल व्यय रु०. 16,64,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.68 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.16,64,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

201. ग्राम पंचायतः-उमरपुर खादर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-222 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 12,66,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,95,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.30 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.69 लाख, टैक्स रु० 0.72 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 12,66,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 12,66,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

202. ग्राम पंचायतः-रायपुर मलूक विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-223 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,43,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 8,13,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.31 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 8,43,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.31 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 8,43,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

203. ग्राम पंचायतः-घुराढ़ा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-224 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 21,46,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 18,26,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.03 लाख तथा सामग्री मद में रु० 2.11 लाख, टैक्स रु० 0.07 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 21,46,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.03 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 21,46,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

204. ग्राम पंचायतः-फतेहपुर लाल विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-225- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 11,06,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,13,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.52 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.57 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 11,06,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.52 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.11,06,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

205. ग्राम पंचायतः-पूरनपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-226 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 31,59,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 29,08,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 1.29 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.14 लाख, टैक्स रु० 0.08 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 31,59,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 1.29 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.31,59,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
206 ग्राम पंचायतः-पालकी एमन विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-227 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,59,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 3,25,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.83 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.03 लाख, टैक्स रु० 0.47 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 7,59,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.83 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,59,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
207. ग्राम पंचायतः-ओरंग शाहपुर नारायण विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-228 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,48,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,81,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.48 लाख तथा सामग्री मद में रु० 1.12 लाख, टैक्स रु० 0.24 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 8,48,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन

अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.48 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.8,48,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

208. ग्राम पंचायतः-वकसनपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-229 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,88,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,79,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.33 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.68 लाख, टैक्स रु० 0.08 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,88,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.33 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,88,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०,

तत्कालीन J.E.लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

209 ग्राम पंचायतः-वाजिदपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-230- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,07,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,09,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.07 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.68 लाख, टैक्स रु० 0.84 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,07,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.08 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,07,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

210. ग्राम पंचायतः-उमरपुर खादर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-231- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 12,66,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 6,95,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.30 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.69 लाख, टैक्स रु० 0.72 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 12,66,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.30 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट)) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.12,66,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

211. ग्राम पंचायतः-उमरपुर आशा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22
प्रस्तर संख्या-232- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,73,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,71,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.67 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.51 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 6,73,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।
1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.67 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,73,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन J.E.लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।
212. ग्राम पंचायतः-टपरौला विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-233- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 8,12,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 7,21,000.00 कुशल

मजदूरी पर व्यय रु० 0.07 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.84 लाख कुल व्यय रु०. 8,12,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.07 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 8,12,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

213. ग्राम पंचायतः-ठाठ जट विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-234- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 6,34,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,29,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.26 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.85 लाख, टैक्स रु० 0.10 लाख प्रशा० 0.84लाख कुल व्यय रु०. 6,34,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.26 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार

बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 6,34,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

214. ग्राम पंचायतः-शाहअलीपुर उत्तमचन्द विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-235 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,37,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,27,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.10 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,37,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.10 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु० 5,37,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे ई लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

215. ग्राम पंचायतः-शेखपुर भावडा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-236- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 5,70,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,02,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.68 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 5,70,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.68 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.5,70,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

216. ग्राम पंचायतः-नत्था डोई विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या- 237 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 10,09,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,58,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.34 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.16 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 10,09,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.34 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.10,09,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

217. ग्राम पंचायतः-ओरंग शाहपुर बनवारी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-238 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 7,96,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्य य रु० 3,60,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.52 लाख तथा सामग्री मद में रु० 3.83 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00

लाख कुल व्यय रु०. 7,96,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.52 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.7,96,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

218. ग्राम पंचायतः-आजमपुर जमनीमान विकास खण्डः-:-धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-239 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०.6,94,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 5,62,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.65 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.20 लाख, टैक्स रु० 0.02 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 6,94,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।

2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।

3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.65 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।

5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।

6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.6,94,000.00

का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

219. ग्राम पंचायतः-अजीतपुर दासी विकास खण्डः-:-धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-240 लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 9,72,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 9,49,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.86 लाख तथा सामग्री मद में रु० 4.48 लाख, टैक्स रु० 0.57 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 9,72,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.23 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर ((प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.9,72,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे ई लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

220. ग्राम पंचायतः-मानपुर शिवपुरी विकास खण्डः-धामपुर वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-241- लेखा लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मनरेगा मद में कुल व्यय रु०. 4,27,000.00 मनरेगा पोर्टल पर फीडिंग दर्ज है जिसमे से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु० 4,14,000.00 कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.12 लाख तथा सामग्री मद में रु० 0.00 लाख, टैक्स रु० 0.00 लाख प्रशा० 0.00 लाख कुल व्यय रु०. 4,27,000.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफलाइन अभिलेख बार-बार मागे जाने के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं कराये गए है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित निम्न तथ्य उल्लेखनीय रहे ।

1. कृत कार्यों के त्रिस्तरीय डिजिटल फोटो-ग्राफ अप्राप्त रहे।
2. स्वीकृत कार्य योजना अप्राप्त रही।
3. सामग्री मद में व्यय धनराशि के कुशल मजदूरी व्यय रु० 0.12 लाख दर्ज है जिसके मस्टर रोल, कार्य का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र व पी.सी.आर (प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट) नहीं पाई गयी है ।
5. बिना टेण्डर कोटेशन के मैटेरियल खरीद सामग्री क्रय का विवरण अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में अकुशल मजदूरी से सम्बंधित एम.आर अप्राप्त रहे। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत का मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।
7. लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे उपरोक्त के आभाव में पंचायत वित्त एवं प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है अतः उक्त धनराशि रु०.4,27,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सचिव, रोजगार सेवक/मेट तत्कालीन टी० ऐ०, तत्कालीन जे.ई. लेखाकार, एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात में ब्याज सहित तातारीख वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रह
221. ग्राम पंचायतः-शाहनगर कुराली विकास खण्डः- अफजलगढ़ वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-242 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 28.43 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 23.52 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.41 सामग्री मद में व्यय रु0 3.72 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.78 लाख दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.
1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्तग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी द्य अतः धनराशि रु0 13.54 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0/जे0ई0 ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

222. ग्राम पंचायतः-सुल्तानपुरखास विकास खण्डः- अफजलगढ़ वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-243 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 42.89 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 11.65 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.56 सामग्री मद में व्यय रु0 29.9 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.78 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 42.89 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

223. ग्राम पंचायतः-मीरापुर मोदीवाला विकास खण्डः- अफजलगढ़ वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-244- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 23.51 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 12.19 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.06 सामग्री मद में व्यय रु0 10.48 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.78 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री

के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 23.51 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

224. ग्राम पंचायतः-कल्लुवाला विकास खण्डः- अफजलगढ़ वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-245 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 10.91 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 10.84 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.06 सामग्री मद में व्यय रु0 0.00 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 10.91 लाख का

अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके.

225. ग्राम पंचायतः-भटपुरा विकास खण्डः- अफजलगढ़ वर्षः-2021-22

प्रस्तर संख्या-246लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 ग्राम पंचायत में मनरेगा मद में कुल रु० 13.54 लाख मनरेगा पोर्टल पर व्यय फीडिंग दर्ज है जिसमें से अकुशल मजदूरी पर व्यय रु0 12.65 लाख, तथा कुशल मजदूरी पर व्यय रु० 0.11 सामग्री मद में व्यय रु0 0.00 टैक्स रु० 0.00 प्रशासनिक खर्च रु० 0.78 दर्शित है। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बंधित ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग की गयी। प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। लेखा परीक्षा में फीडिंग व्यय से सम्बन्धित निम्न लिखित तथ्य उल्लेखनीय रहे-.

1. मनरेगा कैशबुक अप्राप्त रही 2- स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अप्राप्त रही 3-अकुशल, कुशल एवं सामग्री मजदूरी व्यय धनराशि के मस्टररौल कार्य विवरण अप्राप्त रहे. 4-लेखा परीक्षा में कुल सामग्री के स्टॉक उपभोग एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व पी.सी.आर. रिपोर्ट नहीं पायी गयी है 5-बिना कुशल मिस्त्री के मटेरियल खरीद सामग्री का उपभोग कैसे किया गया है का विवरण अप्राप्त रहा. 6- मनरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान किये गए टैक्स जमा के प्रमाणक अप्राप्त रहे. इस प्रकार शासनादेश आयुक्त ग्राम्यविकास उत्तर प्रदेश पत्रांक - मनरेगा/पत्रांक सं0-240/495/2021 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर वाले रखे जाने वाले अभिलेख यथा- श्रम बजट, प्रत्येक कार्य की पत्रावली बनी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत श्रम बजट की फोटो प्रति, कार्य का प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्राशासनिक स्वीकृति, टेंडर/कुटेशन का विवरण, समाचार पत्र में प्रकाशित होने की कटिंग तिथि सहित, कार्यों के डिजिटल फोटोग्राफ (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर की), जी०ओ० टेगिंग के फोटो ग्राफ्स, कार्य के मास्टर रौल/बिल बाउचर की सत्यापित प्रति, बेज लिस्ट/सामग्री लिस्ट की प्रति एम० बी० बुक, अनुश्रवण सतर्कता समिति का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों को संरक्षित किया जाना अनिवार्य है जो नहीं पाया गया है, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण होगी अतः धनराशि रु0 13.54 लाख का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, टी0ए0 /जे0ई0 रोजगार सेवक लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए बराबर अनुपात मे वसूली अपेक्षित है जिससे ग्राम पंचायत को पंहुचाई गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

जनपद- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बंधित आपत्तियो का विवरण-

1-ग्राम पंचायत गझेडा आलम वर्ष 2021-22 विकास खण्ड टाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-1

ग्राम पंचायत गझेडा आलम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत गझेडा आलम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 27- 9 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 7.27 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडिट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 7.27लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरपाल सिंह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुकेश यादव खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 727000.00

2-ग्राम पंचायत बालापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड टाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत बालापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत बालापुरकी वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक25-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 27.55लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/

व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02- 02- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 27.55लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति यशोधरा रानी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रजत पुष्कर खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 2755000.00

3-ग्राम पंचायत करनावाला खालसा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड टाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत करनावाला खालसा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत करनावाला खालसा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 30- 9 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 6.20 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 6.20 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरज सिंह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिंह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव

कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -620000.00

4-ग्राम पंचायत खाईखेडा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड टाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत खाईखेडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत खाईखेडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 15-12-22को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 21.54 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 21.54लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री देशराज सिंह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2154000.00

5-<u>ग्राम पंचायत मैसूवाला-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर 5</u>

ग्राम पंचायत मैसूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मैसूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 23-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 11.27 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/

कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 11.27लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति दीपा देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1127000.00

<u>6-ग्राम पंचायत भरतावाला-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर 6</u>

ग्राम पंचायत भरतावाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 21-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 16.71 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 16.71 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति जगवती देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1671000.00

<u>7-ग्राम पंचायत बंकावाला-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर 7</u>

ग्राम पंचायत बंकावाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/

वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत बंकावाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक20-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 17.87 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 17.87लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मिल्किस तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1787000.00

8-ग्राम पंचायत दरियापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-8

ग्राम पंचायत दरियापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक24-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.09 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.09 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेम सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विशाल कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1209000.00

9-ग्राम पंचायत दुल्लापुरपट्टी चौहान-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-9

ग्राम पंचायत दुल्लापुरपट्टी चौहान की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 26-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से9.7 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 9.7 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री वेद प्रकाश तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति रिशिका खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भग से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -970000.00

10-ग्राम पंचायत कमालपुरी खालसा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत कमालपुरी खालसा वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा में निम्न मास्टर रोल नहीं प्राप्त हुए

1 श्मशान घाट के प्रांगण में प्लांटेशन कार्य 2448.00

2. कैटल शेड निर्माण कार्य 8772.00

3. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 91800.00

योग 103020.00

ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजा रानी तथा सेक्रेटरी ग्रामपंचायत श्रीमती स्वाति चौहान से संयुक्त रूप से की जाने अपेक्षित है

कुल धनराशि - 103020.00

11-ग्राम पंचायत बुद्धनगर-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-11

ग्राम पंचायत बुद्धनगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 23-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से6.63 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8- 9- 22 को ऑफलाइन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को

अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 6.63लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति विवेका तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भग से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 663000.00

12.ग्राम पंचायत मल्पुरा लक्ष्मीपुर.वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-12

ग्राम पंचायत मल्पुरा लक्ष्मीपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मल्पुरा लक्ष्मीपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 22-12 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 64.47 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 64.47लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समा परवीन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 6447000.00

13-ग्राम पंचायत मीरपुर मोहनपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-13

ग्राम पंचायत मीरपुर मोहनपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मिरपुर मोहनपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 22-12 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से12.23 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.23 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंशु तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती निशा खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1223000.00

14-ग्राम पंचायत राघववाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-14

ग्राम पंचायत राघववाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत राघववाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 30-12 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से27.65 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख

उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 27.65लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री यासिन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2765000.00

15-ग्राम पंचायत राजूपुर कला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत राजूपुर कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत राजूपुर कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 31-12 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से14.56लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 14.56लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि -1456000.00

16-ग्राम पंचायत माधोवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-16

ग्राम पंचायत माधोवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत माधोवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 21-12 -2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से11.67लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 11.67लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रविंद्र कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि - 1167000.00

17-ग्राम पंचायत मदारपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-17

ग्राम पंचायत मदारपुर वर्ष 21-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया किमनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है- 1. कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेखा

लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेक पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना से खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मदारपुर की 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा 21-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 13.62 लाख अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की माग लेखापरीक्षा दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-01-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी ठाकुरद्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था, व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिंदु 7में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उलिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपए 13.62 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटे अहमद तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव, कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्रा तथा आर. पी भगत से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत मदारपुर वर्ष 2021-22 की राज्य वित्त की कैशबुक में दिनांक 25-05-2021 को रु. 41400.00 हैंडपंप रिबोर हेतु व्यय दर्शित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर नहीं पाए गए। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः रूपये 41400.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जयलाल शर्मा तथा प्रशासक ग्राम पंचायत श्री नरेश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायत मदारपुर वर्ष 2021-22 के केंद्रीय वित्त की कैशबुक के अक्टूबर माह में प्राथमिक विद्यालय मदारपुर में कंबाइन टॉयलेट वॉल गेट और अन्य कार्य के निर्माण में के. बी.एस इंडस्ट्री को रुपए 138652.00 का भुगतान दर्शित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर नहीं पाए गए जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी ।अतः रूपये 138652.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती स्वाति चौहान तथा ग्राम प्रधान श्री छोटे अहमद से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-20

15वें वित्त से पंचायत भवन के लिए फर्नीचर खरीद रुपए 60000.00 का भुगतान पी. के इंटरप्राइजेज को किया गया किंतु लेखा परीक्षा में फर्नीचर खरीद के कोटेशन तथा वाउचर नहीं पाए गए। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम

पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी । अतः रुपये 60000.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती स्वाति चौहान तथा ग्राम प्रधान श्री छोटे अहमद से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -1602052.00

18-ग्राम पंचायत टांडा अफजल वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-21

-ग्राम पंचायत टांडा अफजल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत टांडा अफजल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 25-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से13.06 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2- 2- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 13.06लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति किरन देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती रिशिका खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि -1306000.00

19-ग्राम पंचायत राजूपुर मिलक वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत राजूपुर मिलक की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत राजूपुर मिलक की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 15-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से5.08 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए

गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2- 2- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 5.08लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि - 508000.00

<u>20-ग्राम पंचायत रामूवाला शेखू वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर-23</u>

ग्राम पंचायत रामूवाला शेखू की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रामूवाला शेखू की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 17-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 48.31 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2- 2- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 48.31लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विना देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कपिल कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार

यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि -4831000.00

21-ग्राम पंचायत रानीनागल-वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-24

ग्राम पंचायत रानीनागल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रानीनागल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 18-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से18.49 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2- 2- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 18.49लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति बबिता देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति निशा चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि -1849000.00

22-ग्राम पंचायत दारापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत दारापुर वर्ष 2021-22 के केंद्रीय वित की कैशबुक के मार्च माह में सी. सी टाइल्स रोड नाली मिट्टी निर्माण कार्य नबी बख्श के घर से खलील के घर तक सामग्री का एकमुश्त भुगतान रुपए 258178.00 के. वी. एस इंडस्ट्री को किया गया दर्शित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर व सामग्री आपूर्ति के टेंडर नहीं पाए गए जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी । अत रुपये 258178..00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती स्वाति चौहान तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-26

ग्राम पंचायत दारापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत दारापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 21-03-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से7.23 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः रुपया 7.23लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेखा तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -981178.00

23-ग्राम पंचायत ख्वाजपुर धंतरा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-27

ग्राम पंचायत ख्वाजपुर धंतरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 15-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से10.67 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23- 1- 23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया । ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी च सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 10.67लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती स्वाती चौहान खंड विकास अधिकारी

संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

प्रस्तर-28

ग्राम पंचायत ख्वाजपुर धनतला वर्ष 2021-22 की राज्य वित की कैशबुक में दिनांक 25-05-2021 को रु. 41400.00 हैंडपंप रिबोर हेतु व्यय दर्शित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर नहीं पाए गए। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी।ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी ।अतः रुपये 41400.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जयलाल शर्मा तथा प्रशासक ग्राम पंचायत श्री नरेश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-29

ग्राम पंचायत ख्वाजपुर धनतला वर्ष 2021-22 की केंद्रीय वित की कैशबुक में दिनांक 13-07-2021 को रु. 460000.00 पंचायत भवन निर्माण हेतु व्यय दर्शित है। किंतु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर नहीं पाए गए। जिससे व्यय की पुष्टि न हो सकी। ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः रुपये 460000.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जयलाल शर्मा तथा प्रशासक ग्राम पंचायत श्री नरेश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 1568400.00

<u>ग्राम पंचायत रुपपुर ट्न्डोला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर-30</u>

. ग्राम पंचायत रुपपुर ट्न्डोला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रुपपुर तंदोला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक19-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.03 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02-02-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.03लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री लेखराज तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1203000.00

25.ग्राम पंचायत सरकडा परमपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-31

.ग्राम पंचायत सरकडापरमपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतसरकडापरमपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक21-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 9.57 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02-02-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 9.57लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीसचीन कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -957000.00

26.ग्राम पंचायत शरीफ नगर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-32

ग्राम पंचायत शरीफ नगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध

नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत शरीफ नगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक21-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 16.56 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02-02-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 16.56लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अमिना नाजरीन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मोहित कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1656000.00

<u>27-ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर-33</u>

.ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक16-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 8.92 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02-02-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 8.92 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति फिरोजा खातून तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जसपाल सिह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -892000.00

28-ग्राम पंचायत शेरपुर पट्टी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत शेरपुर पट्टी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतशेरपुर पट्टी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक23-01-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 14.92 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 02-02-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 14.92लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री गजराज सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जयलाल शर्मा खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1492000.00

29-ग्राम पंचायत मानपुर दत्तराम वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-35

ग्राम पंचायत मानपुर दत्तराम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मानपुर दत्तराम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक22-12-22 को की गई। वर्ष दौरान

मनरेगा योजना से10.98 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 10.98 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुकेश यादव खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1098000.00

<u>30-ग्राम पंचायत नन्हूवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर-36</u>

ग्राम पंचायत नन्हूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत नन्हूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक24-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से13.14 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 13.14 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री शमसाद हुसैन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रजनीकांत खंड विकास अधिकारी संजय कुमार

यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1314000.00

31-ग्राम पंचायत अमानताबाद वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-37

ग्राम पंचायत अमानताबाद की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक16-9--22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.03 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 08--09-22 को आफलाईन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.03 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवर कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती रिशिका खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1203000.00

32-ग्राम पंचायत बोबदवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत बोबदवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक22-9--22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.52 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 08--09-22 को आफलाईन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.52 लाख की वसूली

ग्राम प्रधान श्रीमति किरन देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीबिदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1252000.00

33-ग्राम पंचायत बैजनाथपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-39

.ग्राम पंचायत बैजनाथपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक20-9--22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 4.66 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 08--09-22 को आफलाईन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 4.66 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश चंद्र तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति स्वाति चौहान विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -466000.00

34-ग्राम पंचायत शिवनगर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत शिवनगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत शिवनगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक24-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से24.79 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2-2-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 24.79 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 अकरम तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सचिन कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2479000.00

35-ग्राम पंचायत विजयरामपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-41

ग्राम पंचायत विजयरामपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत विजयरामपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक21-3-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 3.44 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः रुपया 3.44 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री यादराम तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मयंक भारद्वाज से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -344000.00

36-ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर माफी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर माफी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक20-3-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.75 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः रुपया 12.75 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुमलता तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री निशा चौहान से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -1275000.00

37-ग्राम पंचायत मानावाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत मानावाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मानावाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक20-3-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.11 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः रुपया 12.11 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रेखा तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति कबिता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -1211000.00

38-ग्राम पंचायत पाडला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत पाडला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत पाड़ला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक26-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 39.15 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध

कराने की सादर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 39.15 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति प्रगति त्यागी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति मोहिता चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -3915000.00

<u>39-ग्राम पंचायत राईभूड वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद</u>

<u>प्रस्तर-45</u>

ग्राम पंचायत राईभूड की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत राईभूड की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक31-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 21.40 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 21.40 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री भानूप्रताप सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जय लाल शर्मा खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2140000.00

40-ग्राम पंचायत पीपली अहीर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-46

ग्राम पंचायत पीपली अहीर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत पीपली अहीर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक28-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 16.92 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 16.92 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अंजू देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति मोहिता चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1692000.00

41-ग्राम पंचायत पीलकपुर गुमानी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-47

ग्राम पंचायत पीलकपुर गुमानी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत पीलकपुर गुमानी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 28-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 13.46 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय

पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 13.46 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री हजारी सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुकेश यादव खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1346000.00

42-ग्राम पंचायत पानूवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-48

-ग्राम पंचायत पानूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत पानूवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 26-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 26.07 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 26.07 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलसाद तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मयंक भारड्वाज खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 2607000.00

43-ग्राम पंचायत फरीदनगर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-49

ग्राम.पंचायत फरीदनगर वर्ष 21-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत दवारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है। कार्यवाही रजिस्टर2. तकनीकी, वित्तीयएवं प्रशासनिक स्वीकृति3. कार्य का एस्टीमेट4. कार्य की एम बी5 मूल मस्टररोल6 सामग्री खरीद का मूल बिल/वाउचर7. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना से खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत फरीदनगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 27-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 15.83 लाख रूपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पावली व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा दौरान की गई, किन्तु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-21 को पत्र तथा दिनांक 23-01-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से जो खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी ठाकुरद्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था, व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किन्तु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय ॥ ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिंदु में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।बिंदु संख्या 8(क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 15.83 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती खातून बेगम तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विशाल शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव, कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्रा तथा आर. पी भगत एवं रोजगार सेवक से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

प्रस्तर-50

ग्राम पंचायत फरीद नगर वर्ष 2021-22 की पंचम राज्य वित की लेखा परीक्षा में कैशबुक में माह मई 2021 में निम्न कार्यों पर न्यू कमाल ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है1. मस्जिद से नन्हे के घर तक सौसी टाइल्स निर्माण कार्य पर रुपए 196138.00 2. मेहंदी के घर से रफी के घर तक सौसी टाइल्स निर्माण कार्य पर रुपए 197262.00 3. पप्पू के घर से कब्रिस्तान तक नाली निर्माण कार्य पर रुपए 40584.00 4 कल्लू के घर से बुध पालकी घर तक सीसी टाइल्स निर्माण कार्य पर रुपए 235126.00 5 ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत का कार्य पर रुपए 76748

इस प्रकार माह मई 2021 में कुल रुपए 745858.00 न्यू कमाल ट्रेडर्स को भुगतान किए गए हैं किंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई कोटेशन टेंडर तया वाउचर नहीं पाए गए जिस कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सके- ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो

दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेकेंटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।

अतः रूपये 745858.00 की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मोहित सिंह तथा प्रशासक ग्राम पंचायत श्री नरेश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -2328858.00

44-ग्राम पंचायत लौंगी कला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-51

ग्राम पंचायत लौंगी कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत लौंगी कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 13.32 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 13.32 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति प्रगति त्यागी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति मोहिता चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1332000.00

45-ग्राम पंचायत शाहबाजपुर कला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-52

ग्राम पंचायत शाहबाजपुर कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत शाहबाजपुर कलाकी वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 18.13 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं

कराए गए। दिनांक 16--01-23 को पत्र तथा दिनांक 2-2-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 18.13 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमो0 उमर तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मयंक भारद्वाज खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1813000.00

46-ग्राम पंचायत लालापुर पिपलसाना वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-53

ग्राम पंचायत लालापुर पिपलसाना की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत शाहबाजपुर कलाकी वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 19-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 56.41 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10--01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 56.41 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री महिपाल सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति मोहिता चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -5641000.00

47-ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर लेदा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-54

ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर लेदा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 16-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.07 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8-9-22 कोआफलाईन मांग पत्र दिनांक 10--01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.07 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति यासिन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति स्वाति चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1207000.00

48-ग्राम पंचायत किशनपुर गावडी वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-55

इकबाल के खेत से कोलू वाले तालाब तक नाला खुदाई कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य में रूपए 21828.00 खर्च किए गए हैं जिसकी पुष्टि में मास्टर रोल भी प्राप्त हुए किंतु पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ नाला खुदाई के न हो करके बल्कि पक्का नाला निर्माण के हैं। इस प्रकार किया गया कार्य तथा मस्टररोल फर्जी सिद्ध हो रहा है. उक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्री करणवीर तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जय लाल शर्मा एवं रोजगार सेवक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर 56

नीरू के घर से ईदगाह तालाब तक नाला खुदाई के कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य में रुपए 7548.00 खर्च किए गए हैं जिसकी पुष्टि में मास्टर रोल भी प्राप्त हुए किंतु पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ नाला खुदाई के न हो करके बल्कि नाला सफाई के हैं। इस प्रकार किया गया कार्य तथा मस्टररोल फर्जी सिद्ध हो रहे हैं उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री करणवीर सिंह ग्राम सेक्रेटरी श्री जय लाल शर्मा तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि -29376.00

49-ग्राम पंचायत खैरुल्लापुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-57

ग्राम पंचायत खैरुल्लापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत खैरुल्लापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 16-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 13.88 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 13.88 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति उशा देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति ऋशिका चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 1388000.00

50-ग्राम पंचायत लालपुर गोसाई वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-58

ग्राम पंचायत लालपुर गोसाई की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत लालपुर गोसाई की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 19-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 14.9 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 14.9 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति उशा तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मयंक भारर्द्वाज खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1490000.00

51-ग्राम पंचायत करनावाला जबती वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-59

ग्राम पंचायत करनावाला जबती की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत करनावाला जबती की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 30-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 33.56 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 8-9-22 को आफलाईन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 33.56 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति केला देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मयंक भारद्वाज खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -3356000.00

52-ग्राम पंचायत कल्यानपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-60

ग्राम पंचायत कल्यानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/

वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत कल्यानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 29-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 5.41 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 8-9-22 को आफलाईन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 5.41 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री आजेंद्र कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मुकेश यादव खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -541000.00

53-ग्राम पंचायत रामूवाला गनेश वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-61

ग्राम पंचायत रामूवाला गनेश की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रामूवाला गनेश की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 17-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 14.63 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 14.63 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मदनपाल तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विशाल शर्मा खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1463000.00

54-ग्राम पंचायत भायपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-62

ग्राम पंचायत भायपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत भायपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 21-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 24.28 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 8-9-22 को आफलाईन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 24.28 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री उस्मान अली तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कपिल कुमार खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2428000.00

55-ग्राम पंचायत सबलपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-63

ग्राम पंचायत सबलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत सबलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 19.15लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय

पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2-2-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 19.15 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति इंदूल तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति ऋशिका खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1915000.00

56-ग्राम पंचायत मुनीमपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-64

.ग्राम पंचायत मुनीमपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत मुनीमपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 24-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 24.12लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 24.12 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति ममता कुमारी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कपिल कुमार खंड विकास अधिकारी संजय

कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -2412000.00

57-ग्राम पंचायत पसियापुरापदार्थ वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-65

ग्राम पंचायत पसियापुरापदार्थ की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत पसियापुरापदार्थ की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 27-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 5.93लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 5.93 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री शरीफ तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -593000.00

58-ग्राम पंचायत प्रतापपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-66

ग्राम पंचायत प्रतापपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत प्रतापपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 27-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 16.21लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय

प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 16.21 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शहीदन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रजनी कांत खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1621000.00

59-ग्राम पंचायत रघुनाथपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-67

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रघुनाथपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 30-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.35लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 12.35 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रईस तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति कविता खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1235000.00

60-ग्राम पंचायत लौंगी खुर्द वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

<u>प्रस्तर-68</u>

ग्राम पंचायत लौंगी खुर्द की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत लौंगी खुर्द की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20-12-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 4.49 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 4.19 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नजमा खातुन तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथा रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -419000.00

61-ग्राम पंचायत रामपुर घोघर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-69

ग्राम पंचायत रामपुर घोघर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत रामपुर घोघर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 18-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 20.72 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-01-23 को पत्र तथा दिनांक 2-2-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 20.72 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री लेखराज सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविराज सिह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 2072000.00

62-ग्राम पंचायत गोपीवाला वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-70

ग्राम पंचायत गोपीवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत गोपीवाला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 28-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 56.49 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 08-09-22 को आफलईन मांगपत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 56.49 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसरीन जहाँ तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिह राना खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथ रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -5649000.00

63-ग्राम पंचायत सुरजननगर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-71

ग्राम पंचायत सुरजननगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय

एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत सुरजननगर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 24-1-23 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 52.13 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 16-1-23 को पत्र तथा दिनांक 2-2-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 52.13 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री वीर सिह तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविराज सिह खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथ रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -5213000.00

64-ग्राम पंचायत कालाझंडा वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-72

ग्राम पंचायत कालाझंडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा वेबसाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मूल अभिलेख अपलोड नहीं कराया गया है 1.कार्यवाही रजिस्टर 2. तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 3. कार्य का एस्टीमेट 4. कार्य की एम बी 5. मूल मस्टररोल 6. सामग्री खरीद का मूल बिल/ वाउचर 7.कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य मूल अभिलेख।लेखा परीक्षा दौरान उक्त मूल अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण वर्ष दौरान मनरेगा योजना में खर्च की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत कालाझंडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 28-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 9.63 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-1-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 9.63 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति पुश्पा तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति स्वाति चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथ रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि - 963000.00

65-ग्राम पंचायत बाहपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-73

ग्राम पंचायत बाहपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 19-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 10.21 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-1-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 10.21 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति मोहिता चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथ रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -1021000.00

66-ग्राम पंचायत दुल्लापुर पट्टी जाट वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद
प्रस्तर-74

ग्राम पंचायत दुल्लापुर पट्टी जाट की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 24-9-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 7.28 लाख रुपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हे तू संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क की मांग लेखा परीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनांक 10-1-23 को पत्र तथा दिनांक 23-1-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से ,जो खंड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी ठाकुर द्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था ,व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध कराने की सदर अपेक्षा की गई थी। किंतु खंड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया ।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत की अभिलेखों का संप्रेक्षण(आडीट) के बिन्दु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेषण हेतु संप्रेक्षण

दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। बिन्दु संख्या 8क में उल्लेखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गए धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खंड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाण्क उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदाई है। इस प्रकार रुपया 7.28 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सवित देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति ऋशिका चौहान खंड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्र तथा आर पी भगत तथ रोजगार सेवक से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

कुल धनराशि -728000.00

67-ग्राम पंचायत असलेमपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-75

ग्राम पंचायत के राज्य वित्त के खाते से दिनांक 20 मई 2021 को रूपये 41400.00 हैण्डपंप रिबोर हेतु तथा रूपये76000.00 शौचालयनिर्माण हेतु खर्च किये गए, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त खर्च के सापेक्ष कोई बाउबर नहीं पाया गयाग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के खंडआठ(क)केअनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्रामपंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी ।अतः रुपए 117400.00 की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जय लाल शर्मा तथा प्रशासक श्री नरेश कुमार से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-76

ग्राम पंचायत असलेमपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17-09-22 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना से 12.49 लाख रूपए व्यय अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनाक 08-09-22 को ऑफलाइन मांग पत्र दिनांक 10-01-23 को पत्र तथा दिनांक 23-01-23 को अनुस्मारक पत्र के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी ठाकुरद्वारा को संबोधित तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पृष्ठांकित था, व्यय प्रमाणक । व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) केबिंदु में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली। व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 12.49 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनू देवी तथा वर्तमान सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विदेश सिंह राणा,

खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार यादव, कार्यक्रम अधिकारी मनीष कुमार चंद्रा तथा आर. पी भगत से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।

कुल धनराशि -1366400.00

68-ग्राम पंचायत आसालतपुर वर्ष-2021-22 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा जनपद-मुरादाबाद

प्रस्तर-77

ग्राम पंचायत आसालतपुर वर्ष 2021-22 के मनरेगा की लेखा परीक्षा में कतिपय मास्टर रोल नहीं पाए गए जिस का विवरण निम्न है-

1. पंचायत भवन निर्माण कार्य 29172.00
2. स्मशान घाट के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्य 9180.00
3. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 11832.00

योग 50184.00

ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुजल के अध्याय 'आठ' के खंड 'आठ' 'क' के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्रामपंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। अतः उक्त धनराशि वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री आशीष कुमार तथा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्री कपिल कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 50184.00

69-ग्राम पंचायत- शाहआलमपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-78

ग्राम पंचायत शाहआलमपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 1.84 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

दिनांक 16.03.2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16.03.2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी इसके पूर्व भी दिनाँक 10.02.2023 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों के मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों की मांग लेखा परीक्षा हेतु की गयी थी| किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 1.84 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सुश्री रूचि यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 184000.00

70-ग्राम पंचायत नगला बनवीर--.वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-79

ग्राम पंचायत नगला बनवीर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित9.34 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 14.11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21.12.2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 9.34 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन कुमारी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मदनपाल तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -934000.00

71-ग्राम पंचायत बागडपुर--वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-80

.ग्राम पंचायत बागडपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित1.14 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी |इसके पूर्व भी दिनाँक 10.02.2023 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों के मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों की मांग लेखा परीक्षा हेतु की गयी थी| किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं

मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 1.14 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कस्तूरी देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत रुचि यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 114000.00

72-**ग्राम पंचायत अक्का भिकनपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद**

प्रस्तर-81

.ग्राम पंचायत अक्का भिकनपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित16.68 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 25-03-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी |इसके पूर्व भी दिनाँक 10.02.2023 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों के मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों की मांग लेखा परीक्षा हेतु की गयी थी| किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 16.68 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सहना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र प्रकाश तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1668000.00

73-**ग्राम पंचायत धनूपुरा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद**

प्रस्तर-82

ग्राम पंचायत धनूपुरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 5.35 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी |इसके पूर्व भी दिनाँक 10.02.2023 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों के मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों की मांग लेखा परीक्षा हेतु की गयी थी| किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 5.35 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु सविता यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -535000.00

74-**ग्राम पंचायत चौधरपुर** व**र्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद**

प्रस्तर-83

. ग्राम पंचायत चौधरपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.74 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 14-112022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.74 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुहेनपाल तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु रुचि यादव/श्री जितेंद्र सिह/कु निशा यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -774000.00

75-**ग्राम पंचायत बसंतपुर रामसहाय** व**र्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद**

प्रस्तर-84

--ग्राम पंचायत बसंतपुर रामसहाय की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 1.36 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी। ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र

दिनांक 16-03-2023 तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 व दिनांक 25-03-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 1.36 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सुमन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मनोज /आमोद चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -136000.00

76-ग्राम पंचायत दादूपुर पाईंदापुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-85

ग्राम पंचायत दादूपुर पाईंदापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.22 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-03-2023 ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.22 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सरवन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु0 निशा यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -722000.00

77-ग्राम पंचायत डिडौरी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-86

-ग्राम पंचायत डिडौरी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 5.73 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु

संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 5.73 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद सागर तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति पुशपा तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -573000.00

78-ग्राम पंचायत काफियाबाद वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-87

ग्राम पंचायत काफियाबाद की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 4.71 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 14-11-2022 दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु4.71 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अंजू तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीसुरेंद्र प्रकाश तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -471000.00

79-ग्राम पंचायत इस्लामनगर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-88

ग्राम पंचायत इस्लामनगर(इस्लामपुर) की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित8.88 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 दिनांक 10-02-2023 व दिनांक 16-03-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.88 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री बब्लू तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री महेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -888000.00

80-ग्राम पंचायत डिडौरा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-89

ग्राम पंचायत डिडौरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.61 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 10.61 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो.तसलीम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति पुश्पा तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1061000.00

81--ग्राम पंचायत हटहट वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-90

ग्राम पंचायत हटहट की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 2.61 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 तथा दिनांक 25-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 2.61 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना तैयब तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति सपना तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 261000.00

82--ग्राम पंचायत मुरैटा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-91

ग्राम पंचायत मुरैटा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 9.14 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक14-11-2022 व दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 9.14 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति प्रग्या यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -914000.00

83-ग्राम पंचायत गोहरपुर सुल्तानपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-92

ग्राम पंचायत गोहरपुर सुल्तानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.44 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.44 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति किरन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित गुप्ता/राहुल सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -844000.00

84-ग्राम पंचायत गिंदौडा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-93

ग्राम पंचायत गिंदौडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.88 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 13.88 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रजनी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु.सविता यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1388000.00

85-ग्राम पंचायत गजगौला नानकबाडी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-94

ग्राम पंचायत गजगौला नानकबाडी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.33 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-03-2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक16-03-2023 व दिनांक 25-03-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.33 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कुमकुम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अमित कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 833000.00

86-ग्राम पंचायत ककरघटा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-95

ग्राम पंचायत ककरघटा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 9.43 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 तथा दिनांक 25-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 9.43 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शबाना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति सीमा तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 943000.00

87-ग्राम पंचायत खैय्याखद्दर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-96

ग्राम पंचायत खैय्याखद्दर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 11.89 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 14-11-2022 व दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 11.89 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति भोली तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सुरेंद्र प्रकाश तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1189000.00

88-ग्राम पंचायत लोधीपुर राजपुत वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-97

ग्राम पंचायत लोधीपुर राजपुत की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 5.37 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 5.37 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री

चंद्रपाल तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत महेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -537000.00

89-ग्राम पंचायत उत्तमपुर बहलोलपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-98

ग्राम पंचायत उत्तमपुर बहलोलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.83 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 व दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु7.83 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मनजीत सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत आमोद चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है

कुल धनराशि -783000.00

90-ग्राम पंचायत हासमपुर गोपाल वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-99

ग्राम पंचायत हासमपुर गोपाल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 3.52 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 व दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम

अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु3.52 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री महेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है

कुल धनराशि -352000.00

91-ग्राम पंचायत खदाना वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-100

ग्राम पंचायत खदाना की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 6.91 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 तथा दिनांक 25-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 6.91 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री आमोद चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -691000.00

92-ग्राम पंचायत मंगुपुरा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-101

ग्राम पंचायत मंगुपुरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 6.48 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु6.48 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति भूरी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जितेंद्र सिह/एम.पी. सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -648000.00

93-ग्राम पंचायत उमरी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-102

ग्राम पंचायत उमरी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 17.27 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु17.27 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री बब्लू सैनी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जितेंद्र सिह/अमित गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1727000.00

94-ग्राम पंचायत बरबारा मझरा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-103

.ग्राम पंचायत बरबारा मझरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.33 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी |इसके पूर्व् भी दिनांक 12-02-2023 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायतो के मनरेगा से सम्बंधित व्यय पत्रावलियो कि मांग लेखा

परीक्षा हेतु की गयी थी। किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.33 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आलम जहा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री मनोज सिह एवम कु.रुचि यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -833000.00

95-ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात(सोनकपुर) वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-104

ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात(सोनकपुर) की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित .51 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 व 16-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु0.51 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीरमेश कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री महेंद्र. सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -51000.00

96-ग्राम पंचायत टिकरी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-105

ग्राम पंचायत टिकरी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 11.54 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को

ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 व 16-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 11.54 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रहीस तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति सपना तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1154000.00

97-ग्राम पंचायत सिकंदरपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-106

ग्राम पंचायत सिकंदरपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 12.5 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 12.5 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सेवाराम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु.रुचि यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1250000.00

98-ग्राम पंचायत ताजपुर माफी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-107

ग्राम पंचायत ताजपुर माफी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.36 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु

संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 10.36लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सचिन कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत राहुल सिह/धनेंद्र पाल सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1036000.00

99-ग्राम पंचायत समाथल वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-108

ग्राम पंचायत समाथल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 6.09 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 6.09 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत आमोद चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -609000.00

100-ग्राम पंचायत पल्लूपुरा घोसी वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-109

ग्राम पंचायत पल्लूपुरा घोसी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.81 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.81 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति खेरुलनिशा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु.सविता यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -881000.00

101-ग्राम पंचायत रामनगर मझरा वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-110

ग्राम पंचायत रामनगर मझरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 3.35 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 14-11-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 14-11-2022 व दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 3.35 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सोनिया तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत कु.बाबी तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -335000.00

102-ग्राम पंचायत शाहपुर मुस्तकम(शाहपुर) वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-111

ग्राम पंचायत शाहपुर मुस्तकम(शाहपुर) की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.23 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.23 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री इसरार हुसैन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत महेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -823000.00

103-ग्राम पंचायत सिहाली मुस्तकम वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-112

ग्राम पंचायत सिहाली मुस्तकम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.81 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख आफलाईन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

दिनांक 13-12-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी मुरादाबाद को दिनांक 21-12-2022 व दिनांक 10-02-2023 व दिनांक 16-03-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत मे की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.81 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री

उसमान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत महेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -781000.00

104- ग्राम पंचायत मनोहरपुर वर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-113

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में फैशबुक में निम्न तिथियों में केन्द्र वित्त/राज्य वित्त से दर्शित व्यय के सापेक्श वाउचर्स/व्यय प्रमाणक सचिव द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी। विवरण निम्नवत् है-

क्र.स.	दिनांक	धनराशि	कार्य
1	24.05.2021	37379.00	हैण्डपम्प रिवोर भुगतान
2	04.08.2021	3600.00	हैण्डपम्प मरम्मत
3	04.08.2021	24862.00	मौ० नईम कॉन्ट्रेक्टर को भुगतान
4	05.08.2021	29290.00	हैण्डपम्प रिवोर
5	05.08.2021	9588.00	सामग्री व्यय (रिवोर)
6	05.08.2021	9764.00	हैण्डपम्प रिबोर
7	05.08.2021	29029.00	मौ० नईम को भुगतान
8	29.10.2021	38870.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
9	03.11.2021	33600.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
10	05.11.2021	38870.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
11	04.11.2021	33600.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
12	04.11.2021	8349.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
13	13.12.2021	29029.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
14	13.12.2021	8939.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
15	13.12.2021	9447.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
16	13.12.2021	29029.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
17	13.12.2021	29029.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
18	13.12.2021	19524.00	न्यू मौ० नईम को भुगतान
19	13.12.2021	3200.00	हैण्डपम्प मरम्मत

सी0सी0 टाइल्स नाली निर्माण पर व्यय..

क्र.स.	दिनांक	धनराशि	कार्य
20	29-11-2021	23316.00	
21	29-11-2021	45736.00	
22	29-11-2021	45198.00	
23	29-11-2021	6000.00	
24	29-11-2021	6900.00	

25	29-11-2021	7009.00	
26	29-11-2021	3600.00	
27	29-11-2021	10368.00	
28	29-11-2021	10350.00	
29	29-11-2021	8400.00	
30	29-11-2021	11885.00	
31	29-11-2021	22639.00	
32	01-11-2021	44884.00	सर्वश्री न्यू जनरेसन ब्रिक को भुगतान
33	01-11-2021	44840.00	
34	01-11-2021	44884.00	
35	01-11-2021	5750.00	
36	01-11-2021	11404.00	
37	01-11-2021	25410.00	
38	01-11-2021	3720.00	
39	01-11-2021	21320.00	
40	01-11-2021	4800.00	
	योग	833411.00	

अतः कुल रू0 833411.00 के व्यय वाउचर्स लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 833411.00 का गबन प्रधान प्रेम सिंह सैनी एवं संबंधित सचिव ग्राम पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से समान रूप से की जानी आपेक्षित

प्रस्तर-114

ग्राम पंचायत मनोहरपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 5.58 लाख रू0 व्यय अंकित पाए गए इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा में की गयी. किंतु सगत अभिलेख ऑफलाइन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास ग्राम पंचायतों के मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियों की मांग लेखा परीक्षा हेतु की गयी थी किन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखा उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के विन्दु 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिंदु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शायें गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत में की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08 (क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 5.58 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रेम सिंह मैनी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह एवं कु सविता यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1391411.00

105-रसूलपुर सुनवातीवर्ष- 2021-22 विकास खण्ड- मुरादाबाद जनपद--मुरादाबाद

प्रस्तर-115

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत रसूलपुर सुनबाती की लेखा परीक्षा में कैशबुक में निम्न तिथियों में केन्द्र वित्त व राज्य वित्त में दर्शित जिसके व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर्म/व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	दिनोंक	धनराश	कार्य
1	13.09.2021	19717.00	सी०सी०टाइल्स राड,
2	13.09.2021	16330.0	निर्माण कार्य आदि। मी०मी०टाइल्स रोड
3	13.09.2021	14400.00	
4	13.09.2021	16400.00	
5	13.09.2021	19320.00	
6	13.09.2021	18463.00	
7	23.09.2021	41252:00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
8	23.09.2021	37267,00	
9	23.09.2021	41163.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
10	23.09.2021	11750.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
11	23.09.2021	14191.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
12	23.09.2021	40984.00	के०वी० इण्डस्ट्रीज
13	23.09.202	42373.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
14	23.09.2021	6220,00	उक्त कार्य पर व्यय
15	23.09.2021	42306:00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
16	23.09.2021	9523.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
17	23.09.2021	41925.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
18	23.09.2021	23992.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज

पंचायत भवन मरम्मत, सौन्दर्गीकरण कार्य पर भुगत

क्र.स.	दिनोंक	धनराशि	कार्य
19	28.10.2021	17349.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
20	28.10.2021	11500.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
21	28.10.2021	10000.00	उक्त कार्य पर भुगतान
22	28.10.2021	23155.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज

23	28.10.2021	19259.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
24	28.10.2021	11500.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
25	28.10.2021	51897.00	के०बी० इण्डस्ट्रीज
26	28.10.2021	10000.00	उक्त कार्य पर भुगतान

हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय:-

27	08.11.2021	3200.00
28	08.11.2021	22526.00
	योग	637962.00

अतः कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर्स अप्राप्त होने के कारण लेखा परीक्षा में रू0 637962.00 का व्यय अप्रमाणित व अपुष्ट रहा।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक य के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय क समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "दशवि गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 637962.00 का गबन प्रधान सुखीराम व संबंधित सचिव ग्राम पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनो से समान रूप से की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-116

ग्राम पंचायत रसूलपुर सुनवाती की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में दौरान मनरेगा योजना में संबंधित 10.17 लाख व्यय अंकित पाए गए इसकी पुष्टि हेतु समबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख ऑफलाइन लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा गकी। दिनांक 13.12.2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकाम अधिकार/कार्यक्रम अधिकारी को दिनांक 21.12.2022 व दिनाँक 10.02.2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से मनरेगा योजना की व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का समप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

बिंदु सख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशायें गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वमूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत ने की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावनी/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसगत नियमों

अधिनियमों के अन्तर्गत 10.17 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुबीराम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री प्रदीप राठी/श्री जितेन्द्र सिंह/कु रुचि यादव तथा खण्ड विकास अधिकारी से सामान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1654962.00

106-ग्राम पंचायत- मलिपुर महमूद नगला वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-117

ग्राम पंचायत मलिपुर महमूद नगला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 23.11.2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 14.49 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 14.49 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1449000.00

107-ग्राम पंचायत-मालीपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-118

ग्राम पंचायत मालीपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 23.11.2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.16 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की

गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.16 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री भगवान दास तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1616000.00

108-ग्राम पंचायत-मसेबी रसूलपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-119

ग्राम पंचायत मसेबी रसूलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 25.11.2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 21.19 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 21.19 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति साहीना बेगम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2119000.00

109-ग्राम पंचायत-संदलपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-120

ग्राम पंचायत संदलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 20-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 10.56 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 10.56 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री उग्रपाल तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1056000.00

110-ग्राम पंचायत-सुंदरपुर कल्यानपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-121

ग्राम पंचायत सुंदरपुर कल्यानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 24-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.22 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो

खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 9.22 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति जयमाला तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -922000.00

111-ग्राम पंचायत-खजरा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-122

ग्राम पंचायत खजरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17-11-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.72 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.72 लाख की वसूली ग्राम प्रधान

श्रीमति गुडिया तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1672000.00

112-ग्राम पंचायत-भीकनपुर कुलवाडा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-123

ग्राम पंचायत भीकनपुर कुलवाडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 29-09-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 30.14 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 30.14 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसमा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतीस सागर , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -3014000.00

113-ग्राम पंचायत-तेवर पट्टी उर्फ कजीपुरा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-124

ग्राम पंचायत तेवर पट्टी उर्फ कजीपुरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 27-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 2.27 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य

कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 2.27 लाख की वसूली ग्राम प्रधान जोया आशिफ तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -227000.00

114-ग्राम पंचायत-सब्जीपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-125

ग्राम पंचायत सब्जीपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 19-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 6.53 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 6.53 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अनीसा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -653000.00

115-ग्राम पंचायत-तेवर खास वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-126

ग्राम पंचायत तेवर खास की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 27-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 19.63 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 19.63 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति बबीता तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविंद्र सिह , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1963000.00

116-ग्राम पंचायत-चक हबीबपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-127

ग्राम पंचायत चक हबीबपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 30-09-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.00 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 11.00 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अरविंद तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमार , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1100000.00

117-ग्राम पंचायत-डींगरपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-128

ग्राम पंचायत डींगरपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 12-10-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 2.61 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 2.61 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो. ताहिर तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 261000.00

118-ग्राम पंचायत-मदारपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-129

ग्राम पंचायत मदारपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-11-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.40 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 9.40 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नजर आलम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रविंद्र सिह , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -940000.00

119-ग्राम पंचायत-बहापुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-130

ग्राम पंचायत बहापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-09-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.25 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 9.25 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजोदेवी तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतीश सागर , खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -925000.00

120-ग्राम पंचायत-सैफपुर चित्तू वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-131

ग्राम पंचायत सैफपुर चित्तू की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 20-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 3.45 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 3.45 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति तवस्सूम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सरजू गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 345000.00

121-ग्राम पंचायत-मोहनपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-132

ग्राम पंचायत मोहनपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 26-11-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 7.42 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु

संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 7.42 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री व्रितपाल तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र प्रताप सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 742000.00

122-ग्राम पंचायत-उदयपुर चंदन वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-133

ग्राम पंचायत उदयपुर चंदन की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 18-01-2023 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 27.02 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 27.02 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति खतून तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमर, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2702000.00

123-ग्राम पंचायत-लालपुर गंगवारी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-134

ग्राम पंचायत लालपुर गंगवारी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 18-11-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 23.19 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 23.19 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रुकमे आलम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2319000.00

124-ग्राम पंचायत-ड्किया जुम्मा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-135

ग्राम पंचायतड्किया जुम्मा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-10-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 7.75 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की

गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 7.75 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल मलिक तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकित सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -775000.00

125-ग्राम पंचायत-गजूपुरा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-136

ग्राम पंचायत गजूपुरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 29-10-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 13.77 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 13.77 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति हमसिरन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र प्रताप सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम

अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1377000.00

126-ग्राम पंचायत-अभनपुर कुंदरकी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-137

ग्राम पंचायत अभनपुर कुंदरकी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-09-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 8.43 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 8.43 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मान सिह तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम प्रकाश सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -843000.00

127-ग्राम पंचायत-रामपुर मेंनन वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-138

ग्राम पंचायत रामपुर मेंनन की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 16-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.70 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.70 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिह तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1670000.00

128-ग्राम पंचायत- छिरावली वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-139

ग्राम पंचायत छिरावली की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 20-10-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 26.98 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 26.98 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अनीश अहमद तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कुलवीर यादव, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2698000.00

129-ग्राम पंचायत- चित्तूपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-140

ग्राम पंचायत चित्तूपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-10-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 5.55 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 5.55 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सोमपाल तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -555000.00

130-ग्राम पंचायत- ताहरपुर दोयम वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-141

ग्राम पंचायत ताहरपुर दोयम की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17-01-2023 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 21.58 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की

जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 21.58 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री शमीम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम् प्रकाश, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2158000.00

131-ग्राम पंचायत- जटपुरा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-142

ग्राम पंचायत जटपुरा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 25-03-2023 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 19.08 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 19.08 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुधीर सिह तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1908000.00

132-ग्राम पंचायत- सोनकपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-143

ग्राम पंचायत सोनकपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 22-12-2022 को को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 27.64 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी

/ कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 27.64 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सबिता रानी तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम प्रकाश सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2764000.00

133-ग्राम पंचायत- तख्तपुर हासा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-144

ग्राम पंचायत तख्तपुर हासा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 28-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 23.32 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 23.32 लाख की वसूली ग्राम प्रधान

श्री सुभास तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2332000.00

134-ग्राम पंचायत- नानपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-145

ग्राम पंचायत नानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 30-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.98 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 9.98 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति राधा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -998000.00

135-ग्राम पंचायत- जैतिया फिरोजपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-146

ग्राम पंचायत जैतिया फिरोजपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 24-03-2023 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.55 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।तथा दिनांक 24-3-2023 को सम्बंधित सचिव से लिखित रुप से अभिलेख की मांग की गयी।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.55 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मनवीर सिह तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतीस सागर, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1655000.00

136-ग्राम पंचायत- तख्तपुर अल्ला उर्फ ननकार वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-147

ग्राम पंचायत तख्तपुर अल्ला उर्फ ननकार की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 26-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 4.27 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 4.27 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति फिरोजा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अंकित सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -427000.00

137-ग्राम पंचायत- हुसैनपुर पस्तौर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-148

ग्राम पंचायत हुसैनपुर पस्तौर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 31-03-2023 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 3.93 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 3.93 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतीस सागर, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 393000.00

138-ग्राम पंचायत- जिगनिया वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-149

ग्राम पंचायत जिगनिया की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 15-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 13.78 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 13.78 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो.अकरम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम प्रकाश सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1378000.00

139-ग्राम पंचायत- लधूपुरा भीकनपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-150

ग्राम पंचायत लधूपुरा भीकनपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 19-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.10 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.10 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रामवती तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कुलदीप यादव, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1610000.00

140-ग्राम पंचायत- महलौली वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-151

ग्राम पंचायत महलौली की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 26-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 8.49 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की

गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 8.49 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रुकईया तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र प्रताप सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -849000.00

141-ग्राम पंचायत- बसेरा खास वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-152

ग्राम पंचायत बसेरा खास की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 21-09-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 23.60 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 23.60 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रहीस आलम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2360000.00

142-ग्राम पंचायत- लालपुर हमीर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-153

ग्राम पंचायत लालपुर हमीर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 18-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.03 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 9.03 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मेहताब जहा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -903000.00

143-ग्राम पंचायत- भाण्डरी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-154

ग्राम पंचायत भाण्डरी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 29-09-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 29.44 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 29.44 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री आकिल खान तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2944000.00

144-ग्राम पंचायत- चक फजलपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-155

ग्राम पंचायत चक फजलपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 30-09-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 10.38लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 10.38 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शमीम बेगम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1038000.00

145-ग्राम पंचायत- पीतपुर नैया खेडा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-156

ग्राम पंचायत पीतपुर नैया खेडा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 16-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 12.30 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई,

किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 12.30 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहसिन अख्तर तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र प्रताप सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1230000.00

146-ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-157

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17-01-2023 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 8.47 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 8.47 लाख की वसूली ग्राम प्रधान

श्री महीपाल तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री कुलदीप यादव, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 847000.00

147-ग्राम पंचायत- रतनपुर कला वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-158

ग्राम पंचायत रतनपुर कला की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 27.42 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 27.42 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शाहनाज परवीन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2742000.00

148-ग्राम पंचायत- कमालपुर फतेहाबाद वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-159

ग्राम पंचायत कमालपुर फतेहाबाद की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 16-11-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.58 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 11.58 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शाहरीन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विवेक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1158000.00

149-ग्राम पंचायत- हाथीपुर चित्तू वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-160

ग्राम पंचायत हाथीपुर चित्तू की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 31-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 8.35 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 8.35 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शमा परवीन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -835000.00

150-ग्राम पंचायत- फरहेदी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-161

ग्राम पंचायत फरहेदी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 25-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.54 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 11.54 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेंद्र कुमार तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1154000.00

151-ग्राम पंचायत- गदीपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-162

ग्राम पंचायत गदीपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 28-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 8.11लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 8.11 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री

अब्बास हुसैन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतीस सागर, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -811000.00

152-ग्राम पंचायत- पंडिया वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-163

ग्राम पंचायत पंडिया की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 15-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.89 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 11.89 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नाजिमा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1189000.00

153-ग्राम पंचायत- ताहरपुर अब्बल वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-164

ग्राम पंचायत ताहरपुर अब्बल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 24-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.46 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 11.46 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अरकान तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1146000.00

154-ग्राम पंचायत- रूपपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-165

ग्राम पंचायत रूपपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 19-12-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 3.50 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 3.50 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलाफेरीन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री इरशाद हुसैन, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -350000.00

155-ग्राम पंचायत- इमरतपुर उधौ वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-166

ग्राम पंचायत इमरतपुर उधौ की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 18-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.92 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई,

किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 16.92 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्हे तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1692000.00

156-ग्राम पंचायत- फरीदपुर हमीर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-167

ग्राम पंचायत फरीदपुर हमीर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 25-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 18.05 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 18.05 लाख की वसूली ग्राम प्रधान

श्री मो. दाऊद तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतपाल सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1805000.00

157-ग्राम पंचायत- अल्लापुर भीकन वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-168

ग्राम पंचायत अल्लापुर भीकन की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 22-09-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 5.58 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 5.58 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अफशाना बेगम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राम प्रकाश सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 558000.00

158-ग्राम पंचायत- चांदपुर मंगोल वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-169

ग्राम पंचायत चांदपुर मंगोल की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 20-10-2022 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 7.59 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 7.59 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति चंद्रप्रभा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -759000.00

159-ग्राम पंचायत- ईशापुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-170

ग्राम पंचायत ईशापुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 18-01-2023 को गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 19.54 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलक्ष्य कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।
बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 19.54 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति खतीजा तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1954000.00

160-ग्राम पंचायत- अब्दुल्लापुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-171

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत भवन निर्माण हेतु र रू 712033.39 की निर्माण सामग्री वी/एस कांट्रेक्टर एंड सप्लायर चंदौसी रोड मुरादाबाद से क्रय की गई है जिसके सापेक्ष लेबर भुगतान रु 167076.00 किया गया है, जिसकी पुष्टि बिलों के माध्यम से होते हैं परंतु लेखा परीक्षा में पंचायत निर्माण की टेंडर प्रक्रिया संबंधी पत्रावली जैसे टेंडर विज्ञप्ति अखबार, टेंडर विक्री शुल्क, तुलनात्मक चार्ट, ठेकेदारों की जमानत राशि तथा ग्राम सभा द्वारा पारित पंचायत भवन का प्रस्ताव एवं कार्य पूर्ति प्रमाण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे, रहे, जो एक गंभीर आपत्ति का विषय है, इस प्रकार रुपए 879109.39 (712033.39+167076.00) व्यय करने में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है, इस प्रकार की गई वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्री तैयब हुसैन, संबंधित पंचायत सचिव सतपाल सिह, तथा कार्यक्रम अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदाई हैं, अतः उत्तरदाई कर्मचारियों/ अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

कुल धनराशि - 879109.39

161-ग्राम पंचायत- सौंडा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-172

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सौंडा की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत द्वारा रुपए 699780.00 का कच्चा कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष लेबर भुगतान रू 677280.00 किया गया है, जिसकी पुष्टि मस्टर रोल के माध्यम से होती हैं परंतु लेखा परीक्षा में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा जॉब कार्ड रजिस्टर अप्राप्त रहे, जो एक गंभीर आपत्ति का विषय है, क्योंकि कार्य करवाने में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है, इस प्रकार की गई वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमति महनाज़ संबंधित पंचायत सचिव विवेक कुमार, तथा कार्यक्रम अधिकारी/खंड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदाई हैं, अतः उत्तरदाई कर्मचारियों/ अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है

कुल धनराशि - 699780.00

162-ग्राम पंचायत- गुरेर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-173

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत गुरेर में मनरेगा पत्रावली की जांच में पाया गया कि परिसंपत्ति रजिस्टर मे दर्ज़ मनरेगा के अंतर्गत रुपए 20.78 लाख का कार्य कराया है जिसके सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, एस्टीमेट तथा माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत में कार्य कराने मे वित्तीय नियमों का पालन न करके रू20.78 लाख की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार तथा सम्बंधित पंचायत सचिव रविंद्र सिह एवं कार्यक्रम अधिकारी व तकनीकी सहायक उत्तरदाई है, अतः उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2078000.00

163-ग्राम पंचायत- असालतनगर बघा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-174

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत असलात नगर बाघा में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पंचायत भवन निर्माण के लिए रुपए 121487.10की सामग्री एम/एस एम०के ब्रिक वर्क्स लोदीपुर मुरादाबाद से तथा रूपये 181270.69 की सामग्री सबरी ट्रेडर्स एंड सप्लायर रसूलपुर मुरादाबाद से क्रय की गई है स जिसकी पुष्टि बिलो के माध्यम से भी होती है जिसके सापेक्ष श्रमांश पर रुपए 119544.00 पर तथा रूपये 113200.00 मिस्त्री लेबर पर व्यय किया गया है स परंतु पंचायत भवन निर्माण संबंधी टेंडर पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे टेंडर विज्ञप्ति समाचार पत्रए टेंडर निविदा प्रपत्र शुल्क ए ठेकेदारों की जमानत राशि तथा तुलनात्मक चार्टए तथा परिवार रजिस्टरआदि की स्थिति अज्ञात रही स इसके साथ ही एस्टीमेट तथा माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई स इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण प्रक्रिया में वित्तीय नियमों का पालन न करके रूपये 535501.79 (121487.10, 181270.69, 119544.00 ,113200.00) की वित्तीय अनियमितता की गई जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती असवी बेगम तथा सम्बंधित

पंचायत सचिव सतपाल सिह एवं कार्यक्रम अधिकारी व तकनीकी सहायक उत्तरदाई है अतः उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -535501.79

164-ग्राम पंचायत- मलकपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-175

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मलकपुर में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पंचायत भवन के लिए टेंडर निविदा 25 जून 2021 को शाह टाइम्स नामक अखबार में प्रकाशित की गयी, जबकि वित्तीय नियम अनुसार कम से कम तीन अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए था। जिसकी अनुमानित लागत 15.53 लाख थी, जिसके सापेक्ष रूपये 1208612.00 की सामग्री खरीद की जानी थी, जिसके आधार पर चार फर्मों एम/एस नौशे कांट्रेक्टर, हिंद ट्रेडर्स, आशिया ट्रेडर्स और एम/एस मुजफ्फर अली कांट्रेक्टर के कोटेशन प्राप्त हुए, जिसमें प्रति फर्म निविदा शुल्क रुपए 1000.00 लिया जाना था. इस प्रकार कुलरूपये 4×1000-4000.00 प्राप्त हुए. जिसका विवरण कैश बुक में देखने को नहीं मिला, इस प्रकार के कैश बुक में एंट्री न करके रुपए 4000 का गबन किया गया, इसके लिए ग्राम प्रधान जहागीर एवं संबंधित सचिव अखिलेश पुरोहित उत्तरदाई है, जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-176

इसी प्रकार प्रति फर्म 2% की जमानत राशि रूपये 24200.00 तथा कुल जमानत राशि रुपए 4×24200-96800.00 लिया जाना था, जिसका कोई विवरण देखने को नहीं मिला, अतः वित्तीय नियमों का उल्लघन करते हुए गभीर नियमितता बरती गई,

वही तुलनात्मक चार्ट पर केवल ग्राम प्रधान के ही हस्ताक्षर पाएंगे जबकि नियमानुसार तुलनात्मक चार्ट की समीक्षा एक गठित कमेटी द्वारा की जानी थी। इस चार्ट के आधार पर एम/एस नौशे कांट्रेक्टर को विभागीय दरों पर सामग्री सप्लाई हेतु टेंडर स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर इस फर्म से रूपये 253720.98 की सामग्री क्रय की गई जिसकी पुष्टि बिर्ला के माध्यम से होती है। परंतु सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, इसी कार्य हेतु रुपए 104178.00 की सामग्री एम/एस न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स पाकवाडा मुरादाबाद से क्रय की गई और रुपए 280836.64 की सामग्री एम/एस फैज़ ए आम सीमेंट स्टोर बिलारी मुरादाबाद से क्रय की गई जबकि उक्त दोनों फर्मों द्वारा कोई कोटेशन / टेंडर नहीं दिया गया था, इस प्रकार उक्त दोनों फम्रो से

मटेरियल क्रय करके वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी। इसके साथ ही लेखा परीक्षा में पंचायत निर्माण संबंधी कार्यवाही पुस्तिका, तथा माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण में कुल रुपए 735535.62(96800.00+25372.98+104178.00+280836.64) की वित्तीय अनियमितता अपनायी गयी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जहांगीर तथा संबंधित पंचायत सचिव अखिलेश पुरोहित एवं कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदाई है, इनके प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

कुल धनराशि -739535.62

165-ग्राम पंचायत-मुडिया भीकम वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-177

. आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मुडिया भीकम में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि - पंचायत भवन के लिए टेंडर निविदा 25 जून 2021 को शाह टाइम्स, 1 जुलाई 2021 को दैनिक जागरण, तथा 26 अक्टूबर 2021 को उत्तर केशरी नामक अखबार में प्रकाशित की गयी। जिसकी अनुमानित लागत 17.709 लाख थी, जिसके सापेक्ष रूपये 1333320.00 की सामग्री खरीद की जानी थी, जिसके आधार पर तीन फर्मों-, हिंद ट्रेडर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी , और एम/एस अमान रज़ा बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर के कोटेशन प्राप्त हुए, जिसमें प्रति फर्म निविदा शुल्क रुपए 1000.00 लिया जाना था. इस प्रकार कुलरूपये 3×1000-3000.00 प्राप्त हुए, जिसका विवरण कैश बुक में देखने को नहीं मिला, इस प्रकार के कैश बुक में एंट्री न करके रुपए 3000.00 का गबन किया गया, इसके लिए ग्राम प्रधान भूरा एवं संबंधित सचिव विवेक कुमार उत्तरदाई है, जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर-178

इसी प्रकार प्रति फर्म 2% की जमानत राशि रूपये 26700.00 तथा कुल जमानत राशि रुपए 3×26700-80100.00 लिया जाना था, जिसका कोई विवरण देखने को नहीं मिला, अतः वित्तीय नियमों का उल्लघन करते हुए गभार अनियमितता अपनायी गई,

वही तुलनात्मक चार्ट पर केवल ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव के ही हस्ताक्षर पाएंगे जबकि नियमानुसार तुलनात्मक चार्ट की समीक्षा एक गठित कमेटी द्वारा की जानी थी। इस चार्ट के आधार पर एम/एस अमान रज़ा बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर बिलारी मुरादाबाद को विभागीय दरों से 0.05% कम दर पर सामग्री सप्लाई हेतु टेंडर स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर इस फर्म से रूपये 1136926.48 की सामग्री क्रय की गई जिसकी पुष्टि बिलो के माध्यम से होती है। परंतु सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि 0.05% कम दर पर खरीदी जानी थी, इस प्रकार रूपये 568.46 ज्यादा भुगतान किया गया, जिसके लिए ग्राम प्रधान भुरा एवं संबंधित सचिव विवेक कुमार उत्तरदायी है, उनसे वसूली किया जाना अपेक्षित है

इसके साथ ही लेखा परीक्षा में पंचायत निर्माण संबंधी कार्यवाही पुस्तिका, तथा माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण में कुल रुपए 1217026.48 (80100.00+1136926.48) की वित्तीय अनियमितता अपनायी गयी तथा रुपए 3568.46(568.46+3000.00) की कैशबुक में एंट्री न करके गबन किया गया। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भूरा तथा संबंधित पंचायत सचिव विवेक कुमार एवं कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदाई है, इनके प्रति वित्तीय अनियमितता के लिए विभागीय कार्यवाही तथा गबन के लिए वसूली किया जाना अपेक्षित है

कुल धनराशि -1220594.94

166-ग्राम पंचायत-मुडिया जैन वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-179

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मुंडिया जैन में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पंचायत भवन के लिए टैंडर निविदा 29 जून 2021 को अमर उजाला नामक अखबार में प्रकाशित की गयी, जबकि वित्तीय
नियम अनुसार कम से कम तीन अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए था। जिसकी अनुमानित लागत 15.53 लाख थी. जिसके सापेक्ष रूपये 1208612.00 की सामग्री खरीद की जानी थी, जिसके आधार पर तीन फर्मों एम/एस भोले राम कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर आसिफा ट्रेडर्स और एम/एस मुजफ्फर अली कांट्रेक्टर के कोटेशन प्राप्त हुए, जिसमें प्रति फर्म निविदा शुल्क रुपए 1000.00 लिया जाना था. इस प्रकार कुल रूपये 3×1000-3000.00 प्राप्त हुए, जिसका विवरण कैश बुक में देखने को नहीं मिला, इस प्रकार के कैश बुक में एंट्री न करके रुपए 3000.00 का गबन किया गया, इसके लिए ग्राम प्रधान जसवीरएवं संबंधित सचिव अखिलेश पुरोहित उत्तरदाई है।

प्रस्तर-180

इसी प्रकार प्रति फर्म 2% की जमानत राशि रूपये 24200.00 तथा कुल जमानत राशि रुपए 3×24200-72600.00 लिया जाना था, जिसका कोई विवरण देखने को नहीं मिला, अतः वित्तीय नियमों का उावधन करते हुए गभीर अनियमितता अपनायीं गई, वही तुलनात्मक चार्ट पर केवल ग्राम प्रधान और संबंधित सचिव के ही हस्ताक्षर पाएंगे जबकि नियमानुसार तुलनात्मक चार्ट की समीक्षा एक गठित कमेटी द्वारा की जानी थी। इस चार्ट के आधार पर एम/एस भोले राम कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर , बिलारी मुरादाबाद को विभागीय दरों से 0.05% कम दर पर सामग्री सप्लाई हेतु टेंडर स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर इस फर्म से रूपये 546187.31 की सामग्री क्रय की गई जिसकी पुष्टि बिलो के माध्यम से होती है। परंतु सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि सामग्री 0.05% कम दर पर खरीदी जानी थी इस प्रकार रूपये 273.00 अधिक भुगतान किया गया। इसके साथ ही लेखा परीक्षा में पंचायत निर्माण संबंधी कार्यवाही पुस्तिका, तथा माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण में कुल रुपये

618787.31(72600.00+546187.31) की वित्तीय अनियमितता अपनायी गयी तथा रुपए 3273.00(273.00+3000.00) की कैश बुक में एंट्री ने करके गबन किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री जसवीर सिंह तथा संबंधित पंचायत सचिव अखिलेश पुरोहित एवं कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदाई है, इनके प्रति विभागीय कार्यवाही, गबन की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -622060.31

167-ग्राम पंचायत-सुनारी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-181

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सुनारी में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पचायत भवन के लिए टेंडर निविदा 24 जून 2021 को शाह टाइम्स, 28 जून 2021 को हिंदुस्तान, तथा 2दिसंबर 2021 को आज नामक अखबार में प्रकाशित की गर्यो। जिसकी अनुमानित लागत 17.709 लाख थी, जिसके सापेक्ष रूपये 1333320.00 की सामग्री खरीद की जानी थी, जिसके आधार पर तीन फर्मों, मुजफ्फर अली कांट्रेक्टर वी/एस कांट्रेक्टर एंड सप्लायर तथा ख़्वाजा एंटरप्राइजेज चक फ़जलपुर कुंदरकी के कोटेशन प्राप्त हुए, जिसमें प्रति फर्म निविदा शुल्क रुपए 1000.00 लिया जाना था. इस प्रकार कुलरूपये 3×1000-3000.00 प्राप्त हुए, जिसका विवरण कैश बुक में देखने को नहीं मिला, इस प्रकार के कैश बुक में एंट्री न करके रुपए 3000.00 का गबन किया गया, इसके लिए ग्राम प्रधान एवं संबंधित सचिव उत्तरदाई है,

प्रस्तर-182

इसी प्रकार प्रति फर्म 2% की जमानत राशि रूपये 26700.00 तथा कुल जमानत राशि रुपए 3×26700-80100.00 लिया जाना था, जिसका कोई विवरण देखने को नहीं मिला, अतः वित्तीय नियमों का उल्लघन करते हुए गभीर अनियमितता अपनायी गई, वही तुलनात्मक चार्ट पर केवल ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव के ही हस्ताक्षर पाएंगे जबकि नियमानुसार तुलनात्मक चार्ट की समीक्षा एक गठित कमेटी द्वारा की जानी थी। इस चार्ट के आधार पर एम/एस ख़्वाजा एंटरप्राइजेज कुंदरकी मुरादाबाद को विभागीय दरों पर सामग्री सप्लाई हेतु टेंडर स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर इस फर्म से रूपये 208384.34 की सामग्री क्रय की गई। गई जिसकी पुष्टि बिलो के माध्यम से होती है। परंतु सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का पालन नहीं कि किया गया, क्योंकि लेखा परीक्षा में पंचायत पंचायत निर्माण संबंधी कार्यवाही पुस्तिका, तथा माप पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं करायी गयी इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण में कुल रु288484.34 (80100.00+208384.34) की वित्तीय अनियमितताअपनायी गयी तथा रुपए 3000.00 100.00 की की कैशबुक में एंट्री न करके गबन किया गया। ।। जिसके जिसके लिए लिए ग्राम प्रधान तनवी यादव तथा संबंधित पंचायत सचिव राजिव कुमार एवं कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदाई है, इनके प्रति वित्तीय अनियमितता के लिए विभागीय कार्यवाही तथा गबन के लिए वसूली किया जाना अपेक्षित है

कुल धनराशि -291484.34

168-ग्राम पंचायत-जैतपुर पट्टी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-183

ग्रामं पचायत जैतपुर पट्टी वर्ष 20 21-22 की कैश बुक की जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2021 से दिसंबर 2021 तक विभिन्न तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. पंचायत भवन निर्माण पर व्यय धनराशि रुपए 263155.00
2. नल मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 192051.00
3. साफ सफाई कार्यों पर व्यय धनराशि रुपए 66264.00
4. फर्नीचर आंदि व्यय धनराशि रुपए 47800.00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूपये 569270.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी इस प्रकार

रुपए 569270.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जम्बार हुसैन तथा पंचायत सचिव श्री जबर सिंह से की जाए तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है

प्रस्तर-184

ग्राम पंचायत जैतपुर पट्टी की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 25.03.2023 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 4.43 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, विननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से जो खण्ड विकास आधकारी /कार्यक्रम आधकारा कुदरका डांगरपुर को सबाधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावला उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उविखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार रुपए 4.43 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री जब्बार हुसैन तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत राजीव कुमार/जबर सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1012270.00

169-ग्राम पंचायत-अहलादपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-185

ग्राम पंचायत अहलादपुर वर्ष 2021-22 की की जांच में पाया गया कि माह नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक विभिन तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिस का विवरण निम्नवत है

1. पंचायत भवन निर्माण पर व्यय धनराशि रुपए 314913.00
2. प्राथमिक विद्यालय के चारों ओर नाली मरम्मत पर व्यय भराशि रुपए 9879,00
3. विभित्र स्थानों पर पुलिया व चैनल निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि रुपए 93311.00
4. प्रशासनिक व्यय धनराशि रुपए 3000.00
5. साजिद के घर से मस्जिद तक सीसी नाली निर्माण पर व्यय धनराशि रुपए 142058.00
6. ओवेश के घर से असीम के घर सीत्ती नाली निर्माण पर व्यय धनराशि रूपये 233299.00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूपये 796460.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दशांए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी इस प्रकार रुपए 796460.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद कालिम तथा पंचायत सचिव श्री नरेश कुमार से की जाए तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है

प्रस्तर-186

ग्राम पंचायत अहलादपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 22.09.2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 16.09 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बध में निम्नांकित तिथियों को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनाक 18/10/2022, दिनाक 21/10/2022, दिनाक 15/11/2022, दिनाक 15/12/2022, दिनाक 15/12/2022, दिनांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उलिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 16.09 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद कासिम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सतपाल सिह/नरेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2405460.00

170-ग्राम पंचायत-ऊंचाकानी वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-187

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत ऊंचाकानी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक के अनुसार ग्राम प्रधान को दिए गए मानदेय का विवरण निम्नलिखित है:-

दिनांक 21/09/2021 को रू 10500.00,

दिनांक 03/01/2022 को रु 14000.00,

दिनांक 16/03/2022 को रू 26000.00, कुल रु 50500.00

साथ ही उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है ग्राम प्रधान द्वारा दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 4 माह का मानदेय प्रतिमाह रुपए 5000.00 के हिसाब से प्राप्त किया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16 दिसंबर 2021 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय प्रतिमाह ₹5000 होगा। इसलिए दिसंबर 2021 का मानदेय रुपए 4250(1750+2500) होगा, जबकि पुरे वित्तीय वर्ष का कुल मानदेय रू 40250.00होगा, इस प्रकार रु 10250.00अधिक मानदेय दिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सौनाद सिंह तथा पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार तथा श्री रईस आलम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

कुल धनराशि -10250.00

171-ग्राम पंचायत चिडिया ठेर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-188

पंचायत चिडिया ठेर वर्ष 20 21-22 की कैश बुक की जांच में पाया गया कि माह अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक विभिन तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिसका विवरण निम्नवत है-

1. प्राथमिक विद्यालय में वाटर सप्लाई सिस्टम तथा मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि रुपए 172811.00
2. अन्य कार्यों पर व्यय धनराशि रुपए 3000.00
3. मल मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 15000,00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूमये 190811.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी इस प्रकार रूपए 190811.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राशिद अली तथा पंचायत सचिव श्री नरेंद्र प्रताप सिंह व संबंधित प्रशासक से की जाए तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है

प्रस्तर-189

ग्राम पंचायत चिड़ियाठेर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 24.03.2023 को की गई। वर्ष 2 दौरान मनरेगा योजना 13.08 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित प्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निग्नांकित तिथियों को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने का सादर अपेक्षा का गइ था, किंतु खण्ड विकास आधिकारा/कार्यक्रम आधकारा द्वारा उक्त आभलख उपलब्ध करान मे कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा तेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उलिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। पसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलाया खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 13.08 लाख की वसूली प्राम प्रधान श्री राशिद अली तथा संम्बंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1498811.00

172-ग्राम पंचायत कलाल खेड़ा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-190

ग्राम पंचायत कलाल खेड़ा वर्ष 20 21-22 की कैश बुक की जांच में पाया गया कि माह जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक विभिन्न तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. नल मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 52538.00
2. स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय धनराशि रुपए 198000.00
3. विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई कार्य पर व्यय धनराशि रुपए 49752.00
4. प्रशासनिक व्यय धनराशि रुपए 8000.00
5. पंचायत भवन निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि रूपये 253000.00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूपये 561290.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी इस प्रकार रुपए 561290.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री शरद शर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री जगपाल सिंह से की जाए तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-191

ग्राम पंचायत कलाल खेड़ा की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 16.11.2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 11.96 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननाक 21/01/2023 को आफलाइन माग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनाक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बंधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की

जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/ व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 11.96 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगपाल सिंह तथा संम्बंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शरद शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1757290.00

173-ग्राम पंचायत हिसामपुर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-192

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हिसामपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक के अनुसार ग्राम प्रधान को दिए गए मानदेय का विवरण निम्नलिखित है

दिनांक 4/12/2021 को रु 7000.00, माह जून से जुलाई

दिनांक 12/01/2022 को रु 14000.00, माह अगस्त से नवंबर तक

दिनांक 21/03/2022 को रु 20000.00, माह दिसंबर 2021 से मार्च 202 तक

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है ग्राम प्रधान द्वारा दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 4 माह का मानदेय प्रतिमाह रुपए 5000.00 के हिसाब से प्राप्त किया गया। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16 दिसंबर 2021 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय प्रतिमाह ₹5000 होगा। इसलिए दिसंबर 2021 का मानदेय रुपए 4250 (1750-2500) होगा, जबकि इस माह में दिया गया है कुल मानदेय ₹5000.00. है. इस प्रकार रु 750 अधिक दिया । जिसकी ब्याज सहित बसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सालिम तथा पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेकित है

प्रस्तर-193

ग्राम पंचायत हिसामपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 15.10.2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 21.96 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई. किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बंध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी /कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बंधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 21.96 लाख की वसूली ग्रान प्रधान श्रीमती सालिम तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -2196750.00

174-ग्राम पंचायत रसूलपुर हमीर वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर-194

ग्राम पंचायत रसूलपुर हमीर वर्ष 20 21-22 की कैश बुक की जांच में पाया गया कि माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक विभिन तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. नल मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 78700.00

2. प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर। रसूलपुर हमीरपुर जाफरपुर। जाफरपुर मे सार्वजनिक शौचालयमरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 32700.00

3. विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि रुपए 176770.00

4. प्रशासनिक व्यय धनराशि रुपए 5000.00

5. कायाकल्प कार्यों पर व्यय धनराशि रूपये 149240,00 6. 6.विभिन्न स्थानों पर पुलिया व चैनल निर्माण पर व्यय धनराशि रूपये 89500.00

7. फॉगिंग मशीन हेतु क्रय पर व्यय धनराशि रु 44800.00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूपये 576710.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी

इस प्रकार रुपए 576710.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अंकित सिंह तथा संबंधित प्रशासक से की जाए तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-195

ग्राम पंचायत रसूलपुर हमीर की वर्ष 2021-22 की गनरेगा की ऑनलाइन लेखापरीक्षा दिनांक 17.12.2022 को की गई। वर्ष दौरान मनरेगा योजना 9.57 लाख रूपए व्यय मनरेगा बेबसाइड पर अंकित पाए गए। इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा वर्तमान सचिव/ सम्बधित ग्राम रोजगार सेवक से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखापरीक्षा के दौरान की गई, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। इस सम्बध में निम्नांकित तिथियो को क्रमशः से दिनांक 06/09/2022, दिनांक 18/10/2022, दिनांक 21/10/2022, दिनांक 15/11/2022, दिनांक 15/12/2022, दिनांक 15/12/2022, दिननांक 21/01/2023 को ऑफलाइन मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 02/02/2023 के माध्यम से, जो खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी कुदरकी/डींगरपुर को संबोधित कर व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की सादर अपेक्षा की गई थी, किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखामैनुअल के अध्याय 8 के 5 बिंदु बिंदु 7 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल/लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त भिलेख उपलब्ध कराएं।

बिंदु संख्या 8 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संम्बंधित ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली / व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रुपए 9.57 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद इसराइल तथा संम्बधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अंकित सिह, खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1533710.00

175-ग्राम पंचायत आजम नगर चोपड़ा वर्ष 2021-22 विकास खण्ड- कुंदरकी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर-196

ग्राम पंचायत आजम नगर चोपड़ा वर्ष 2021-22 की कैस बुक की जांच में पाया गया कि माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक विभिन्न तिथियों में धन आहरित करके निम्नलिखित कार्य कराए गए जिसका विवरण निम्नवत है

1. स्कूल बेंच निर्माण पर व्यय धनराशि रूपये 207680.00
2. नल मरम्मत पर व्यय धनराशि रुपए 379682.00
3. कूड़ा गाड़ी तथा फोगिंग मशीन क्रय पर व्यय धनराशि रुपए 77182.00
4. विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई तथा मिट्टी भराव कार्य परव्यय धनराशि रुपए 66540.00
5. अन्य कार्यों पर व्यय धनराशि रुपए 31500.00
6. पंचायत भवन निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि रूपये 80365.00

इस प्रकार उक्त कार्यों पर कुल रूपये 842949.00 का भुगतान किया गया, परंतु उक्त भुगतान के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए ग्राम पंचायतों में विच एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिंदु । (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गए व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाएगी इस प्रकार रुपए 842949.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रशासक तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राम प्रकाश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री सखायत हुसैन से की जाए तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

प्रस्तर-197

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत आजमनगर चोपड़ा में पंचायत भवन निर्माण की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पंचायत भवन निर्माण के के लिए रुपए 548330.28की सामग्री वी/एस कांट्रेक्टर एंड सप्लायर चंदौसी रोड कुंदरकी मुरादाबाद से क्रय की गई है। जिसकी पुष्टि बिलो के माध्यम से भी होती है। जिसके सापेक्ष श्रमांश पर रुपए 107200.00 व्यय किया गया है। परंतु पञ्चायत भवन निमाण सबधी टेडर पत्रावली लेखा परीक्षा ने उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे टंडर विज्ञप्ति समाचार पत्र, टेडर निविदा प्रपत्र शुल्क, ठेकेदारों की जमानत राशि तथा तुलनात्मक चार्ट आदि की स्थिति अज्ञात रही। इसके साथ ही एस्टीमेट तथा माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण प्रक्रिया में वित्तीय नियमों का पालन न करके रूपये 655530,28 (548330.28+107200.00) की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सखावत हुसैन तथा सम्बंधित पंचायत सचिव राम प्रकाश एवं कार्यक्रम अधिकारी व तकनीकी सहायक उत्तरदाई है, अतः उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1498479.28

176-**ग्राम पंचायत करनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद**

प्रस्तर - 198

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	प्राप्त कर्ता
01	05-09-2021	13450.00	जितेन्द्र कुमार
02	05-09-2021	81227.00	जे0 के0 टाईल्स एवं ब्रिक्स वर्क
03	05-09-2021	13760.00	अरूण कुमार
04	05-09-2021	9008.00	शक्ति सीमेंस्टोर
05	05-09-2021	7333.00	जे0 के0 टाईल्स एवं ब्रिक्स वर्क
06	08-01-2022	20544.00	श्री जबर सिंह
07	09-03-2022	79479.00	जे0 के0 टाईल्स एवं ब्रिक्स वर्क
	योग -	224801.00	

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई भी बाउचर्स उपलब्ध नही कराया गया । जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -224801.00 का गबन प्रधान श्रीमति रोबिना एवं सचिव श्री शादाब अली द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 199

ग्राम पंचायत करनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1478822.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य, विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , असरफ के खेत से इशपाक के खेत से चकरोड मिट्टी कार्य , फरमान के खेत से कलुआ के खेत तक चकरोड मिट्टी कार्य , शराफत के खेत से मुसफर के खेत तक चकरोड पर मिट्टी कार्य, यूसुफ के खेत से अली के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य , राम सिंह के गेट से राजबुल के गेट से होचे हुए भल्ला नंदी तक कच्चा नाला कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 1188504.00, सामग्री रुपया-222718.20 एवं मिस्त्री 67600.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके

साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1478822.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- श्रीमति श्रध्दा गुप्ता , लेखाकार-नितिन कुमार, सचिव ग्राम पंचायत श्री- शादाब अली ,ग्राम प्रधान-श्रीमत रोबिना, तकनीकी सहायक - श्री अकरम एवं रोजगार सेवक-नाहिद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1703623.00

177-ग्राम पंचायत नाजरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद प्रस्तर - 200

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम
01	22-07-2021	61693.00	सामुदायिक शौचालाय पर टाईलीकरण एवं रगाई पुताई की मजदूरी ।
02	22-07-2021	73627.00	सामुदायिक शौचालाय गेट पेंट एवं सीमेंट क्रय हेतु ।
03	22-07-2021	96411.00	सामुदायिक शौचालाय,वाल टाईल्स फ्लोर टाईल्स एवं बजरफुट क्रय ।
04	22-07-2021	115031.00	सामुदायिक शौचालाय इलैक्ट्रीफिकेशन समर सेवल कार्य ।
05	31-10-2021	95852.00	पंचायत भवन बाउंड्री हेतु ईट, सीमेंट, गेट क्रय ।
06	31-01-2022	70833.00	पंचायत भवन बाउंड्री हेतु ईट, सीमेंट, आदि क्रय ।
07	25-03-2022	17600.00	प्रेमपाल से फूल सिंह सी.सी टाईल्स कार्य हेतु मजदूरी ।
08	30-03-2022	80039.00	प्रेमपाल से फूल सिंह सी.सी टाईल्स हेतु टाईल्स क्रय ।

योग - **611086.00**

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टेंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -**611086.00** का गबन प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 201

ग्राम पंचायत नाजरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1339536.62 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य,शमशान घाट मे वृक्षारोपण कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य ,नाजर पुर में शिवकुमार के खेत से नरोतम के खेत तक चकबंद कार्य , चन्द्रपाल के खेत से भानूप्रकाश के खेत तक चकबंद कार्य , मक्खन के खेत से जगदीश के खेत तक चकबंद कार्य , ओमकार के खेत से जेनदल लाल के खेत तक चकबंद कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्य वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 838143.00 तथा मिस्त्री हेतु व्यय धनराशि -100400.00 तथा सामग्री हेतु 400993.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1339536.62 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- अजय कुमार,ग्राम प्रधान-श्री भूपेन्द्र सिंह, तकनीकी सहायक - श्री संतोष शर्मा एवं रोजगार सेवक-श्री भूपेन्द्र सिंह (रोजगार सेवक का पद रिक्त होने के कारण प्रधान द्वारा कार्य निर्वहन किया गया) से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -9650622.62

178-ग्राम पंचायत दौलतपुर अजमतपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 202

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	कार्य

01	08-06-2021	26678.00	पंचायत भवन हेतु रोडी, सरिया, दरवाजे आदि हेतु ।
02	09-06-2021	20000.00	पंचायत भवन हेतु मिट्टी पटान ।
03	09-06-2021	26000.00	शौचालय पर लाईट ।
04	09-06-2021	169634.00	पंचायत भवन हेतु सीमेंट बजरफुट आदि ।
05	09-06-2021	131354.00	पंचायत भवन हेतु टंकी फिटिंग समर सेवल ।
06	24-08-2021	20000.00	प्राईमरी स्कूल दौलतपुर में वाल टाईल्स क्रय हेतु ।
07	24-08-2021	20120.00	प्राईमरी स्कूल दौलतपुर में मजदूरी भुगतान ।
08	24-08-2021	148330.00	प्राईमरी स्कूल दौलतपुर में फ्लोर टाईल्स क्रय ।
09	24-08-2021	60130.00	प्राईमरी स्कूल दौलतपुर में मजदूरी भुगतान ।
10	24-08-2021	60640.00	प्राईमरी स्कूल दौलतपुर में वाल टाईल्स क्रय ।
11	17-09-2021	4057.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक मिट्टी पटान ।
12	17-09-2021	6800.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक मजदूरी व्यय ।
13	17-09-2021	10350.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक मजदूरी भुगतान ।
14	17-09-2021	10924.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक ईट रोढी क्रय ।
15	17-09-2021	12966.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक सीमेंट रेत क्रय ।
16	17-09-2021	73761.00	भूरा के मकान से प्राईमरी स्कूल के गेट तक सी.सी टाईल्स ।
	योग -		**801744.00**

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टेंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -**801744.00** का गबन प्रधान श्रीमति जायदा एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -801744.00

179-ग्राम पंचायत धतुरा मेघा नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 203

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 24-05-2021 को रू0- 105010.00 पंचायत भवन निर्माण हेतु ईट ,रोढी आदि का भुगतान किया गया है । लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित एस्टीमेट, एम.बी वाउचर आदि अप्राप्त रहा । उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा

409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -105010.00 का गबन प्रशासक- श्री चन्द्रपाल सिंह एवं सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -105010.00

180-ग्राम पंचायत रौण्डा मुस्तकम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 204

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	कार्य
01	12-07-2021	11200.00	अकरम के घर से बिलकिस तक सी.सी टाईल्स राजमिस्त्री ।
02	12-07-2021	184404.00	अकरम के घर से बिलकिस तक सी.सी टाईल्स क्रय ।
03	12-07-2021	20936.00	महीपाल से तालाब तक मिट्टी पटान कार्य ।
04	12-07-2021	34642.00	असरफ से समसाद तक नाली हेतु ईट , रोढी क्रय ।
05	12-07-2021	237552.00	सामुदायिक शौचालय पर व्यय ।
06	13-07-2021	81020.00	पंचायत भवन हेतु दरवाजे खिडकी ।
07	13-07-2021	143116.00	पंचायत भवन पर लाईट एवं टंकी फिटिंग ।
08	13-07-2021	167194.00	पंचायत भवन हेतु सरिया, रोढी आदि क्रय ।
09	13-07-2021	169638.00	पंचायत भवन बाउंड्रीवाल व्यय ।
10	13-07-2021	16065.00	अकरम से बिलकिस सी.सी टाईल्स हेतु रोढी क्रय ।
11	13-07-2021	25741.00	महीपाल से तालाब तक नाली हेतु सीमेंट रेत क्रय ।
12	28-07-2021	17480.00	अकरम से विलकिस तक सी.सी रोड हेतु मजदूरी ।
13	28-07-2021	20544.00	अकरम से विलकिस तक सी.सी रोड हेतु सीमेंट रेत क्रय ।
14	28-07-2021	29515.00	महीपाल से तालाब तक नाली हेतु ईट, रोढी क्रय ।

योग - **1159047.00**

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टेंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -**1159047.00** का गबन प्रधान श्रीमति हेमलता देवी एवं सचिव श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1159047.00

181-ग्राम पंचायत खैरा खाता वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - मूढापाण्डे जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 205

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 31-12-2021 को रू0- 60576.00 पंचायत भवन निर्माण हेतु साजिद सीमेंट को भुगतान किया गया है । लेकिन उक्त व्यय से व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा । उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -60576.00 का गबन सचिव श्री रवि कुमार एवं प्रधान - श्री यूसुफ द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 206

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

वित्त	दिनांक	धनराशि	कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	6900.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	8368.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	73716.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	12945.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	5600.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	6662.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में सी,सी टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	50005.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में फ्लोर टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	7350.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में फ्लोर टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	7350.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में फ्लोर टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	12800.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में फ्लोर टाईल्स कार्य
के0 वित्त	23-10-2021	71464.00	प्रा0 स्कूल मेवाती मिलक में फ्लोर टाईल्स कार्य
योग	-	**263160.00**	

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टैंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय

की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -**263160.00** का गबन प्रधान श्री युसुफ एवं सचिव श्री इंतजार हुसैन द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -323736.00

182-ग्राम पंचायत बरखेडा बसन्तपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 207

ग्राम पंचायत बरखेडा बसन्तपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-728103.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य, तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, जगवती पत्नी प्रताप के घर में कैटल शीड निर्माण कार्य, चक महन्दीपुर से लदावली तक भूमि विकास कार्य, पी.डब्लू.डी से चक हमीदपुर तक भूमि व्कास कार्य, चक जगवाली में तालाब का जीर्णोध्दार कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 716223.00 एवं रूपये मिस्त्री 11880.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों भी इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-728103.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राशिद हुसैन ,ग्राम प्रधान-श्री राम सिंह तकनीकी सहायक - श्री मौ0 असलम एवं रोजगार सेवक- सतेन्द्र से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 738103.00

183-ग्राम पंचायत भीकमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 208

ग्राम पंचायत भीकमपुर असदलपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-667223.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। प्राथमिक विघालय में दिवार निर्माण कार्य, तसलीम प्रधान जी के खेत से चीडा के खेत तक नाली खुदाई कार्य, रूपेन्द्र सिंह के खेत पर

समतलीकरण कार्य, तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य ,संदीप के घर से कच्चा नाला खुदाई कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 661533.00 एवं रूपये मिस्त्री 5690.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-667223.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव कुमार ,ग्राम प्रधान-श्री तसलीम अहमद तकनीकी सहायक - श्री दिनेश एवं रोजगार सेवक-योगेन्द्र से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -667223.00

184-ग्राम पंचायत बीबीपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 209

ग्राम पंचायत बीबीपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-801709.35 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य, तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , अलीशेर के खेत से रामगंगा के तक भूमि विकास कार्य,मौ0 अली के खेत से रामगंगा नदी तक भूमि विकास कार्य, कब्रिस्तान में शोकपीट निर्माण कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 586878.00 एवं 100351.35 रूपये मिस्त्री 114480.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ

दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-801709.35 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- रणवीर ,ग्राम प्रधान-श्री मौ0 आजम खाँ, तकनीकी सहायक - श्री मौ0 असलम एवं रोजगार सेवक-मुकेश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -801709.35

185-ग्राम पंचायत हरिनूरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 210

ग्राम पंचायत हरि नूरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-738393.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है।भगत के खेत से अब्दुल के खेत तक पक्की सडक से कमल के खेत तक , फत्ते के खेत से नाजिर के खेत तक , असलम के खेत से हनीफ के खेत तक जमनिया पुलिया से पठांगी की पुलिया तक, कमल के खेत से असरफ के खेत तक भूमि विकास कार्य, विभिन्न नालो की खुदाई, तालाब का जीर्णोध्दार कार्य , पौध रोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 738393.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-738393.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- कृष्ण कुमार एवं गीता देवी ,ग्राम प्रधान-श्रीमति फेहमीदा, तकनीकी सहायक - श्री रिजवान एवं रोजगार सेवक- शबाना खातून से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 211

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

वित्त	दिनांक	धनराशि	कार्य
रा0 वित्त	05-10-2021	8132.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
रा0 वित्त	05-10-2021	41206.00	फ्लोर टाईल्स कार्य
रा0 वित्त	05-10-2021	127956.00	अज्ञात
रा0 वित्त	05-10-2021	32410.00	अज्ञात
रा0 वित्त	18-10-2021	41170.00	हैदर हुसैन के घर तक सी.सी टाईल्स
के0 वित्त	03-09-2021	11222.00	सफाई कार्य
के0 वित्त	03-09-2021	15340.00	सफाई कार्य
के0 वित्त	13-09-2021	12413.00	कुडा ढुलाई कार्य
के0 वित्त	14-09-2021	15930.00	कुडा ढुलाई कार्य
के0 वित्त	05-10-2021	29640.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	05-10-2021	92040.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	05-10-2021	23131.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	05-10-2021	5850.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	18-10-2021	9145.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	18-10-2021	6480.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	18-10-2021	9476.00	राशिद कान्ट्रेक्टर
के0 वित्त	18-10-2021	124912.00	गोमती टाईल्स
के0 वित्त	18-10-2021	8850.00	गोमती टाईल्स
के0 वित्त	18-10-2021	8850.00	गोमती टाईल्स
के0 वित्त	18-10-2021	8850.00	गोमती टाईल्स
के0 वित्त	18-10-2021	6480.00	गोमती टाईल्स
	योग	-	639483.00

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टैंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -639483.00 का गबन प्रधान श्रीमति फेमीदा एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार सैनी द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1377876.00

186-ग्राम पंचायत खलीलपुर कद्दीम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 212

ग्राम पंचायत खलीलपुर कद्दीम द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-942018.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य, तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , मेन सडक से महा सिंह के खेत तक भूमि विकास कार्य, मेन सडक से बृजपाल के खेत तक भूमि विकास कार्य,अली हुसैन के घर से आस मौ0 के घर तक सी.सी. टाईल्स कार्य, लाईन वाले तालाब का सौन्दर्य करण कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 911778.00 एवं मिस्त्री 30240.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-942018.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजकुमार वर्मा ,ग्राम प्रधान-श्री युसूफ खान, तकनीकी सहायक - श्री मौ0 असलम एवं रोजगार सेवक-अंकुल से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -942018.00

187-ग्राम पंचायत खातापुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 213

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

क्र0	वित	दिनांक	धनराशि	कार्य
01	रा0वि0	08-11-2021	46857.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु सैनी टाईल्स
02	रा0वि0	08-11-2021	8640.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु रोहताश कुमार
03	रा0वि0	08-11-2021	12615.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु अल्ली ईट उघोग ।
04	रा0वि0	08-11-2021	23305.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु ओमी चन्द्र

05	रा0वि0	08-11-2021	15832.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु	जितेन्द्र सीमेंट हेतु
06	रा0वि0	08-11-2021	6836.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु	सोहन सिंह
07	के0 वि0	08-11-2021	46857.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु	सैनी टाईल्स
08	के0वि0	08-11-2021	45473.00	प्राईमरी स्कूल में टाईल्स हेतु	सैनी टाईल्स
			योग -		**206415.00**

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टैंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -**206415.00** का गबन प्रधान श्रीमति मूर्ति देवी एवं सचिव श्री राशिद द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 214

ग्राम पंचायत खातापुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-821100.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत भवन निर्माण कार्य, विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, कृपाल के खेत से खोले तक भूमि विकास कार्य , ओमप्रकाश के खेत से बगिया के कोने तक भूमि विकास कार्य , चन्द्र प्रकास के खेत के कोने से जगराज के खेत तक भूमि विकास कार्य , शिवमन्दिर के पास शोकपीट निर्माण कार्य , उमेश देवी के घर से गौशाला तक भूमि विकास कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 821100.00 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथौचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-821100.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राशिद ,ग्राम प्रधान-

श्रीमति मूर्ति देवी, तकनीकी सहायक - श्री दिनेश एवं रोजगार सेवक-श्रीमति मूर्ति (रोजगार सेवक की जगाह कार्यरत) से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1027515.00

188-ग्राम पंचायत फूलपुर मिठ्ठनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 215

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 1303970.00 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 1303970.00 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 1303970.00 का गबन प्रधान - श्री अरविन्द , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री राजकुमार वर्मा द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 216

ग्राम पंचायत फूलपुर मिटनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-656005.10 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। पंचायत में तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , जगदीश के खेत से ट्यूव वेल तक भूमि विकास कार्य, मेन सडक से नहर तक मिट्टी नाली कार्य, डाल चन्द्र के घर से प्रीतम के खेत तक मिट्टी कार्य, लाल जी वाले तालाब सफाई कार्य, मेन रोड से धर्मेन्द्र के घर तक भूमि विकास कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 445074.10 एवं मिस्त्री 210931.10 हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी ।

लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-656005.10 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजकुमार वर्मा ,ग्राम प्रधान-श्री अरविन्द, तकनीकी सहायक - श्री दिनेश कतुमार एवं रोजगार सेवक- श्रीमति श्वेता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1959975.10

189-ग्राम पंचायत रायपुर खुर्द वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 217

ग्राम पंचायत रायपुर खुर्द द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1367281.72 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। रमेश सिंह के खेत से सुनिता देवी के खेत तक , शीशराम सिंह के खेत से रामकुमार के केत तक , प्राईमरी स्कूल से इरफान के खेत तक, बंदु सिंह के खेत से तालाब तक , रामकरन सिंह के खेत से प्रदीप के खेत तक , मेन रोड से अरूण के बाग तक ,अशोक के खेत से नेपाल के खेत तक , गणपत के खेत से शेर सिंह के खेत तक अशोक के खेत से महेन्द्र के खेत तक , नौहर सिं के खेत से राजेश सिंह के खेत तक आदि भूमि विकास कार्य , विभिन्न स्थानो पर पौधरोपण कार्य , तालाब का जीर्णोद्धार , नाला खुदाई आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 1294092.00 एवं केटल शीड निर्माण हेतु सामग्री रूपया - 71569.72 शोकपीट निर्माण हेतु 1620.00 रूपये मिस्त्री हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1367281.72 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य

प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राशिद हुसैन एवं अजयपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्रीमति चन्द्रो, तकनीकी सहायक - श्री रिजवान एवं रोजगार सेवक-श्रीमति चन्द्रो(रोजगार सेवक का पद रिक्त होने के कारण प्रधान द्वारा कार्य निर्वहन किया गया) से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 218

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

वित्त	दिनांक	धनराशि	कार्य
रा0 वित्त	26-05-2021	7312.00	कोविड -19
रा0 वित्त	16-06-2021	82983.00	बैंच खरीद प्रा0 वि0 हेतु
रा0 वित्त	16-06-2021	82983.00	बैंच खरीद प्रा0 वि0 हेतु
रा0 वित्त	16-06-2021	82983.00	बैंच खरीद प्रा0 वि0 हेतु
रा0 वित्त	16-06-2021	10442.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	7037.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	25574.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	3780.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	30444.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	8564.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	38493.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	3217.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	369.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	2079.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	54400.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
रा0 वित्त	16-06-2021	33008.00	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण कार्य
के0 वित्त	02-06-2021	224000.00	सोलर लाईट
के0 वित्त	16-06-2021	64972.00	पंचायत भवन बाउंड्रीवाल
के0 वित्त	16-06-2021	72240.00	पंचायत भवन बाउंड्रीवाल
के0 वित्त	16-06-2021	77054.00	पंचायत भवन बाउंड्रीवाल
	योग	-	911934.00

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टेंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय

की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -911934.00 का गबन प्रधान श्रीमति चन्द्रो एवं सचिव श्री अजयपाल सिंह द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2279215.72

190-ग्राम पंचायत राजूपुर खद्दर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 219

ग्राम पंचायत राजूपुर खद्दरद्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1167590.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। आन लाईन मजदूरी पर व्यय धनराशि -विभिन्न कार्यो जैसे पंचायत भवन निर्माण, वृक्षारोपण कार्य, रामगंगा नदी जीर्णोध्दार कार्य, प्रधान मंत्री आवास योजना ,सोहन के खेत से निशांत सिंह के खेत तक भूमि विकास ,मेन सडक से गुरूद्वारा के पास से जीत सिंह के खेत तक भूमि विकास, विजय के खेत से विजनौर सीमा तक भूमि विकास कार्य,कृपाल के खेत से वन तक भूमि विकास कार्य,कृपाल के खेत से नन्द के खेत भूमि विकास कार्य, सामूदायिक शौचालय निर्माण पर धनराशि -869970.00 और पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री पर कुल व्यय -297620.00 किया गया लेकिन मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 869970.00 एवं सामग्री पर व्यय की गयी धनराशि - 297620.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी मूल अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त ए वं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7
के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं स चिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क)
में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409
के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी)
ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/
सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008
के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाए गी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों भी इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-

रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1167590.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- अजयपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री महेश, तकनीकी सहायक - श्री रिजवान एवं रोजगार सेवक-केवल सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -1167590.00

191-ग्राम पंचायत शाहपुर अब्दुलबारी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 220

ग्राम पंचायत शाहपुर अब्दुलबारी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-550062.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। यूसुफ के खेत से नदी तक , मेन सडक से पपीन के खेत तक भूमि विकास कार्य, तालाब जीर्णोध्दार, पंचायत भवन निर्माण कार्य, विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य , आदि कार्यो पर मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 482022.00 एवं 68040.00 रूपये मिस्त्री हेतु भुगतान के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-550062.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी- सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राशिद हुसैन ,कृष्ण कुमार एवं गीता देवी ,ग्राम प्रधान-श्रीमति नाजमा, तकनीकी सहायक - श्री राकेश कुमार एवं रोजगार सेवक-अनील कुमार देवल से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 550062.00

192-ग्राम पंचायत सिरसाथाट वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 221

1. ग्राम पंचायत सिरसाठाट द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-854964.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 854964.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने एवं यथोचित प्रयास (छाया प्रति संलग्न) के बावजूद भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संपरीक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से समभाग के अनुपात में की जाएगी । लेखा परीक्षा की दृष्टि में मनरेगा का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार के डोंगल से किया जाता है । इसलिए उक्त दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । शासनादेश संख्या 1350/अडतीस-7-2022-296 नरेगा/ 2013 दिनांक 22 अगस्त 2022 के बिंदु क (12) द्वारा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सचिव को भी उत्तरदाई बनाया गया है। अतः अभिलेखों के संबंध में रोजगार सेवक भी जिम्मेदार हैं। उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-854964.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी-सूर्य प्रकाश, लेखाकार-अभिनाश चन्द्र, सचिव ग्राम पंचायत श्री- राशिद हुसैन,ग्राम प्रधान-श्रीमति क्रान्ति, तकनीकी सहायक - श्री दिनेश एवं रोजगार सेवक-श्रीमति क्रान्ति(रोजगार सेवक का पद रिक्त होने के कारण प्रधान द्वारा कार्य निर्वहन किया गया) से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि -854964.00

193-ग्राम पंचायत फोल्डा पट्टी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - छजलैट जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 222

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित की गई है।

वित्त	दिनांक	धनराशि	कार्य
के0 वित्त	25-01-2022	3240.00	पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स
के0 वित्त	25-01-2022	82858.00	पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स
के0 वित्त	25-01-2022	22737.00	पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स
के0 वित्त	25-01-2022	3240.00	पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स
के0 वित्त	25-01-2022	11334.00	पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स

के0 वित्त	**25-01-2022**	**27993.00**	**पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स**
के0 वित्त	**25-01-2022**	**1080.00**	**पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स**
के0 वित्त	**25-01-2022**	**3240.00**	**पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स**
के0 वित्त	**25-01-2022**	**3240.00**	**पंचायत भवन से मेन रोड तक सी,सी टाईल्स**

योग - 158962.00

लेकिन उक्त आहरित धनराशि के संदर्भ में टेंडर पत्रावली , एस्टीमेट, एम0 बी0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गवन मानते हुए धन राशि की वसूली प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार धनराशि रुपया -158962.00 का गबन प्रधान श्री असलम एवं सचिव श्री राशिद द्वारा किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 158962.00

194-ग्राम पंचायत उघोपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 223

ग्राम पंचायत उधोपुरा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 15.11 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 15.11 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री

लल्लू सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1511000.00

195-ग्राम पंचायत चक कचनाल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 224

ग्राम पंचायत चक कचनाल की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 16.25 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 13-08-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 16.25 लाख की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1625000.00

196-ग्राम पंचायत नेकपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 225

3-**ग्राम पंचायत** नेकपुर**--**ग्राम पंचायत नेकपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.80 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।

दिनांक 21-03-2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 09-02-2023 और दिनाँक 28.02.2023 को पत्र द्वारा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.80 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति रीना देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जरीफ अहमद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 780000.00

197-ग्राम पंचायत निवाड खास वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 226

ग्राम पंचायत निवाड्खास की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.83लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 10.83 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति गरिमा सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1083000.00

198-ग्राम पंचायत पदिया नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 227

ग्राम पंचायत पदिया नगला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 36.34 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।

दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 36.34 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुमलता तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि 3634000.00

199-ग्राम पंचायत पसियापुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 228

ग्राम पंचायत पसियापुरा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.77 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 10.77 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शशि देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1077000.00

200-ग्राम पंचायत बेरखेडा चक वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 229

ग्राम पंचायत बेरखेडा चक की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 27.37 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 27.37 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री जाकिर तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम गौड तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2737000.00

201-ग्राम पंचायत उदावाला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 230

ग्राम पंचायत **ग्राम पंचायत** उदावाला **--**ग्राम पंचायत उदावाला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.78 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं

मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.78 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नीरु देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजीव राना तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि 778000.00

202-ग्राम पंचायत टाहमदान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 231

ग्राम पंचायत टाहमदान की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 23.86 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 23.86 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सतेंद्र तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पुश्पेंद्र तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2386000.00

203-ग्राम पंचायत बहेडी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 232

ग्राम पंचायत बहेडी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.83 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 26-07-2022, दिनांक 17-10-2022 ,दिनांक 03-02-2023 दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 13.83 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सोना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनय आशिश तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1383000.00

204-ग्राम पंचायत अटरिया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 233

ग्राम पंचायत अटरिया की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 11.62 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 26-07-2022, दिनांक 17-10-2022 ,दिनांक 03-02-2023 दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 11.62 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मिस्किन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम गौड तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1162000.00

205-ग्राम पंचायत चकरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 234

ग्राम पंचायत चकरपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 27.71 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को

दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 27.71 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नइम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तरन्नूम तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2771000.00

206-ग्राम पंचायत चांदपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 235

ग्राम पंचायत चांदपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 19.32 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 19.32 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अंकित तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत विनय आशिश तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1932000.00

207-ग्राम पंचायत दौलपुर बमनिया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 236

ग्राम पंचायत दौलपुर बमनिया की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.85 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.85 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसिना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद सागर तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाट्क से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 785000.00

208-ग्राम पंचायत डाडी दुर्जन वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 237

ग्राम पंचायत डाडी दुर्जन की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.46 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 8.46 लाख की वसूली ग्राम प्रधान

श्रीमति अर्चना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति गरिमा सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 846000.00

209-ग्राम पंचायत डूंगरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 238

ग्राम पंचायत डुगरपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.15 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 7.15 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति कमलेश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जरीफ अहमद तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 715000.00

210-ग्राम पंचायत मालबाडा उर्फ मानपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 239

ग्राम पंचायत मालवाडा उर्फ मानपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 25.46 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 25.46 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति जैनब तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2546000.00

211-ग्राम पंचायत मंगावाला उर्फ मानपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 240

ग्राम पंचायत मंगावाला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 11.74 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 11.74 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसिफा बेगम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तरन्नूम आरा तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1174000.00

212-ग्राम पंचायत कुकरझुण्डी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 241

ग्राम पंचायत कुकुरझुण्डी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 14.34 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध

कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 14.34 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति महेंद्री तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत गरिमा सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1434000.00

213-ग्राम पंचायत कौरबाकू वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 242

ग्राम पंचायत कौरबाकू की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 30.54 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 30.54 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री जाहिद हुसैन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत जरीफ अहमद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3054000.00

214-ग्राम पंचायत कोटला नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 243

ग्राम पंचायत कोटला नगला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित41.23 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में

आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्दर्गत रु 41.23 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नाजमा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नितिन कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 4123000.00

215-ग्राम पंचायत हमीरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 244

ग्राम पंचायत हमीरपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित35.06 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 35.06 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुबारिक अली तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनय तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3506000.00

216-ग्राम पंचायत घोसीपुरा बाबूपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 245

ग्राम पंचायत घोसीपुरा बाबूपुरा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित18.42लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 18.42 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति जौली तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1842000.00

217-ग्राम पंचायत करिया नगला सानी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 246

ग्राम पंचायत करिया नगला सानी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित19.64लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 19.64 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो.यासीन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत

श्रीविनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1964000.00

218-ग्राम पंचायत बिलावाला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 247

ग्राम पंचायत बिलावाला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित35.59लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 35.59 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री सोमपाल तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3559000.00

219-ग्राम पंचायत चक लोहरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 248

ग्राम पंचायत चक लोहरा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित10.87लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है

कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 10.87 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति निखत परविन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पुश्पेंद्र तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1087000.00

220-ग्राम पंचायत सिरसवां हरचन्द वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 249

ग्राम पंचायत सिरसवा हरचन्द की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित28.75लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 28.75 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रणवीर सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम गौड तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2875000.00

221-ग्राम पंचायत सरदार नगर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 250

ग्राम पंचायत सरदार नगर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित22.12लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 22.12 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति राम प्यारी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पुश्पेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2212000.00

222-ग्राम पंचायत श्यामपुर हादीपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 251

ग्राम पंचायत श्यामपुर हादीपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित11.31लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 11.31 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरू कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत

तरन्नूम आरा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1131000.00

223-ग्राम पंचायत सिकमपुर पांण्डे वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 252

ग्राम पंचायत सिकमपुर पांडे की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित6.31लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 6.31 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मुजस्सिम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 631000.00

224-ग्राम पंचायत गुलडिया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 253

ग्राम पंचायत गुलडिया की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 16.81लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है

कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 16.81 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति फरिदन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1681000.00

225-ग्राम पंचायत बिलाकुदान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 254

ग्राम पंचायत बिलाकुदान की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 18.26लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 18.26 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति फरजाना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनय तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1826000.00

226-ग्राम पंचायत मुडिया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 255

ग्राम पंचायत मुडिया की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.66 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड

विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 10.66 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री इरफान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद सागर/तरन्नूम आरा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1066000.00

227-ग्राम पंचायत रानी नागल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 256

ग्राम पंचायत रानी नागल की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 27.61 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 27.61 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री आसमा वेगम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम गौड तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2761000.00

228-ग्राम पंचायत कांकर खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 257

ग्राम पंचायत कांकरखेडा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 9.41 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 9.41 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मगछाया तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 941000.00

229-ग्राम पंचायत नकटपुरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 258

ग्राम पंचायत नकटपुरी कला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 40.97 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 40.97 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नाहिद तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत

श्री जरिफ अहमद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 4097000.00

230-ग्राम पंचायत चूहा नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 259

ग्राम पंचायत चूहानगला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 3.15 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 3.15 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शाहजहा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजीव राना/नरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 315000.00

231-ग्राम पंचायत ठिरियादान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 260

ग्राम पंचायत ठिरियादान की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.98 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है

कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 7.98 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सूरजा देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजीव राना तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 798000.00

232-ग्राम पंचायत जैतपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 261

ग्राम पंचायत जैतपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 6.46 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 6.46 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति विमला तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति गरिमा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 646000.00

233-ग्राम पंचायत बुढनपुर मुस्तकम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 262

ग्राम पंचायत बुढनपुर मुस्तकम की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 15.43 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध

कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 15.43 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति तरून तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति तरन्नूम् आरा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1543000.00

234-ग्राम पंचायत मल्लपुरा हरदोडांडी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 263

ग्राम पंचायत मल्लूपुरा हरदोडांडी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 8.36 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 8.36 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री आशंक तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति संजीव राना तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराश - 836000.00

235-ग्राम पंचायत समदा चतुरभुज वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 264

ग्राम पंचायत समदा चतुरभुज की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 19.62 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 19.62 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति क्रांति देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री गरिमा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1962000.00

236-ग्राम पंचायत लालूवाला मुस्तकम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 265

ग्राम पंचायत लालूवाला मुस्तकम की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.44 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 13.44 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री आरिफ तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री

पुश्पेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1344000.00

237-ग्राम पंचायत महेशपुर खेम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 266

ग्राम पंचायत महेशपुर खेम की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.88 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 13.88 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रेशम अली तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजीव राना तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 1388000.00

238-ग्राम पंचायत बरही लालपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 267

ग्राम पंचायत बराही लालपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 30.53 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन

मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 30.53 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री मो.उमर तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पुश्पेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3053000.00

239-ग्राम पंचायत वाजिदपुर तिगरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 268

ग्राम पंचायत वाजिदपुर तिगरी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 14.79 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 14.79 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति खुर्शिदा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद सागर तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1479000.00

240-ग्राम पंचायत भगतपुर टाण्डा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 269

ग्राम पंचायत भगतपुर टाडा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 25.32 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 26-07-2022 दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 को पत्र द्वारा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 25.32 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री युसुफ अली तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद सागर तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2532000.00

241-ग्राम पंचायत बढपुरा मझरा कुरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 270

ग्राम पंचायत बडपुरा मझरा कुरी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 05.06 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 26-07-2022 दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 05.06 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्हे सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नितिन कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 506000.00

242-ग्राम पंचायत नकटपुरी खुर्द वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 271

ग्राम पंचायत नकटपुरी खुर्द की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 22-03-2023 मनरेगा योजना के व्यय की पुष्टि मे आफलाईन कोई व्यय पत्रावली लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 24.84 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख

लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 21-03-2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा पूर्व मे भी खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को विभिन्न तिथियो मे (09-02-2023 व 28-02-2023) पत्र द्वारा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 24.84 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री उमेश सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जरीफ अहमद तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2484000.00

243-ग्राम पंचायत उदमावाला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 272

ग्राम पंचायत उदमावाला की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.88 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए|जिसका विवरण आनलाईन साइट पर निम्नवत दर्शित है-

अकुशल मजदूरी पर व्यय	13.49
अर्द्ध कुशल मजदूरी पर व्यय	1.82
सामग्री पर व्यय	2.02
कर	0.29
अन्य व्यय	0.89
योग	18.51

इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक

उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 18.51 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अख्तरी वेगम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री पुष्पेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 1851000.00

244-ग्राम पंचायत सैलाथान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 273

ग्राम पंचायत सैलाथान की वर्ष 2021-22 की मनरेगा योजना से सम्बन्धित व्यय धनराशि सैलाथान ग्राम पंचायत के नाम से नहीं की गयी है मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उक्त ग्राम पंचायत के नाम से कोई व्यय दर्शित नहीं है परन्तु सैलाथान ग्राम पंचायत चकरपुर पूरनपुर ग्राम पंचायत से बनी है। मनरेगा गाइट पर उपलब्ध मनरेगा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चकरपुर पूरनपुर ग्राम पंचायत में सैलाथान के नाम से व्यय दर्शित है।

ग्राम पंचायत सैलाथान (चकरपुर पूरनपुर) की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा माइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 19.17 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गये।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 19.17 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शहजहा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नितिन कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

कुल धनराशि - 1917000.00

245-ग्राम पंचायत नरेन्द्रपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 274

ग्राम पंचायत नरेन्द्रपुर की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा दिनॉक 21.03.2023 में मनरेगा योजना के व्यय की पुष्टि में ऑफलाइन कोई व्यय पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना के व्यय से रू०31.58 (लाख) की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो सकी। मनरेगा साइट पर ग्राम पंचायत नरेन्द्रपुर के नाम से क्रमशः रू0 18.46 (लाख) तथा पुनः नरेन्द्रपुर नाम से ही रू0 13.12 (लाख) कुल योग रू0 31.58 (लाख) का व्यय

दर्शित है जिसमें 16320 रू0 ग्राम पंचायत भानपुर गजरौला (नरेन्द्रपुर) के नाम से दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्का

नहीं कराए गए। दिनाँक 21.03.2023 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा पूर्व में भी खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टांडा को विभिन्न तिथियों में (09.02.2023 व 28.02.2023 पत्र द्वारा व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 31.58 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मोहनीतथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति गरिमा सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।साथ ही मनरेगा साइट पर नरेन्द्रपुर ग्राम पंचायत का व्यय दो बार अलग अलग फीड किया गया है उक्त के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

कुल धनराशि - 3158000.00

246-ग्राम पंचायत भदगवां वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 275

ग्राम पंचायत भदगवा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित11.9लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 26-07-2022, दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 11.9 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीविनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1190000.00

247-ग्राम पंचायत सत्तीखेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 276

ग्राम पंचायत सत्तीखेडा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित12.57लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 12.57 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नितिन कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1257000.00

248-ग्राम पंचायत देवीपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 277

ग्राम पंचायत देवीपुरा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित16.3लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 16.3 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत

श्री विनय तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1630000.00

249-ग्राम पंचायत गनेशपुर देवी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 278

ग्राम पंचायत -गनेशपुर देवी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 30.09 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 30.09 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसमा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति गरिमा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3009000.00

250-ग्राम पंचायत जाहिदपुर सिकमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 279

ग्राम पंचायत जाहिदपुर सिकमपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 13.9 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है

कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 13.9 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति आसमा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संजीव राना तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1390000.00

251-ग्राम पंचायत पीपलसाना मुस्तकम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 280

ग्राम पंचायत पीपलसाना मुस्तकम की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 28.43 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 28.43 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री फईम तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनय तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 2843000.00

252-ग्राम पंचायत महमूदपुर तिगरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 281

ग्राम पंचायत महमूदपुर तिगरी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 18.32 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु

उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 18.32 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शाहजहा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमति तरन्नूम तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1832000.00

253-ग्राम पंचायत सिरसवां गौड वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 282

ग्राम पंचायत सिरसवां गौड की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 15.10 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 15.10 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री रुप सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सत्यम गौड तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1510000.00

254-ग्राम पंचायत लखनपुर लाडपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 283

ग्राम पंचायत लखनपुर लाडपुर की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 10.1 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 10.1 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति अनीसा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1010000.00

255-ग्राम पंचायत चतरपुर नायक वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 284

ग्राम पंचायत चतरपुर नायक की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 7.67 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 7.67 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरकेश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री

सुरेंद्र सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 767000.00

256-ग्राम पंचायत पाडली बाजे वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 285

आलोच्चय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक (केन्द्र व राज्य वित्त) के अनुसार रू0 2448051.00 का व्यय विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्ति के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय, हेण्डपम्प मरम्मत, रिवोर सी०सी० टाइल्स, नाली निर्माण इत्यादि पर खर्च किया गया उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0 2448051.00 के खर्च सम्बन्धित व्यय बाउचर व्यय पत्रावलियों, स्टीमेट, वर्क आई०डी० वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। इस प्रकार व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित और अपुष्ट रहे। लेखा परीक्षा प्रारम्भ किये जाने के पूर्व दिनाँक 16.09.2022 को पत्र के द्वारा ए०डी०ओ० पंचायत के माध्यम से ग्राम सचिव से समस्त वांचित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा में समस्त वांछित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया कई बार मौलिक रूप से कहने के पश्चात दिनोंक 25 10.2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित
पत्र द्वारा उक्त् ग्राम पंचायत के सचिव से व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियों की मांग की गयी है। परन्तु सचिव द्वांरामात्र कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षकदल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि 2448051.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री दीपक शर्मा और ग्रामपंचायत सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

प्रस्तर - 286

ग्राम पंचायत पाड्ली बाजे की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 44.16 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।
ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी

सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 44.16 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक शर्मा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 6864051.00

257-ग्राम पंचायत सेहल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 287

आलोच्चय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक (केन्द्र व राज्य वित्त) के अनुसार रू0 2154383.00 का व्यय विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्ति के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय, हेण्डपम्प मरम्मत, रिवोर सी०सी० टाइल्स, नाली निर्माण इत्यादि पर खर्च किया गया उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू02154383.00 के खर्च सम्बन्धित व्यय बाउचर व्यय पत्रावलियों, स्टीमेट, वर्क आई०डी० वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। इस प्रकार व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित और अपुष्ट रहे। लेखा परीक्षा प्रारम्भ किये जाने के पूर्व दिनाँक 17.10.2022 को पत्र के द्वारा ए०डी०ओ० पंचायत के माध्यम से ग्राम सचिव से समस्त वांचित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा में समस्त वांछित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया कई बार मौलिक रूप से कहने के पश्चात दिनोंक 25 10.2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित पत्र द्वारा उक्त् ग्राम पंचायत के सचिव से व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियों की मांग की गयी है। परन्तु सचिव द्वांरामात्र कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षकदल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि2154383.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति शांति देवी और ग्रामपंचायत सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जानाआपेक्षित है।

प्रस्तर - 288

ग्राम पंचायत सेहल की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 12.48 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक

उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 12.48 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शांति देवी तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3402383.00

258-ग्राम पंचायत खबडिया घाट वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 289

आलोच्चय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक (केन्द्र व राज्य वित्त) के अनुसार रू0 1419439.00 का व्यय विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्ति के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय, हेण्डपम्प मरम्मत, रिवोर सी०सी० टाइल्स, नाली निर्माण इत्यादि पर खर्च किया गया उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू01419439.00के खर्च सम्बन्धित व्यय बाउचर व्यय पत्रावलियों, स्टीमेट, वर्क आई०डी० वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। इस प्रकार व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित और अपुष्ट रहे। लेखा परीक्षा प्रारम्भ किये जाने के पूर्व दिनाँक 13.07..2022 को पत्र के द्वारा ए०डी०ओ० पंचायत के माध्यम से ग्राम सचिव से समस्त वांचित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था । दिनोंक 16 09-2022 को व दिनोंक 25 10.2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित पत्र द्वारा उक्त् ग्राम पंचायत के सचिव से व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियों की मांग की गयी है। परन्तु सचिव द्वांरामात्र कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षकदल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि 1419439.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री ग्यान सिह और ग्रामपंचायत सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जानाआपेक्षित है।

प्रस्तर - 290

ग्राम पंचायत खबडिया घाट की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 17.81 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 13-07-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी

सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 17.81 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री ग्यान सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3200439.00

259-ग्राम पंचायत रायपुर समदा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 291

आलोच्चय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक (केन्द्र व राज्य वित्त) के अनुसार रू0 1816464.00 का व्यय विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्ति के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय, हेण्डपम्प मरम्मत, रिवोर सी०सी० टाइल्स, नाली निर्माण इत्यादि पर खर्च किया गया उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू01816464.00 के खर्च सम्बन्धित व्यय बाउचर व्यय पत्रावलियों, स्टीमेट, वर्क आई०डी० वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। इस प्रकार व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित और अपुष्ट रहे। लेखा परीक्षा प्रारम्भ किये जाने के पूर्व दिनाँक 16.09..2022 को पत्र के द्वारा ए०डी०ओ० पंचायत के माध्यम से ग्राम सचिव से समस्त वांचित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था । दिनोंक 25 10.2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित पत्र द्वारा उक्त् ग्राम पंचायत के सचिव से व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावलियों की मांग की गयी है। परन्तु सचिव द्वांरामात्र कैशबुक व बैंकस्टेटमेंट ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षकदल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि 1816464.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमति सुगरा और ग्रामपंचायत सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी आपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जानाआपेक्षित है।

प्रस्तर - 292

ग्राम पंचायत रायपुर समदा की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 44.72 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी

सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 44.72 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सुगरा तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 6288468.00

260-ग्राम पंचायत सकटपुरा मुस्तकम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 293

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत सकटपुरा मुस्तकम की ग्राम निधि प्रथम (केन्द्रीय वित्त व राज्य वित्त) की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकडों के आधार पर किया गया है।

ई ग्राम स्वराज की कैशबुक के अनुसार पंचायत द्वारा व्यय की धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्र.स.	दिनॉक	धनराशि	कार्य
1	17.07.2021	171811.00	कमल ट्रेडर्स नन्हे के घर से जगदीश के घर तक नाली सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य
2	23.07.2021	27000.00	हैण्डपम्प मरम्मत व रिवोर कार्य
3	28.09.2021	50018.00	मजदूरी व्यय नन्हे के घर से जगदीश के घर तक नाली सी०सी०टाइल्स निर्माण कार्य
4	02.12.2021	21000.00	प्रधान मानदेय
5	21.12.2021	120697.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री का आंशिक भुगतान प्रधान बिल्डिंग
6	21.12.2021	117499.00	उक्त कार्य का लेवर भुगतान व सामग्री पर भुगतान
7	09.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक व्य
8	02-02-2022	6000.00	पंचायत सहायक शिव कुमार मानदेय
9	21.02.2022	8500,00	प्रधान मानदेय
10	21.02.2022	40154.00	प्रधान बिल्डिंग मेटेरियल
11	23.02.2022	8500,00	प्रधान मानदेय
12	23.02.2022	40154.00	प्रधान बिल्डिंग मेटेरियल
13	25.02.2022	8500,00	प्रधान मानदेय
14	25.02.2022	40154.00	प्रधान बिल्डिंग मेटेरियल

15	08.03.2022	40154.00	प्रधान बिल्डिंग मेटेरियल
16	08.03.2022	13500.00	प्रधान मानदेय
17	08.03.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय
18	19.03.2022	1050.00	स्टेशनरी न्यू रामा बुक शॉप
19	24.03.2022	67591.00	हैण्डपम्प रिवोर हशमत अली
20	26.03.2022	4480.00	सुरेश सिह
21	28.03.2022	805.00	डायरेक्टर राज पंचायती

योग 799567:00

इनमें से कुछ पी०एफ० एम०एस० द्वारा रिजेक्ट कर दी गयी है जो निम्नवत् है।

क्र.स.	दिनॉक	धनराशि
1	22-2-2022	8500.00
2	22-2-2022	40154.00
3	24-2-2022	8500.00
4	24-2-2022	40154.00
5	09-03-2022	8500.00
6	09-03-2022	40154.00
	योग	145962.00

अतः कुल धनराशि रु 799567-145962=653605

उक्त धनराशि रु0 653605.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रुप में खर्च किया गया है। धनराशि 653605.00 के खर्च से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई०डी०, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति फाइल, वाउचर फाइल, कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, एम०वी), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर स्टाफ पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरी फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑकों के आधर पर सम्पन्न की गयी है। सचिव से मौखिक अनुरोध के पश्चात् भी ऑनलाइन ऑडिट तिथि को ग्राम पंचायत के व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने पर ए०डी०ओ० पंचायत से लिखित रूप से दिनॉक 21-03-2023 व 27-03-2023 पत्र द्वारा अभिलेखों की मांग की गयी। इसके

पश्चात् भी सचिव द्वारा कोई भी अभिलेख व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु प्रस्तु नहीं किया गया जिस कारण आलोच्य वर्ष के व्यय धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक य के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध आ संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"
इस प्रकार उक्त धनराशि रु 653605.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री दिनेश एवम सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द सिंह द्वारा किया गया है जिसकी वसूली दोनों से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 294

ग्राम पंचायत सकतपुरा मुस्तकम की वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में दिनांक 21.03.2023 में मनरेगा में ऑफलाइन कोई व्यय पत्रावलियों, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजने व्यय से संबंधित 10.56 लाख रू0 की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो सकी। सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। दिनाँक 21.03.2023 को ए0डी0ओ0 पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा पूर्व में भी खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टांडा को विभिन्न तिथियों में
09.02.2023 व 28.02.2023) पत्र द्वारा व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी किंतु खण्ड विकासअधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के08 के अनुसारी ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दु 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि समस्त बाउचर तथा नियमोंमें अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिंदु संख्या 08 (क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शायें गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08 (क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रू 10.56 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुरेन्द्र सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी श्री जी० बी० पाठक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1709605.00

261-ग्राम पंचायत पीपल गांव वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 295

आलोच्चय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष दौरान कैशबुक (केन्द्र व राज्य वित्त) के अनुसार रू0 1356253.00 का व्यय विभिन्न नये कार्यों परिसम्पत्ति के रख रखाव ग्राम प्रधान मानदेय, हेण्डपम्प मरम्मत, रिवोर सी०सी० टाइल्स, नाली निर्माण इत्यादि पर खर्च किया गया उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू01356253.00 के खर्च सम्बन्धित व्यय बाउचर व्यय पत्रावलियों, स्टीमेट, वर्क आई०डी० वाउचर फाइल, मस्टर रोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा। इस प्रकार व्यय से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित और अपुष्ट रहे।

उल्लेखनीय है कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षकदल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की बसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि 1356253.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री लखविंदर सिह और ग्रामपंचायत सचिव श्री विनोद कुमार/गरिमा सिह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 296

ग्राम पंचायत पीपल गांव की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 17.04 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 16-09-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 17.04 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री लखविंदर सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार/गरिमा सिह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 3060253.00

262-ग्राम पंचायत बढपुरा मझरा महेशपुर खेम वर्षः- विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 297

ग्राम पंचायत बडपुरा मझरा महेशपुर खेम की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 11.26 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 21-04-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल

को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 11.26 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिह तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री विनोद कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1126000.00

263-ग्राम पंचायत रूस्तमपुर तिगरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 298

ग्राम पंचायत रुस्तमपुर तिगरी की वर्ष2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित 12.17 लाख रु० व्यय अंकित पाए गए| इसकी पुष्टि हेतु संबंधित सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में आफ्लाइन उपलब्ध नहीं कराए गए।जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही कि जा सकी।दिनांक 17-10-2022 को ए०डी०ओ० पंचायत को ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी भगतपुर टाडा को दिनांक 17-10-2022, दिनांक 03-02-2023 ,दिनांक 09-02-2023 को पत्र द्वारा और दिनाँक 28.02.2023 के अनुस्मारक द्वारा खण्ड विकास अधिकार/कार्यक्रम आधिकारी से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने की मांग की गयी | किंतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 08 ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के बिन्दू 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। बिन्दु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दशयि गये व्यय के संबंध में कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाए गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकारा अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08(क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रु 12.17 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शबाना तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री नितिन कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री जी.बी.पाटक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 1217000.00

264 - ग्राम पंचायत अकबरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 299

ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -502965.05 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -कवर सैन के घर पर कैटल शीड कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, महेश से वीरपाल के खेत तक चकबन्द कार्य,रामवीर के खेत से सोरन के खेत तक चकबन्द कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -426624.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 76341.05 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-502965.05 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रप्रकाश सिंह,ग्राम प्रधान-श्री हंसवीर सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि - 5029965.05

265-ग्राम पंचायत अभानपुर नरौली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 300

ग्राम पंचायत अभानपुर नरौली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-838440.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 838440.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-838440.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्रीमति कमला एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 838440.00

266-ग्राम पंचायत अमरपुर काशी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 301

ग्राम पंचायत -अमरपुर काशी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-844437.30 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 663000.00 एवं सामग्री रू0-181437.30 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-844437.30 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्री विजय पाल एवं तकनीकी सहायक - श्री विनीश कुमार आर्य से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 844437.30

267-ग्राम पंचायत अल्लीपुर ज्योडारा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद प्रस्तर - 302

ग्राम पंचायत अल्लीपुर ज्योडारा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1334976.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्षरोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षरोपण कार्य ,होली चौक की सफा4 और समतलीकरण ,राकेश के खेत से रोमपाल के खेत तक मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1334976.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1334976.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- लोकेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री अख्तरी एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1334976.00

268-ग्राम पंचायत असालतनगर कलीजपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 303

ग्राम पंचायत असालतनगर कलीजपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1361154.80 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,जंगल के खेत से लालबाबू के खेत तक सम्पर्क मार्ग,मुनेश के खेत से ओमवीर के खेत तक चकबन्द कार्य, मीर मौ0 से चन्द्रपाल के खेत तक मिट्टी कार्य,ग्राम कलीजपुर मे अभिसरण कार्य हेतु सार्वजनिक शोचालय निर्माण, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -867000.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 494154.80 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1361154.80 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव चौधरी,ग्राम प्रधान-श्री यादराम एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1361154.80

269-ग्राम पंचायत अहमदाबाद कसौरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 304

ग्राम पंचायत अहमदाबाद कसौरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 987972.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, यादवो के मन्दिर से जाहर तक मिट्टी कार्य, जाहर से स्टेशन तक चकबन्द कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -987972.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय

दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-987972.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्र प्रकाश सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति ममता रानी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 987972.00

270-ग्राम पंचायत आरी खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 305

ग्राम पंचायत - आरी खेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1092144.19 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 555900.00 एवं सामग्री रू0-536244.19 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1092144.19 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्रीमति प्रवेश कुमारी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1092144.19

271-ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर मिर्जा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 306

ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर मिर्जा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -915991.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे-ग्राम इब्राहिम पुर मिर्ज़ा मे अभिसरण कार्य हेतु पंचायत भवन निर्माण, तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य,शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, गुलफाम के खेत से राजेन्द्र के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य , तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, पर मजदूरी पर व्यय धनराशि - 534072.00 सामग्री पर व्यय - 381919.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-915991.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संदीप कुमार,ग्राम प्रधान-श्री शमीम अहमद एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 915991.00

272-ग्राम पंचायत इमरतपुर स्योंडारा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 307

ग्राम पंचायत इमरतपुर स्योंडारा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 654636.70 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,नेम सिंह के खेत से प्रभु दयाल के खेत तक भूमि विकास कार्य,राम गुलाम के खेत से प्रभु दयाल के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,रामवीर सिंह के खेत से वंसी सिंह के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -485910.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 168726.70 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-654636.70 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रप्रकाश सिंह,ग्राम प्रधान-श्री विजयपाल एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 654636.70

273-ग्राम पंचायत उदरनपुर चक उर्फ बीरमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 308

ग्राम पंचायत-उदरनपुर चक उर्फ बीरमपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-506319.98 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 226884.00 एवं सामग्री रू0-269435.98 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-506319.98 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्री बाबू एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 506319.98

274-ग्राम पंचायत उमरारा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 309

ग्राम पंचायत उमरारा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -980546.90 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब शमशान मन्दिरो व स्कूलो पर वृक्षारोपण कार्य ,ओमप्रकाश के घर से कल्लू सिंह के घर से चकबन्द मिट्टी कार्य , सूरदास की समाधी से कब्रस्तान तक चकबन्द मिट्टी कार्य , डामर रोड से गंगा सरन के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -879852.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 100694.90 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी)

ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-980546.90 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सन्दीप कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति शर्म्ला एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 980546.90

275-ग्राम पंचायत कमालपुर चन्दौरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 310

ग्राम पंचायत कमालपुर चन्दौरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1598432.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे-सामुदयिक शौचालय पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्षरोपण काय,तालाब पर वृक्षरोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य ,रमेश के खेत से सुखदेव के खेत तक मिट्टी कार्य, बन्टी के खेत से मदन के खेत तक भूमि विकास कार्य ,संजय के खेत से खण्डन्जा तक मिट्टी कार्य, मालू जी के खेत से सैफपुर सम्पर्क मार्ग तक मिट्टी कार्य, डामर रोड से कमल पाल के खेत तक मिट्टी कार्य , सतेन्द्र से तालाब तक मिट्टी नाली सी.सी टाईल्स कार्य , अन्तरेश के घर से सोनू के घर तक मिट्टी नाली सी.सी टाईल्स कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो पर मजदूरी पर व्यय धनराशि - 921264.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 677168.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-
बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही सा थ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409
के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी)
ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008
के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1598432.00 की
वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शैलेन्द्र कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति सावित्री देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1598432.00

276-ग्राम पंचायत करसरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 311

ग्राम पंचायत करसरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -484762.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में शमशान घाट पर वृक्षारोपण कार्य ,कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,महावीर सिंह के प्लोट से शमशान घाट तक चकबंद मिट्टी कार्य,थामला रोड से बुद्दी के खेत तक और बुद्दी के खेत से बगपुरा सीमा तक चकबंद मिट्टी कार्य,ताराचन्द्र के खेत से हरद्वारी के खेत तक तकबंद मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -482172.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 2590.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-484762.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री नेम सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 484762.00

277-ग्राम पंचायत खण्डौआ वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 312

ग्राम पंचायत- खण्डौआ द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-4,60,224.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 4,60,224.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-4,60,224.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्री रविन्द्र चौधरी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 460224.00

278-ग्राम पंचायत खानपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 313

ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -687684.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में शाशन मे वृक्षारोपण कार्य ,जू0 स्कूल मे वृक्षारोपण कार्य, रामपाल के खेत से प्रेमपाल के खेत तक और केदरी के खेत से हरज्ञान के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, वीरेश के खेत से महराज जी के आश्रम तक चकबंद मिट्टी कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,विरेन्द्र के खेत से महेन्द्र के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -687684.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-687684.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्र प्रकाश सिंह,ग्राम प्रधान-श्री भूर सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 687684.00

279-ग्राम पंचायत खाबरी अब्बल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 314

ग्राम पंचायत खाबरी अब्बल द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1178820.29 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, उमरउ के खेत से सत्तार के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, रोहित के खेत से प्रेमपाल के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, मुन्नू के खेत से इस्माइल के खेत तक खुर्शीद के खेत से हबीब के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य ,शमशान के केने से सत्तार के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,चिडीमार बाले तालाब का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1126416.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 52404.29 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी

के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1178820.29 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्री इस्लाम एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1178820.00

280-ग्राम पंचायत ग्वार खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 315

ग्राम पंचायत ग्वार खेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1597613.80 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, चन्द्रपाल के खेत से कुसुम के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,महीपाल के खेत से लटूरी के केत तक चकबंद मिट्टी कार्य,नन्दराम के खेत के पास वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, प्रा0 वि0 में टाईल्स कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1234557.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 363056.80 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1597613.80 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्रीमति हसमुखी एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1597613.80

281-ग्राम पंचायत ग्वारू वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 316

ग्राम पंचायत ग्वारू द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1468596.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,तालाब पर वृक्षारोपण कार्य,कालू धोबी के खेत से नदी तक चकबंद मिट्टी कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,सम्मत प्रजापति के खेत से इमामी के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,आरिल नदी से जिगनिया डामर रोड तक चकबंद कार्य,गुली वाले तालाब का जीर्णोद्धार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1468596.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1468596.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति जगवती एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1468596.00

282-ग्राम पंचायत ग्वाल खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 317

ग्राम पंचायत ग्वाल खेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1275297.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मज दूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया -
1214736.00 एवं सामग्री रू060561.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मोखिक तथा लिखित(28-09-2022,06-01-2022) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7
के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्ययकी गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि

रु0-1275297.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति आसमा एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1275297.00

283-ग्राम पंचायत चंगेरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 318

ग्राम पंचायत -चंगेरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-978028.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 678816.00 एवं सामग्री रू0-299212.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-978028.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- भूपेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति कविता चौधरी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 978028.00

284-ग्राम पंचायत चान्दपुर गनेश वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 319

ग्राम पंचायत चान्दपुर गनेश द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1144357.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य,नन्हा के खेत से गंगाराम के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , शमशान घाट का समतलीकरण कार्य , जयपाल के खेत से शीलपुर की सीमा तक चकबंद मिट्टी कार्य , भूरा के खेत से इकबाल के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, तालाब का जीर्णोध्दार कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1021857.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 122500.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि

दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1144357.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्रीमति अतिका एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1144357.00

285-ग्राम पंचायत चिडिया भवन वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 320

ग्राम पंचायत चिडिया भवन द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -818616.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,भोजराज के टयूववेल से रागोपाल के खेत तक चकवन्द मिट्टी कार्य,रामगोपाल के खेत से रामवीर के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,बलदेव के खेत से हरद्वारी के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -818616.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-818616.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द्र प्रताप,ग्राम प्रधान-श्रीमति बबीता एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 818616.00

286-ग्राम पंचायत जमालपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 321

ग्राम पंचायत जमालपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-938337.75 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 834312.00 एवं सामग्री रू0-104025.75 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-938337.75 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत- कु0 मोनिता,ग्राम प्रधान-श्री अजयपाल एवं तकनीकी सहायक - श्री वीनीश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-938337.75

287-ग्राम पंचायत टाण्डा अमरपुर **वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद**
प्रस्तर - 322

ग्राम पंचायत टाण्डा अमरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -433092.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -युबक मगल दल पर वृक्षारोपण कार्य, शमशान घाट पर वृभारोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, नाथू पुत्र टूला के खेत पर समतलीयकरण कार्य, विजय से कुवर पाल के खेत पर चकबन्द कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -433092.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-433092.00 की

वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सन्दीप कुमार ,ग्राम प्रधान-श्री महबूब एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 433092.00

288-ग्राम पंचायत डाडादम्बू नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 323

ग्राम पंचायत डाडादम्बू नगला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1352591.97 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, हरज्ञान के खेत से सरदार के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, डामर रोड से भगवानदास के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,प्राइमरी स्कूल पर शोकपीट निर्माण कार्य, रामवीर के घर से रमेस के घर तक सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1202988.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 149603.97 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1352591.97 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द्र प्रताप,ग्राम प्रधान-श्री राजेन्द्र सिंह वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1352591.97

289-ग्राम पंचायत थावला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 324

ग्राम पंचायत थावला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -362262.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,थावला में टंकी से करबला तक रास्ते के दोनो तरफ कच्चा नाला निर्माण कार्य, थावला में चौक से आई.टी.आई तक कच्चा नाला खुदाई कार्य व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -362262.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को

व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-362262.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्रीमति शायरा वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 362262.00

290-ग्राम पंचायत देवरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 325

ग्राम पंचायत देवरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -782580.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्कामाण कार्य , शमशान का समतलीकरण व चारो तरफ सुरक्षा खुदाई कार्य,ब्रहमचारी के खेत से धर्मवीर के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , भूकन सिंह के खेत से रतनपुर रोड तक चकबंद मिट्टी कार्य, लालू के केत से श्यामवीर के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 702780.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि -79800.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-782580.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्रीमति पार्वती एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 782580.00

291-ग्राम पंचायत धर्मपुर कलां वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 326

ग्राम पंचायत धर्मपुर कलां द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -657000.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, साहबाद रोड से उदयराज के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,साहबाद रोड से अंकित के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,कल्लू के खेत का समतलीकरण कार्य, देवीदास के खेत से चमन सिंह के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -657000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-657000.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री पप्पू एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 657000.00

292-ग्राम पंचायत नगला गूजर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 327

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 1333385.00 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 1333385.00 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस

प्रकार उक्त धनराशि रूपया 1333385.00 का गबन प्रधान - श्रीमति पूजा , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री नीरज कुमार द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 328

ग्राम पंचायत नगला गूजर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -858432.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में ताबाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, उवाक की भूमि का समतलीकरण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,सरकारी ट्यूबवेल से मित्रपाल के खेत तक मिट्टी कार्य,राजपाल के खेत से सरकारी नहर तक मिट्टी कार्य, डोल वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -858432.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-858432.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नीरज कुमार ,ग्राम प्रधान-श्रीमति पूजा एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2191817.00

293-ग्राम पंचायत नगलिया जट वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 329

ग्राम पंचायत नगलिया जट द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2,78,052.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पदम सिंह के खेत से हरोरा सीमा तक मिट्टी कार्य, सरकडा में तालाब का जीर्णोध्दार कार्य,मस्जिद के पास तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -2,78,052.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय

आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2,78,052.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्री संजीव कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 278052.00

294-ग्राम पंचायत नगलिया शाहपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 330

ग्राम पंचायत नगलिया शाहपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1228284.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में शमशान घाट पर वृक्षारोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, भारत सिंह के खेत से शमशान घाट तक मिट्टी कार्य, भूप सिंह के खेत से सुशील शर्मा के खेत तक मिट्टी कार्य,रनवीर सिंह के खेत से जितेन्द्र सिंह के खेत तक चकबंद कार्य, मोहन लाल शर्मा के घर से तालाब तक पक्का नाला कार्य ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1228284.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1228284.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री-जयपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री नेकपाल एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1228284.00

295-ग्राम पंचायत नमैनी उदैया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 331

ग्राम पंचायत नमैनी उदैया द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1531637.23 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, , प्रधानमंत्री आवास कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण, शमशानघाट पर वृक्ष रोपण कार्य,पप्पू के ट्यूबवेल से नहर तक चकबंद मिट्टी कार्य, अमित शर्मा के खेत से राजेश के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -903720.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 627917.23 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि

बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1531637.23 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्र प्रकाश सिंह,ग्राम प्रधान-श्री देवकी नन्दन एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1531637.23

296-ग्राम पंचायत नमैनी गद्दी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 332

ग्राम पंचायत नमैनी गद्दी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1668924.54 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य , पुष्पेन्द्र के खेत से सुभाष और सारभान के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, शाहीद के खेत से शराफत के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, विक्रम के खेत से मजार तक चकबंद मिट्टी कार्य , प्रताप के घर से जाटवो वाले शमशान तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1138137.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 530787.54 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1668924.54 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शैलेन्द्र कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति राजवती एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1668924.54

297-ग्राम पंचायत नरसरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 333

ग्राम पंचायत नरसरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -263368.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , चन्द्रपाल के खेत से लालाराम के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,निरन्जन के खेत से गुलफाम के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -194208.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 69160.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-263368.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संदाप कुमार,ग्राम प्रधान-श्री रशिम एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 263368.00

298-ग्राम पंचायत नरूखेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 334

ग्राम पंचायत नरूखेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -179928.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट से नन्दराम के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य ,सुभाष के खेत से चरन सिंह के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -179928.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी

।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-179928.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत- कु0 मोनिता ,ग्राम प्रधान-श्रीमति रामवती एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 179928.00

299-ग्राम पंचायत नरूद्दीनपुर गंज वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 335

ग्राम पंचायत नरूद्दीनपुर गंज द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1179521.70 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में प्राईमरी और जूनियर स्कूल में वृक्षारोपण कार्य , मुन्नालाल पुक्ष खयाली के खेत का समतलीकरण, मुरारी लाल पुत्र खेमकरन खेत समतलीकरण कार्य, डामर रोड से इन्द्रपाल के खेत तक मिट्टी कार्य, कमल सिंह से सोमपाल के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1115064.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 64457.70 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1179521.70 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द्र प्रताप,ग्राम प्रधान-श्रीमति राधा रानी एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1179521.00

300-ग्राम पंचायत नियामतपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 336

ग्राम पंचायत नियामतपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -634619.10 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , प्रधान वाले तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, नाई वाले तालाब पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, मुन्नू के खेत से रघुवीर के मकान तक चकबन्द मिट्टी कार्य, नमेनी गद्दी के सम्पर्क मार्ग से महावीर के ट्यूवेल से राम भरोसे के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, प्रधान वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य , पर धनराशि -433908.00 तथा पंचायत भवन हेतु सामग्री पर व्यय धनराशि - 200711.10 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही

हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-634619.10 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- रविन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति रीना एवं तकनीकी सहायक - श्री विनीश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 634619.10

301-ग्राम पंचायत पहाडपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 337

ग्राम पंचायत पहाडपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -9,66,466 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,प्रसादी के खेत से आरिल नदी तक चकबंद मिट्टी कार्य, चन्द्रपाल के खेत से कनोबी वाले रास्ते तक चकबंद कार्य ,हरकिशोर के खेत से आरिल नदी तक चकबंद कार्य,सुरेन्द्र के खेत से नदी तक चकबंद मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -756228.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 210238.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-9,66,466 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री रामौतार एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 966466.00

302-ग्राम पंचायत पालनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 338

ग्राम पंचायत पालनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1934093.70 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,शमशान घाट में वृक्षारोपण कार्य, प्राईमरी वि0 में वृक्षारोपण कार्य, मोहन के खेत से खेरे होते हुए ख्वारपीर तक चकबन्द मिट्टी कार्य, चोकेराम के खेत से नदी तक चकबन्द कार्य, जू0स्कू0 में शोकपीट निर्माण कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1134639.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 799454.70 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1934093.70 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द्र प्रताप,ग्राम प्रधान-श्रीमति लोगश्री एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1934093.70

303-ग्राम पंचायत पीपली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 339

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 1808863.80 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 1808863.80 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस

प्रकार उक्त धनराशि रूपया 1808863.80 का गबन प्रधान - श्री मनोज कुमार , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री संजीव कुमार द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 340

ग्राम पंचायत पीपली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -19,63,165.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य, ग्राम पीपली में अख्तर तेली के मकान से तालिब मिस्त्री के मकान तक पक्का नाला निर्माण कार्य,विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य,अनवर अहमद के खएत से रेलवे लाईन तक मिट्टी कार्य, मीना देवी के खेत से पालनपुर की सीमा तक चकबंद मिट्टी कार्य,आराम के मकान से टिंकू के मकान तक मिट्टी नाली सीसी टाइल्स कार्य,रामप्रकाश के मकान से बबलू के मकान तक मिट्टी नाली सीसी टाइल्स कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1420248.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 542917.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-19,63,165.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव कुमार ,ग्राम प्रधान-श्री मनोज कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री विनीश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-3772028.80

304-ग्राम पंचायत फत्तेपुर नत्था वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 341

ग्राम पंचायत -फत्तेपुर नत्था द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-927624.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 892704.00 एवं सामग्री रू0-34920.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-927624.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्रीमति नीरेश देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है कुल धनराशि- 927624.00

305-ग्राम पंचायत बकैनिया चांदपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 342

ग्राम पंचायत- बकैनिया चांदपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू827778.28 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 432180.00 एवं सामग्री रू0-395598.28 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-827778.28 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्री बृजपाल सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-827778.28

306-ग्राम पंचायत बगपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 343

ग्राम पंचायत बगपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-839317.98 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 576300.00 एवं सामग्री रू0-263017.98 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि

दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-839317.98 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत कु0 मोनिता,ग्राम प्रधान-श्री विकास यादव एवं तकनीकी सहायक - श्री वीनीश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 839317.98

307-ग्राम पंचायत बनियाठेर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 344

ग्राम पंचायत बनियाठेर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1225938.53 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 893316.00 एवं सामग्री रू0-314832.53 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1225938.53 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्री अशोक कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1225938.53

308-ग्राम पंचायत बरोली रुस्तमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 345

ग्राम पंचायत बरोली रुस्तमपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1096526.72 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -नरेश पाल के खेत से रमेश के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य , शीशपाल के खेत से राजू पाल के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, नूर मौ0 के खेत से चिडिया भवन की सीमा तक चकबन्द मिट्टी कार्य , भजनलाल के मकान से दानवीर के मकान तक नाली व सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य, सोहन लाल के मकान से दानवीर के मकान तक नाली व सी.सी टाईल्स कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1070796.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 25730.72 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1096526.72की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति नीरज कुमारी एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1096526.72

309-ग्राम पंचायत बहादुरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 346

ग्राम पंचायत - बहादुरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1018980.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 1018980.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1018980.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत- श्री फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्री

माजिद हुसैन एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1018980.00

310-ग्राम पंचायत बिचौला ढुकी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 347

ग्राम पंचायत बिचौला ढुकी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-962525.06 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 783426.00 एवं सामग्री रू0-179099.06 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-962525.06 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्री दिनेश यादव एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 962525.06

311-ग्राम पंचायत बिलारी देहात वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 348

ग्राम पंचायत -बिलारी देहात द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-489208.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 299880.00 एवं सामग्री रू0-189328.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा

प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-489208.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- भूपेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री अशोक कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 489208.00

312-ग्राम पंचायत बेहटा सरथल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 349

ग्राम पंचायत - बेहटा सरथल द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-610713.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 610713.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-610713.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत- श्री राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति जरीन वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 610713.00

313-ग्राम पंचायत भूडमरेसी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 350

ग्राम पंचायत भूडमरेसी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -211140.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में विजय के खेत से रामनन्द के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, प्रवीन के खेत से सुभाष के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, सुभाष से मेघराज के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, प्रा0 स्कूल से कृपाल के घर तक सी.सी. टाईल्स कार्य , कृपाल के घर से तीर्थ के घर तक सी.सी टाईल्स कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -211140.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त

एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-211140.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री जीशान एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 211140.00

314-ग्राम पंचायत भूड़ा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 351

ग्राम पंचायत भूड़ा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -442068.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,प्र0 वि0 पर वृक्षारोपम कार्य, शमशानघाट पर वृक्षारोपण कार्य, वेद जी के खेत से ब्रहमजीत के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,अंकुश के खेत से नरेन्द्र के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, निहाल सिंह के खेत से मेन रोड तक मिट्टी कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -442068.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-442068.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जयपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति उर्मिला देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 442068.00

315-ग्राम पंचायत भूडाबास वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 352

ग्राम पंचायत भूडाबास द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -261324.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - शमशान पर वृक्षरोपण कार्य, जू0हा0 स्क0 पर वृक्ष रोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, देशराज के केत से वीर सहाय के खेत तक चकबन्द्र कार्य,तेजपाल के खेत से हरपाल सिंह के खेत तक चकबन्द कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -261324.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-261324.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शैलेन्द्र कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति राजेश एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 261324.00

316-ग्राम पंचायत मंगूपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 353

ग्राम पंचायत - मंगूपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-2995837.18 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 2682693.00 एवं सामग्री रू0-313144.18 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2995837.18 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत

श्री- राजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति बृहमा देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2995837.18

317-ग्राम पंचायत मकरन्दपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 354

ग्राम पंचायत मकरन्दपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1159458.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,रामजीमत के खेत पर समतलीकरण कार्य,कल्लू के खेत से लोकेन्द्र के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य,रामजीमत के खेत से सीताराम के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, मुन्ना के खेत से रामपाल के खेत तक चकबन्द कार्य, अम्बेडकर पार्क में सी.सी टाईल्स कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1159458.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1159458.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द प्रताप,ग्राम प्रधान-श्री चन्द्रगुप्त मौर्य एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1159458.00

318-ग्राम पंचायत मनकुला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 355

ग्राम पंचायत - मनकुला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-383724.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 383724.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली

ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-383724.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्री आकिल एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 383724.00

319-ग्राम पंचायत मल्हपुर जन्नू वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 356

ग्राम पंचायत मल्हपुर जन्नू द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -568140.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे- व्यक्तिगत वृक्षरोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, अमित यादव के खेत से डालचन्द्र के खेत तक भूमि विकास कार्य, रूम सिंह के खेत से देवीपुरा नगला तक चकबन्द कार्य, राजवीर के खेत से डामर रोड नोबत के खेत तक चकबन्द कार्य, मदनलाल के खेत से भुवनेश के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य पर व्यय धनराशि - 568140.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं, क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-568140.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- रविन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति सरोज कुमारी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 568140.00

320-ग्राम पंचायत मिठनपुर उर्फ नसीरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 357

ग्राम पंचायत मिठनपुर उर्फ नसीरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1130481.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, भजनलाल के केत से रामनिवास के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, राम तन्द्र के खेत से गुड्डू के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, बाबूराम के खेत के पास वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -720042.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 410439.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1130481.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह ,ग्राम प्रधान-श्रीमति अमरावती एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1130481.00

321-ग्राम पंचायत मौ0 इब्राहीमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 358

ग्राम पंचायत मौ0 इब्राहीमपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -569772.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे-ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य,व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य,आदिल मुंशी के खेत से गुफरान के खेत तक चकबन्द कार्य, मझीर मुंशी के खेत से जाहिद के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, एवज के खेत से किपराल और झुन्नी के खेत तक चकबन्द कार्य, राम गुलाम के खेत से बगपुरा के रोड तक चकबन्द मिट्टी कार्य, चन्द्रकेश के खेत से रामगुलाम के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, आबिद के खेत से मुस्लिम के खेत तक चकबन्द कार्य, करबला वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य पर व्यय धनराशि - 569772.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-569772.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्री साजिद एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 569772.00

322- ग्राम पंचायत मौ0 सादिकपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 359

ग्राम पंचायत मौ0 सादिकपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -3906632.62 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में जू0हा0स्कूल0 एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, राजवीर पासी के खेत से इब्राहीमपुर मिर्जा की सीमा तक सम्पर्क मार्ग कार्य, सरकारी नलकूप से राजकुमार जाटव के खेत तक मिट्टी कार्य, मुनीपाल के मकान के पास पुलिया व नाली निर्माण कार्य, विरपाल के मकान से विनोद के मकान तक मिट्ची नाली सी.सी टाईल्स कार्य, पप्पू लाला से अमर सिंह के मकान तक मिट्टी नाली सीसी टाईल्स आदि कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1511973.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 2394659.62 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-3906632.62 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शेलेन्द्र कुमार ,ग्राम प्रधान-श्रीमति सारथी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3906632.62

323-ग्राम पंचायत रामपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 360

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 3,41,894.00 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 3,41,894.00 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि

की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 3,41,894.00 का गबन प्रधान - श्री संजीव कुमार , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री नीरज कुमार द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 361

ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -649588.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन कार्य, विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य, रवि के मकान से करतार के खेत तक मिट्टी कार्य, मुनेस के खेत से मेन रोड तक मिट्टी कार्य, कुल्दीप के कोने से धान सिंह के खेत तक मिट्टी कार्य, अनिल के खेत से मेन रोड तक मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 503880.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 145708.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-649588.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नीरज कुमार ,ग्राम प्रधान-श्री संजीव कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 991482.00

324-ग्राम पंचायत रामनंगर गंगपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 362

ग्राम पंचायत रामनंगर गंगपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 517709.94 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में श्र्यांश के खेत से नेत्रपाल के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य , मदनपाल के खेत से तोताराम के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, गजेन्द्र सिंह दरोगा के खेत से बकैनिया चांदपुर मार्ग तक चकबंद मिट्टी कार्य, शमशान घाट से सतीश के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -416688.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 101021.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-

09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-517709.94 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- चन्द्रपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री ओम प्रकाश वं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 517709.94

325-ग्राम पंचायत रूस्तमनगर सहसपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 363

ग्राम पंचायत रूस्तमनगर सहसपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 574316.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -शमशान पर वृक्षारोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य ,तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, हरपाल के टयूबवेल से बृजपाल के खेत तक चकवन्द मिट्टी कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -558816.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 15500.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-574316.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव कुमार,ग्राम प्रधान-श्री सगुप्ता एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 574316.00

326-ग्राम पंचायत रूस्तमपुर खास वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 364

ग्राम पंचायत रूस्तमपुर खास द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -984738.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण ,आंगवाडी केन्द्र निर्माण कार्य, शमशान घाट व कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य , व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,हरवीर के खेत से हरद्वारी के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -674628.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 310110.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-984738.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नरेन्द्र प्रताप,ग्राम प्रधान-श्रीमति संजय कुमारी एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-984738.00

327-ग्राम पंचायत विजयपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 365

ग्राम पंचायत विजयपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1007003.20 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम विजयपुर मे अभिसरण कार्य हेतु शिव मंदिर के पास पंचायत भवन निर्माण , विजयपुर में शमशान घाट पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, शमशान घाट पर सफाई व चारो तरफ सुरक्षा हेतु खुदाई कार्य, अनेकपाल के खेत से पेपर मील तक सम्पर्क मार्ग, समशान घाट वाला तालाब कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -678096.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 328907.20 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी

सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1007003.20 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव चौधरी,ग्राम प्रधान-श्रीमति वृजबाला एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1007003.20

328-ग्राम पंचायत शेरपुर माफी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 366

ग्राम पंचायत शेरपुर माफी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -831304.50 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे-पंचायत घर का निर्माण कार्य, कब्रिस्तान में वृक्षरोपण कार्य,शमशाद पुत्र इसरत हुसैन के खेत पर मेढबन्दी कार्य, मौ0 असलम पुत्र इसरत के खेत पर समतली व मेढबंदी कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, सारे वाले तालाब खुदाई कार्य, आदि कार्यो पर व्यय धनराशि -545088.00 व सामग्री पर व्यय धनराशि - 286216.50 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-831304.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- भूपेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री कुरवान अली एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 831304.50

329-ग्राम पंचायत श्याम सिंह उर्फ भूरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 367

ग्राम पंचायत श्याम सिंह उर्फ भूरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 830997.40 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, प्राईमरी वि0 में वृक्षारोपण कार्य, बन्ने के खेत से लल्लू के खेत तक चकबन्द कार्य, लल्लू के खेत से राजेन्द्र के खेत तक चकबन्द कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -727824.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 103173.40 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के

अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-830997.40 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत कु0 मोनिता ,ग्राम प्रधान-श्रीमति जगवती एवं तकनीकी सहायक - श्री विनीश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 830997.40

330-ग्राम पंचायत सतारन वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 368

ग्राम पंचायत सतारन द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -487152.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -कृपाल के खेत से भागीरथ के खेत तक चकबन्द कार्य, मकसूद के खेत से रहमत के खेत तक चकबन्द कार्य, नवोतराम के खेत से सोमपाल के खेत तक चकबन्द कार्य , रहमत के खेत से जफरूद्दीन के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -487152.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-487152.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सन्दीप कुमार,ग्राम प्रधान-श्री मौ0 आसीफ एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 487152.00

331-ग्राम पंचायत सनाई रोजा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 369

ग्राम पंचायत - सनाई रोजा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-1232798.46 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 1068552.00 एवं सामग्री रू0-164246.46 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1232798.46 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- भूपेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री धमेन्द्र सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1232798.46

332-ग्राम पंचायत सफीलपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 370

ग्राम पंचायत सफीलपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1135619.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे-ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण,व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य,अमर लाल के खेत से शमशुल के खेत तक चकबन्द, शमशुल के खेत से पप्पू के खेत तक चकबन्द कार्य, पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो पर व्यय धनराशि - 735198.00 तथा पंचायत घर निर्माण कार्य में सामग्री पर व्यय धनराशि -400421.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1135619.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 कौसर,ग्राम प्रधान-श्रीमति खुशनवी एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 1135619.60

333-ग्राम पंचायत समाथल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 371

ग्राम पंचायत समाथल द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि रू0-699420.00 की लेखा परीक्षा ऑनलाइन आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में मनरेगा की मजदूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई धनराशि रुपया - 684420.00 एवं सामग्री रू0-15000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-699420.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत कु0 मोनिता,ग्राम प्रधान-श्रीमति कुसुम लता एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 699420.00

334-ग्राम पंचायत सरथल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 372

ग्राम पंचायत सरथल द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -610713.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -मिथलेश के खेत से छत्रपाल के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, सम्भल चन्दौशी सम्पर्क मार्ग से सथलेश के खेत तक चकबन्द कार्य , धीरेन्द्र के खेत से पूचन के खेत तक चकबन्द कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -610713.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का

मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-610713.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव चौधरी,ग्राम प्रधान-श्रीमति सुधा शर्मा एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 610713.00

335-ग्राम पंचायत सिसौना तारापुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 373

ग्राम पंचायत सिसौना तारापुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -662796.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, मौहम्मद उमर के खेत से करवला के खेत तक मिट्टी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -662796.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-662796.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- रविन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री इकबालशाह एवं तकनीकी सहायक - श्री लईक अहमद से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 662796.00

336-ग्राम पंचायत सिहाली लद्दा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 374

ग्राम पंचायत सिहाली लद्दा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -618324.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - शमशान

घाट पर वृक्षरोपण कार्य, तालाब पर वृक्षरोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,रनवीर के खेत से इन्दल के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, जगपाल के मकान से वीरपाल के खेत तक चकबन्द मिट्टी कार्य, तेजराम के मकान से वेदपाल के खेत तक मिट्टी कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 618324.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (05-07-2022,-20-07-2022, 28-09-2022,06-01-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-618324.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- फिरोज आलम,ग्राम प्रधान-श्री लखेन्द्र सिंह वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 618324.00

337-ग्राम पंचायत स्योडारा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 375

ग्राम पंचायत स्योडारा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -153612.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य,मोती के खेत से मकसूदा के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -153612.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33

33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-153612.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संजीव चौधरी,ग्राम प्रधान-श्री जगमोहन सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 153612.00

338-ग्राम पंचायत हरौरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - बिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 376

ग्राम पंचायत हरौरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -348279.91 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य, शियाराम के खेत से दयाराम के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य, दयाराम के खेत से रेवत के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य,तेजवीर सिंह के घर से रमेस के घर तक सी.सी टाईल्स कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -307344.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 40935.91के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-348279.91 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- संदीप कुमार,ग्राम प्रधान-श्री रजू एवं तकनीकी सहायक - श्री विनिश कुमार से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 348279.91

339-ग्राम पंचायत अकबरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 377

ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1331908.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, , प्रधान के खेत से हरनूर के खेत तक भूमि विकास

कार्य प्रधानमंत्री आवास कार्य, कालवे अली के खेत से सरकार के खेत ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1003068.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 328840.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1331908.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर ,ग्राम प्रधान-श्रीमति फिरदोस एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1331908.00

340-ग्राम पंचायत अलियाबाद सादिक वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 378

ग्राम पंचायत अलियाबाद सादिक द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 379956.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, जू0हा0स्कू0 पर वृक्ष रोपण कार्य , शमशान घाट पर वृक्षरोपण कार्य , पर्धानमंत्री आवास कार्य, पी,डब्लू.डी से खलिया तक भूमि सुधार कार्य. अशोक बाबू जी के खेत से पेट्रोल पम्प तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 364956.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 15000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर

प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-379956.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- कुल गौरव सिंह चौहान,ग्राम प्रधान-श्रीमति रेखा देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 379956.00

341-ग्राम पंचायत अहमदजपुर आन्नदपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 379

ग्राम पंचायत अहमदजपुर आन्नदपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1822740.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -जुम्मा के घर से गढा तालाब तक भूमि विकास कार्य, मकसूद के खेत से अनवर के खेत तक भूमि विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, इसरत के खेत से गयासुद्दीन के खेत तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर व्यय धनराशि -1585692.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 237048.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1822740.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- विकास कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति जुल खातून एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1822740.00

342-ग्राम पंचायत आदमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 380

ग्राम पंचायत आदमपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -649127.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -मस्जिद से सुल्तान के घर तक भूमि सुधार कार्य, लाले के खेत से समिद मिस्त्री के खेत तक भूमि सुधार कार्य, अली हसन के खेत से इब्राहिम के खेत तक भूमि सुधार कार्य, प्रा0 स्कूल में हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -638316.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 10811.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-649127.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- विकास कुमार,ग्राम प्रधान-श्री जिले हसन एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 649127.60

343-ग्राम पंचायत आलमपुर चौहान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 381

ग्राम पंचायत आलमपुर चौहान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1326420.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, सुल्तानपुर की सीमा से चन्द्रपाल के खेत तक गुल खुदाई कार्य , नहर से पीला तालाब तक गुल खुदाई कार्य, आलोक के घर से तालाब तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, पूर्व वाले तालाब से नहर तक गुल खुदाई कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1246440.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 79980.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के

अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1326420.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सुरेन्द्र भारती,ग्राम प्रधान-श्रीमति ओमवती एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1326420.00

344-ग्राम पंचायत ईलर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 382

ग्राम पंचायत ईलर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1064671.50 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, रामपाल के खेत से कासीद के खेत तक भूमि विकास कार्य, जयपाल से तेजपाल के खेत तक भूमि विकास कार्य, पातम से नबाब जान के खेत तक भूमि विकास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -848436.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 216235.50 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1064671.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अमर सिंह,ग्राम प्रधान-श्री शकील अहमद एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1064671.50

345-ग्राम पंचायत उसमानपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 383

ग्राम पंचायत उसमानपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1814843.98 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, मजु के खेत से सिवाली के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य ,डालचन्द्र के खेत से बाबू के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य,प्राईमरी स्कूल से चौराहे तक कच्चा नाला खुदाई कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर व्यय धनराशि -1618290.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 196553.98 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1814843.98 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्रीमति दयावती एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 1814842.98

346-ग्राम पंचायत कजीपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 384

ग्राम पंचायत कजीपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -608124.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -मौ0 जफर के खेत से अब्दुल रहीम के खेत तक भूमि सुधार कार्य, जमील के खेत से रिफाकत के खेत तक बूमि विकास कार्य , कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, सरवन के खेत से अहसान के खेत तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -608124.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का

मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-608124.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अनिल कुमार,ग्राम प्रधान-श्री फारूख एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 608124.00

347-ग्राम पंचायत करनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 385

ग्राम पंचायत करनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -891234.10 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य , तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, राजेश की आढत से चोके सिंह के खेत तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 606772.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 284462.10 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-891234.10 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- कुल गौरव सिंह चौहान,ग्राम प्रधान-श्रीमति रेखा देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 891234.10

348-ग्राम पंचायत कांकर खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 386

ग्राम पंचायत कांकर खेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1877883.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, नहर की पटरी पर वृक्षारोपण कार्य, मोहाबे के खेत से अब्दुल रहीम के खेत तक भूमि विकास कार्य, राहत जान के खेत से अनवर के खेत तक भूमि सुधार कार्य, आगंनबाडी केन्द्र के पास तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, इकबाल के खेत से बाजार तक भूमि सुधार कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1709709.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 168174.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख

प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1877883.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्रीमति अरमाना नोशाद एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 1877883.00

349-ग्राम पंचायत कुआखेडा माफी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 387

ग्राम पंचायत कुआखेडा माफी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 2241370.96 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, बगीरथ के खेत से फजलपुर की सीमा तक भूमि विकास कार्य, कुए से मतलूब के खेत तक भूमि विकास कार्य, कब्रिस्तान से नहर तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1667250.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 574120.96 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2241370.96 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति गीता देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2241370.96

350-ग्राम पंचायत कुमरिया जिबला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 388

ग्राम पंचायत कुमरिया जिबला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1355575.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, साजिद के खेत से चुन्नु हाजी के खेत तक भूमि सुधार कार्य, आरिफ के खेत से कब्रिस्तान तक भूमि सुधार कार्य, कुमरिया जिबला में कम्यूनिटि सैनेटरी काम्पलैक्स निर्माण कार्य,चुन्नु हाजी के कोने से मुनाजिर के घर तक नाली मिट्टी सीसी टाईल्स कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1327632.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 27943.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0--1355575.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 आजम,ग्राम प्रधान-श्री वुध्दन शाह एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1355575.60

351-ग्राम पंचायत कुरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 389

ग्राम पंचायत कुरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -664020.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , ज्ञान सिंह के खेत से रनवीर के खेत तक गुल खुदाई कार्य, बृजपाल से तालाब तक गुल खुदाई कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, मुन्ना सिंह के खेत से रामअवतार के खेत तक भूमि विकास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 664020.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि

दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-664020.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्री शीतल देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 664020.00

352-ग्राम पंचायत गखरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 390

ग्राम पंचायत गखरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -474096.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, मुनाजिर के खेत से गजराम के खेत तक भूमि सुधार कार्य, नसीम के खेत से चन्द्रपाल के खेत तक भूमि सुधार कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -474096.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-474096.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत -कु0 नूर सबा,ग्राम प्रधान-श्रीमति सावरी बेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 474096.00

353-ग्राम पंचायत गजरौला जय सिंह वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 391

ग्राम पंचायत गजरौला जय सिंह द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 648747.80 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , नेपाल सिंह के खेत से पुलिया तक गुल खुदाई कार्य, नूर हसन के खेत से रामौतार के खेत तक गुल खुदाई और पुलिया निर्माण कार्य, पी.डब्लू. डी रोड से फरीदपुर की सीमा तक भूमि सुधार कार्य पंचायत भवन के पास कम्यूनिटि सैनेटरी काम्पलैक्स निर्माण कार्य , आदिल की चक्की के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, ध्यान सिंह के घर से मुकेश लाला के घर तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -546516.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 102231.80 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-648747.80 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अमर सिंह,ग्राम प्रधान-श्री बृहम देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 648747.80

354-ग्राम पंचायत गजरौला सैद वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 392

ग्राम पंचायत गजरौला सैद द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2036106.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, नदी पर वृक्षरोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में शोकपीट निर्माण कार्य , शकील के खेत से बाबू के खेत तक भूमि विकास कार्य, बाबू के खेत से फुरकान के खेत तक भूमि विकास कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1541169.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 494937.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की

गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2036106.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्रीमति मिसकीन जहाँ एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2036106.00

355-ग्राम पंचायत गुतावली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 393

ग्राम पंचायत गुतावली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -984111.20 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, लाभार्थी के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माम कार्य , नोबत के खेत से हसुद्दीन के खेत तक भूमि सुधार कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,राम सिंह के खेत से कब्रिस्तान तक भूमि सुधार कार्य,अखिलेश के खेत से रामगंगा तक भूमि सुधार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -947988.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि -36123.20 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-984111.20 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत -कु0 नूर सबा ,ग्राम प्रधान-श्रीमति नीता कुमारी एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 984111.20

356-ग्राम पंचायत गुलरीया माफी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 394

ग्राम पंचायत गुलरीया माफी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2977099.53 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , व्यक्तिगत वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, दोदराज के सिवान से प्रधानो के खेत तक गुल खुदाई कार्य, नजाकत चौधरी के खेत से नदी तक गुल खुदाई कार्य, मस्जिद से गुलरिया माफी तक गुल खुदाई कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 2066247.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 910852.53 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2977099.53 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री नाजिर एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2977099.53

357-ग्राम पंचायत चटकाली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 395

ग्राम पंचायत चटकाली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -294287.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , यूसुफ के मकान से मकसूद के खेत तक भूमि सुधार कार्य,चरन के खेत से रमजानी के खेत तक भूमि शुधार कार्य, पंचायत भवन के पास कम्यूनिटि सैनेटरी काम्पलेक्श निर्माण कार्य, जू0 हा0 स्कूल में हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -282336.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 11951.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा

409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-294287.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री दिगम्बर राठी,ग्राम प्रधान-श्रीमति आविदा वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 294287.60

358-ग्राम पंचायत चन्दुपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 396

ग्राम पंचायत चन्दुपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2282022.91 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , मैदान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, महीपाल के घर से ढाब तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, टीकाराम के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर व्यय धनराशि - 1944828.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 337194.91 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2282022.91 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- केशव कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति जयवती एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2282022.91

359-ग्राम पंचायत चान्दखेडी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 397

ग्राम पंचायत चान्दखेडी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2079306.86 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, इस्लाम के खेत से तोयब

के खेत तक भूमि सुधार कार्य, याशीन के खेत से बब्बन के खेत तक भूमि सुधार कार्य, जूनियर स्कूल में शोकपीट निर्माण कार्य, इंटर कालेज में शोकपीट निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1473900.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि -605406.86 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2079306.86 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- लोकेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री आसिफ हुसैन एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2079306.86

360-ग्राम पंचायत जट्टपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 398

ग्राम पंचायत जट्टपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -999341.50 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -रामलीला के चारो तरफ वक्षरोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, लाभार्थियो के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य,अरविन्द के खेत से राजेन्द्र के खेत तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -896580.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 102761.50 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-999341.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- प्रशांत चौधरी ,ग्राम प्रधान-श्रीमति अनीता एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 999341.50

361-ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 399

ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 2823250.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , जलालपुर खालसा में खेल पार्क ओपन जिम का निर्माण कार्य, कब्रिस्तान एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य, विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, लालू मास्टर के खेत से कन्हई के खेत तक भूमि सुधार कार्य,जगन के खेत से कृष्णा के खेत तक भूमि सुधार कार्य, विघा के खेत के पास वाले तालाब का जीर्णोध्दार कार्य, शमशान वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1451460.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 1371790.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2823250.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अमर सिंह,ग्राम प्रधान-श्री ओमप्रकाश एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2823250.00

362-ग्राम पंचायत डिंगरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 400

ग्राम पंचायत डिंगरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1781692.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -, कब्रिस्तान पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षरोपण कार्य , पर्धानमंत्री आवास कार्य, मोहब्बत अली के खेत से जलालुद्दीन के खेत तक भूमि विकास कार्य, मोहब्बत अली के खेत से वाजिद मिस्त्री के खेत तक भूमि विकास कार्य,ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1607692.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 174000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली

ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1781692.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नितिन कुमार, ग्राम प्रधान-श्रीमति अफसाना एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1781692.00

363-ग्राम पंचायत डिलारी चंगेरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 401

ग्राम पंचायत डिलारी चंगेरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1411687.68 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम समाज भूमि पर वृक्षारोपण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, भारत सिंह के खेत से करन सिंह के खेत तक गुल खुदाई कार्य, कब्रिस्तान मेढ बंदी और सफाई कार्य, चन्द्रशेखर के घर से महेन्द्र के घर तक मिट्टी नाली व सी.सी टाईल्स कार्य प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1158312.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 253375.68 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1411687.68 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- नितिन कुमार,ग्राम प्रधान-श्री बलराम एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1411687.68

364-ग्राम पंचायत तगाला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 402

ग्राम पंचायत तगाला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1725483.86 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत

में पंचायत भवन निर्माण , ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, जाटवो की पुलिया से डिलारी वाली सडक तक कच्चा नाला निर्माण कार्य, लाभार्थियो के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, टीकाराम के खेत से कुवंरपाल के खेत तक भूमि सुधार कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1019388.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 706095.86 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1725483.86 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- गौरव चौहान,ग्राम प्रधान-श्री अरविन्द कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1725483.86

365-ग्राम पंचायत त्रिखूटी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 403

ग्राम पंचायत त्रिखूटी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -697492.38 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -कब्रिस्तान की मेढबंदी सफाई कार्य, ओमप्रकाश के घर से जय प्रकाश के घर तक सी.सी मिट्टी नाली कार्य,हरशत के घर से अशलम के घर तक सी.सी मिट्टी नाली कार्य ,मजार के पास हैण्डपम्प शोकपीट कार्य,प्राईमरी स्कूल में हैण्डपम्प शोकपीट निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -112812.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 584680.38.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-697492.38 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत

श्रीमित शीतल,ग्राम प्रधान-श्रीमति संजीदा एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-697492.38

366-ग्राम पंचायत दौलतपुर तिगरी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 404

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 11,07,024 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 11,07,024 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 11,07,024 का गबन प्रधान - श्री संजीव , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री मौ0 आजम द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 405

ग्राम पंचायत दौलतपुर तिगरी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -- 2264391.05 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, पीला तालाब से नदी तक गुल खुदाई कार्य, चिमन के खेत से नदी तक गुल खुदाई कार्य , सेवा राम के खेत से कृपाल के खेत तक भूमि विकास कार्य, उसमान के घर के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1951056.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 313335.05 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008

के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2264391.05 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- मौ0 आजम ,ग्राम प्रधान-श्री संजीव एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3371415.05

367-ग्राम पंचायत दौलावाला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 406

ग्राम पंचायत दौलावाला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1040759.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , विभिन्न स्तानो पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, विभिन्न स्थानो पर शोकपीट निर्माण कार्य, टिकाराम के खेत से जयपाल के खेत तक भूमि सुधार कार्य, लोकेश के खेत से तेजराम के खेत तक भूमि सुधार कार्य, मास्टर हरफुल सिंह के खेत से जयपाल के खेत तक भूमि सुधार कार्य, गेंदा के घर से ओमपाल के घर तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -704004.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 336755.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1040759.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमति शीतल,ग्राम प्रधान-श्री जयपाल सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1040759.00

368-ग्राम पंचायत धारक नगला वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 407

ग्राम पंचायत धारक नगला द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1012872.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , व्यक्तिगत वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्ष रोपण कार्य , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, मुरादाबाद हाईवे से गेस एजेन्सी तक भूमि विकास कार्य , पर्धानमंत्री आवास कार्य, प्रा0

स्कू0 से शमशान घाट तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -982872.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 30000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1012872.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- विकास कुमार,ग्राम प्रधान-श्री अभिषेक चौधरी एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1012872.00

369-ग्राम पंचायत नखूनका वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 408

ग्राम पंचायत नखूनका द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -830439.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -दादा मिया की मजार पर वृक्षरोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य ,व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, गरीबदास के खेत से गांव के सामने तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -785400.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 45039.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-830439.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सुरेन्द्र भारती,ग्राम प्रधान-श्रीमति आलिया फिरदोस एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 830439.00

370-ग्राम पंचायत नगला ताहर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 409

ग्राम पंचायत नगला ताहर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2758470.50 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, देवी स्थान पर वृक्षारोपण कार्य, पक्के रोड से शमशान तक भूमि विकास कार्य,बुध्दा के खेत से अहमद हसन के खेत तक भूमि विकास कार्य,शमशान घाट से चेतन के खेत तक भूमि विकास कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -2087286.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 671184.50 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2758470.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सुरेन्द्र भारती ,ग्राम प्रधान-श्रीमति साजिदा एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2758470.50

371-ग्राम पंचायत नटौरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 410

ग्राम पंचायत नटौरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -830724.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत बाबू हाजी के मकान से नदी तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, नदी से फारूख के खेत तक भूमि सुधार कार्य, शोहेल के खेत से राफत अली के खेत तक भूमि सुधार कार्य, पंचायत भवन के पास कम्यूनिटि काम्पलैक्स का निर्माण कार्य, अनवर के मकान से रियाजुद्दीन के प्लोट तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स निर्माण कार्य ,ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -538968.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 291756.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय

दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-830724.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति नूरी एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 830724.00

372-ग्राम पंचायत नवादा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 411

ग्राम पंचायत नवादा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1981195.85 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, लाभार्थि के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य,बलराम के खेत से रेवत के खेत तक भूमि विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1564272.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 416923.85 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1981195.85 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- गौरव चौहान,ग्राम प्रधान-श्री मौ0 अहसान एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1981195.85

373-ग्राम पंचायत पीपली उमरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 412

ग्राम पंचायत पीपली उमरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -468996.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, बलराज नेता के खेत से टीकराज नेता के खेत तक भूमि विकास कार्य, कृपाल के खेत से मास्टरवीर के खेत तक भूमि विकास कार्य, कलुआ के खेत से सूफी के खेत तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -468996.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-468996.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- कुल गौरव सिंह चौहान,ग्राम प्रधान-श्री सोमपाल सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 468996.00

374-ग्राम पंचायत पीलकपुर स्योराम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 413

ग्राम पंचायत पीलकपुर स्योराम द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 2754736.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में रामकिशोर के खेत से विरेन्द्र के खेत तक गुल खुदाई एवं सफाई कार्य, कलुआ के खेत से नदी तक गुल खुदाई कार्य,अमरसिंह के खेत से जरीफ के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, कमाल बनिये के खेत से दोदराजपुर के शमशान तक गुल खुदाई कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य , प्रधानमंत्री आवास कार्य ,चन्द्रपाल के खेत से मासूम अली के खेत तक भूमि सुधार कार्य,पी.डब्लू.डी रोड से नवासे के खेत तक भूमि सुधार कार्य, पी.डब्लू.डी रोड से नदी तक भूमि सुधार कार्य,डिलारी मार्ग से हनीफ के खेत तक भूमि सुधार कार्य,चुनमुन के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक भूमि सुधार कार्य,हनीफ के घर से अयुब के घर तक नाली निट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, आविद के घर से जाविर के घर तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1988550.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 766186.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2754736.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री फुरकान एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2754736.00

375-ग्राम पंचायत फरीदपुर कासम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 414

ग्राम पंचायत फरीदपुर कासम द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1819475.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, खलील के घर से गम्भीर के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1512252.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 307223.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1819475.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री नफीस एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1819475.00

376-ग्राम पंचायत फरीदपुर भैंडी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 415

ग्राम पंचायत फरीदपुर भैंडी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1367506 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -अम्बेडकर पार्क में वृक्षारोपण कार्य, जय प्रकाश के घर से तालव तक पक्का नाला कार्य, पी.डब्लू.डी से क्रांति के खेत तक भूमि विकास कार्य, , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, सूरज के खेत से समरपाल के खेत तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1342116.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 25390.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के

अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1367506 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री-मौहम्मद आजम,ग्राम प्रधान-श्री अमित एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1367506.00

377-ग्राम पंचायत फरीदपुर हाजी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 416

ग्राम पंचायत फरीदपुर हाजी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1037211.20 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में बाल्मीकी वाले तालाब पर वृक्षारोपण कार्य , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, लिंक रोड से निसार के खेत तक गुल खुदाई कार्य, आविद के खेत से जहूर के खेत तक भूमि सुधार कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य,राजपाल के घर से नईम के खेत तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य,पंचायत घर के पास कम्यूनिटि काम्पलैक्स निर्माण कार्य,शमशान वाले हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1004088.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 33123.20 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1037211.20 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अमर सिंह ,ग्राम प्रधान-श्री अमीर हमजा एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1037211.20

378-ग्राम पंचायत बढैरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 417

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 19,67,971.00 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 19,67,971.00 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं

सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 19,67,971.00 का गबन प्रधान - श्री जैनव , एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री विकास कुमार एवं सचिन कुमार द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 418

ग्राम पंचायत बढैरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1976922.40 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , प्रधान के घर से शेरा के खेत तक भूमि विकास कार्य , असलम के मकान से इसरत के खेत तक भूमि विकास कार्य , कलुआ के खेत से जुम्मा के खेत तक बूमि विकास कार्य ,फैक्ट्री से छोटे हाजी के खेत तक भूमि विकास कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1736856.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 240066.40 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1976922.40 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्री नफीस एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि-3944893.40

379-ग्राम पंचायत बमनिया पट्टी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 419

ग्राम पंचायत बमनिया पट्टी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -815592.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य,सूरवीर से सुरेन्द्र के खेत तक गुल खुदाई कार्य,गांव की पुलिया से बलवन्त के खेत तक गुल खुदाई कार्य, योगेश विशनोइ के खेत से जाकिर के खेत तक गुल खुदाई कार्य,प्रा0 वि0 से शमशान घाट तक गुल खुदाी कार्य व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -815592.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के

अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-815592.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्रीमति ओमवती उर्फ रानी एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-815592.00

380-ग्राम पंचायत बहादुर गंज वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 420

ग्राम पंचायत बहादुर गंज द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -6,23,820 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, शमशान की मेढबंदी कार्य,तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, मरगउ हसन के खेत से आरिफ के खेत तक भूमि विकास कार्य, दाउद अली के खेत से मरूफ के खेत तक भूमि सुधार कार्य, अब्दुल गनी के खेत से निजाम के खेत तक भूमि सुधार कार्य, गुलजार अहमद के खेत से नदी तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -6,23,820 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-6,23,820 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्रीमति अफरोज जहां एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 623820.00

381-ग्राम पंचायत बहेडी ब्रह्मनान वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 421

ग्राम पंचायत बहेडी ब्रहमनान द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1629891.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , नदी एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्किगत केटल शीड निर्माण कार्य, ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, मेन रोड से शमशान तक भूमि सुधार कार्य, मौ0 हसन के मकान से सरीफ के स्कूल तक भूमि सुधार कार्य, विनोद के खेत से शिव कुमार के खेत तक भूमि सुधार कार्य, शर्मा इण्टर कालेज के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1519860.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 110031.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1629891.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर ,ग्राम प्रधान-श्रीमति अल्पना शर्मा एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 1629891.60

382-ग्राम पंचायत बाकरपुर अटायन वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 422

ग्राम पंचायत बाकरपुर अटायन द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -11,51,588 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, अब्दुल रहीम केखेत से मजार तक दमदमा नदी का जीर्णोद्धार कार्य, मजार से पुल तक दमदमा नदी का जीर्णोद्धार कार्य , मजार से कलु के खेत तक बूमि सुधार कार्य,बुंदु के खेत से सनाया दाहर तक भूमि सुधार कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1131588.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 20000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था

के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-11,51,588 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अनिल कुमार,ग्राम प्रधान-श्री मिन्नत जहां एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1151588.00

383-ग्राम पंचायत बुढनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 423

ग्राम पंचायत बुढनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1293507.20 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्ष रोपण कार्य, ओमप्रकाश के खेत से राम कुवर के खेत तक भूमि विकास कार्य, अब्दुल के खेत से लाला यूसूफ के खेत तक भूमि विकास कार्य, ईदगाह वाले हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 1244604.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 48903.20 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1293507.20 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमति शीतल ,ग्राम प्रधान-श्रीमति अरमाना एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1293507.20

384-ग्राम पंचायत भूड वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 424

ग्राम पंचायत भूड द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -935702.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, शीशराम के खेत से सुरेश के खेत तक भूमि सुधार कार्य,गजेन्द्र के खेत से विजेन्द्र के खेत तक भूमि सुधार कार्य, सूरज के खेत से जसवन्त के खेत के तक भूमि सुधार कार्य,पंचायत भवन के पास कम्युनिटि काम्लैक्स निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -500820.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि -434882.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के

अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-935702.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्रीमति शीतल,ग्राम प्रधान-श्रीमति चन्द्रकान्ता एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-935702.00

385-ग्राम पंचायत मंसूरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 425

ग्राम पंचायत मंसूरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1320763.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, लाभार्थि के खेत पर मेढबन्दी कार्य, पक्की सडक से अहमद जान के खेत तक भूमि विकास कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, माजर से जाविर तक भूमि विकास कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -861288.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 459475.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1320763.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- विकास कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति आयशा परवीन एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1320763.00

386-ग्राम पंचायत मनकुआ मकसूदपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद
प्रस्तर - 426

ग्राम पंचायत मनकुआ मकसूदपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 2316610.55 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, मुनाजिर के खेत से कलुआ के के

खेत तक गुल खुदाई कार्य,शहरा के खेत से मुबारक केखेत तक गुल खुदाई कार्य, शमशान से मोहम्मद के खेत तक गुल खुदाई कार्य प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1738488.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 578122.55 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2316610.55 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अनिल कुमार,ग्राम प्रधान-श्री अब्दुल रहीम एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2316610.55

387-ग्राम पंचायत मलकपुर सेमली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 427

ग्राम पंचायत मलकपुर सेमली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 619506.75 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , व्यक्तिगत केटलशीड निर्माण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, , बुंदु के खेत से मिश्री के खेत तक भूमि सुधार कार्य, दिनेश के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक भूमि सुधार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -488079.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 131427.75 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-619506.75 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- केशव कुमार ,ग्राम प्रधान-श्री असरफ अली एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 619506.75

388-ग्राम पंचायत महेशपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 428

ग्राम पंचायत महेशपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -401676.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , करतार के खेत से रतीभान के खेत तक गुल खुदाई कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, उपदेश के खेत से लेकर रोहताश के खेत तक भूमि सुधार कार्य, मनोज के केत से करतार के खेत तक भूमि सुधार कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -401676.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-401676.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्री नरेशपाल एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 401676.00

389-ग्राम पंचायत मानपुर साबित वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 429

ग्राम पंचायत मानपुर साबित द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1812576.65 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , मानपुर मे तालाब पर वृक्षरोपण कार्य, चेयरमेन साहब के बाग से गुड्डू के खेत तक गुल ख्दाई कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य , शाहिद के खेत से तगाले की पुलिया तक भूमि विकास कार्य, महेन्द्र के खेत से सरदार की पुलिया तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्य पर धनराशि - 1437792.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 374784.65 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक

से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1812576.65 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्रीमति रूकसार एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1812576.65

390-ग्राम पंचायत मासूमपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 430

ग्राम पंचायत मासूमपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1184749.88 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , मदरसे पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, , स्कूल में वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, रियासत के खेत से सफाकत के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, पुलिया से सिम्मी के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, दयाराम केटल शीड निर्माण कार्य,पूनम के खेत से जगदीश के खेत तक भूमि विकास कार्य ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1142808.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 41941.88 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1184749.88 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- प्रशांत चौधरी,ग्राम प्रधान-श्री तवस्सुम वी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 1184749.88

391-ग्राम पंचायत मिर्जापुर करीमुद्दीन वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 431

ग्राम पंचायत मिर्जापुर करीमुद्दीन द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2089650.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, इरफान के खेत से दादी नदी तक गुल खुदाई कार्य, इसरार के खेत से चौहा तालाब तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, जाहिद के खेत से दादी नदी तक कच्चा नाला खुदाई कार्य ,,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1677084.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 412566.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम

पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2089650.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अनिल कुमार,ग्राम प्रधान-श्री मौ0 जान एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-2089650.00

392-ग्राम पंचायत मिलक अमावती वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 432

ग्राम पंचायत मिलक अमावती द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2957541.30 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षरोपण कार्य, भट्टे के पास वाली गुल की खुदाई कार्य, विनोद के खेत के पास गुल खुदाई कार्य, कमलेश चौहान के खेत से मदन गोपाल के खेत तक गुल खुदाई कार्य ,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -2670756.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 286785.30 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2957541.30 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्रीमति गार्गी देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 2957541.30

393-ग्राम पंचायत मुडिया मोहिद्दीनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद - मुरादाबाद

प्रस्तर - 433

ग्राम पंचायत मुडिया मोहिद्दीनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1316112.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, गौशाला पर वृक्षारोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य,व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, फकीर मौ0 के खेत से वाकरपुर की सीमा तक भूमि

विकार कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -866896.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 449216.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1316112.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- दिगम्बर राठी,ग्राम प्रधान-श्री सदावहार सिंह एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि-1316112.00

394-ग्राम पंचायत मुस्तफापुर मझरा खण्डसाल वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 434

ग्राम पंचायत मुस्तफापुर मझरा खण्डसाल द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 14,77,691.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में इवने के खेत से मेन रास्ते तक भूमि विकास कार्य,अकबर के खेत से नाले तक भूमि विकास कार्य, मेन रास्ते से फकीरा के खेत तक भूमि सुधार कार्य, जाविर के खेत से साबिर के खेत तक भूमि सुधार कार्य, ग्राम समाज की भूमि मेढबंदी कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1465740.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 11951.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-14,77,691.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सचिन कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति नथिया एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 1477691.00

395-ग्राम पंचायत मुस्तफापुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 435

ग्राम पंचायत मुस्तफापुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -4327962.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, मेन रास्काते से महबूब के खेत तक भूमि विकास कार्य, महबूब के खेत से बीबीपुर की नदी तक भूमि विकास कार्य, राशिद अली के खेत से सजाउद्दीन के खेत तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -4112562.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 215400.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-4327962.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- दिगम्बर सिंह राठी,ग्राम प्रधान-श्री रईस अहमद एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 4327962.00

396-ग्राम पंचायत राजपुर केसरिया वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 436

ग्राम पंचायत राजपुर केसरिया द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -3428283.41 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, जू0हा0स्कूल0 में वृक्षारोपण कार्य, सतवीर के खेत से सेठ जी के खेत तक गुल खुदाई कार्य, नहर से ततारपुर तक गुल खुदाई कार्य, व्यक्तिगत केटल शीड कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -2322132.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 1106151.41 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-3428283.41 की

वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- प्रशांत चौधरी,ग्राम प्रधान-श्रीमति उजाली रानी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 3428283.41

397-ग्राम पंचायत रोशनपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर - 437

ग्राम पंचायत रोशनपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -4630264.90 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, गजरौला जय सिंह के सामने से रईस के खेत तक गुल खुदाई कार्य, राशिद के खेत से विरेन्द्र के खेत तक गुल खुदाई कार्य,इसरार के खेत से बलवन्त के खेत तक भूमि विकास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -3909660.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 720604.90 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-4630264.90 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- अमर सिंह सिंह,ग्राम प्रधान- श्रीमति राविया वेगम एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-4630264.90

398-ग्राम पंचायत सदरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद
प्रस्तर - 438

ग्राम पंचायत सदरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1497399.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, सतवीर के खेत से वन्ने के खेत तक भूमि सुधार कार्य, रामओवतार के खेत से वीरेन्द्र के खेत तक भूमि विकास कार्य, सलीम के खेत से मुसलिम कब्रिस्तान तक भूमि विकास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1363944.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 133455.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव

ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1497399.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्री प्रवेश कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1497399.00

399-ग्राम पंचायत सरकडा करीम वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 439

ग्राम पंचायत सरकडा करीम द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -2608333.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, जू0हा0स्कू0 में वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, मुनाजिर के खेत से पट्टे वाले तालाब तक कच्चा नाला खुदाई कार्य ,पहाड वाले शमशान से दहला नदी तक कच्चा नाला खुदाई कार्य,यादराम के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक भूमि विकास कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -2505120.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 103213.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2608333.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्री वीरो एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2608333.00

400-ग्राम पंचायत सरकडा खास वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 440

ग्राम पंचायत सरकडा खास द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -730470.20 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में तालाब एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, नहर से जयपाल के खेत तक भूमि

विकास कार्य, बलवन्त के खेत से विजयवीर के खेत तक भूमि सुधार कार्य, भोले के घर के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माम कार्य, सरकडा खास में कम्यूनिटि सैनेटरी काम्पलैक्स निर्माण कार्य, अमीन के मकान से नवी हसन के कोने तक नाली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि - 679686.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 50784.20 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-730470.20 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- धर्मपाल सिंह,ग्राम प्रधान-श्रीमति कमर जहां एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-730470.20

401-ग्राम पंचायत सलारपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 441

ग्राम पंचायत सलारपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -879573.17 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिगत केटल शीड निर्माण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, श्योपाल के खेत से कांठ तक भूमि विकास कार्य, नरेन्द्र के खेत से देवेन्द्र के खेत तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -549780.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 329793.17 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-879573.17 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- कुल गौरव सिंह चौहान,ग्राम प्रधान-श्री सुरेश कुमार एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज

सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि-879573.17**402-ग्राम पंचायत सलेम सराय वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद**

प्रस्तर - 442

ग्राम पंचायत सलेम सराय द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1779438.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , लाभार्थियो के हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, जयपाल के खेत से बाबू के खेत तक भूमि विकास कार्य, मुबारिक के खेत से राशिद के खेत तक भूमि विकास कार्य, बाबू के खेत से मोहका के खेत तक भूमि विकास कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1222572.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 556866.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1779438.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- दिगम्बर सिंह राठी,ग्राम प्रधान-श्रीमति इशरत जहां एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 1779438.00

403-ग्राम पंचायत सिध्दरव नाजरपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 443

ग्राम पंचायत सिध्दरव नाजरपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 824364.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, राशिद के खेत से दादी नदी तक गुल खुदाई कार्य, जरीफ के मकान से इदरीश के खेत तक भूमि सुधार कार्य, सतार के खेत से इलियास के खेत तक भूमि सुधार कार्य,कलुओ के खेत से गुल तक भूमि विकास कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -824364.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के

अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-824364.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- विकास कुमार,ग्राम प्रधान-श्रीमति रितु कश्यप एवं तकनीकी सहायक - श्री ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि-824364.00

404-ग्राम पंचायत सिध्दावली वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 444

ग्राम पंचायत सिध्दावली द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1177094.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे - शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य, खुर्शीद के खेत से भगवती के खेत तक भूमि विकास कार्य, ओम पाल के केत से रामवीर के खेत तक भूमि विकास कार्य, देवेन्द्र से तेजवीर तक भूमि विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1135260.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 41834.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1177094.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- गौरव चौहान,ग्राम प्रधान-श्री सतेन्द्र एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि-1177094.00

405-ग्राम पंचायत सुंदर नगर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 445

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष की कैश बुक के अनुसार रूपया - 11,11,003.00 विभिन्न नये कार्यो ,परिसम्पत्तियों के रख रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है । उक्त संपूर्ण धनराशि रूपया - 11,11,003.00 के खर्च संबंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आईडी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा । जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

उल्लेखनीय है, कि पंचायत राज विभाग उत्तर-प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधक मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अनुसार सम्प्रेषक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है । साथ ही इसी के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायतराज

अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा । इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 11,11,003.00 का गबन प्रधान - श्रीमति शकीला , एवं सचिव ग्राम पंचायत - कु0 नूर सबा द्वारा किया गया है । जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 446

ग्राम पंचायत सुंदर नगर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -16,73,019.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण कार्य,सीताराम के खेत से मान सिंह के खेत तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, बाबूराम के खेत से विजयपाल के खेत तक भूमि विकास कार्य, हरपाल के खेत से पूरन के खेत से होते हुए विजेन्द्र के खेथ तक बूमि विकास कार्य, गोविन्द के घर से तारावती के घर तक नाली मिट्टी सीसी टाईल्स कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1356804.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 316215.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-16,73,019.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत -कु0 नूर सबा ,ग्राम प्रधान-श्रीमति शीतल एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि-2784022.00

406-ग्राम पंचायत सुमाल खेडा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 447

ग्राम पंचायत सुमाल खेडा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -1154082.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, इदगाह पर वृक्षारोपण कार्य, नदी वाले तालाब से होते हुए काले तालाब तक कच्चा नाला कच्चा नाला खुदाई कार्य, इशक के खेत से गुलफाम के खेत से होते हुए नूरहसन के केत तक भूमि विकास कार्य,नदी से जोगीपुरा की खलिया तक भूमि सुधार कार्य, ईदगाह वाले हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य कार्य,प्रधानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -971364.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 182718.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1154082.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- सुरेन्द्र भारती,ग्राम प्रधान-श्रीमति नाजरून एवं तकनीकी सहायक - श्री योगेन्द्र से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1154082.00

407-ग्राम पंचायत सुल्तानपुर खद्दर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 448

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर खद्दर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि -4,55,328.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पी. डब्लू.डी रोड से जयवीर के खेत तक भूमि विकास कार्य, विपिन के खेत से चौराहे तक चकरोड पर मिट्टी कार्य, चौराहे से तिराहे तक चकरोड पर मिट्टी कार्य, रिश्रिपाल के खेत से चौराहे तक चकरोड भूमि विकास कार्य, सरदार के घर के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -4,55,328.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-4,55,328.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री केशव कुमार,ग्राम प्रधान-श्री कैलाश देवी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।कुल धनराशि- 455328.00

408-ग्राम पंचायत सुल्तानपुर दोस्त वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 449

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर दोस्त द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1124148.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -तालाव के पास वृक्षारोपण कार्य , नहर के पास सिचाईं विभाग में वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, अस्पताल के पास नहर के पास वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, बडी नहर से लालपुर तक तक कच्चा नाला खुदाई कार्य , बडी नहर से लालपुर तक तक कच्चा नाला खुदाई कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1109148.00 तथा सामग्री पर व्यय धनरााशि - 15000.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1124148.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्रीमति सरिता एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि-1124148.00

409-ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मुण्डा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 450

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मुण्डा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 2060318.76 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , शमशान घाट एवं विभिन्न स्थानो पर वृक्ष रोपण कार्य, व्यक्तिगत वृक्षारोपण कार्य, अब्दुल हमीद के घर के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य, पी.डब्लू .डी रोड से ब्रह्मसिंह के खेत तक भूमि सुधार कार्य , सतीश के खेत से साबिर के खेत तक भूमि सुधार कार्य , पी.डब्लू.डी से मासित के घर तक नली मिट्टी सी.सी टाईल्स कार्य, धानमंत्री आवास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1306212.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 754106.76 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-2060318.76 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत- श्रीमति शीतल,ग्राम प्रधान-श्रीमति गीता देवी एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 2060318.76

410-ग्राम पंचायत सैजनी वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 451 ग्राम पंचायत सैजनी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 595655.60 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , कब्रिस्तान पर वृक्षरोपण कार्य, शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, तालाब पर वृक्षारोपण कार्य, पर्धानमंत्री आवास कार्य, राजपाल के खेत से हरिओम लाला के खेत तक भूमि सुधार कार्य, इकबाल के खेत से विनेश के खेत तक भूमि सुधार कार्य, मेन सडक से जाहिद के खेत तक भूमि सुधार कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -555492.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 40163.60 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-595655.60 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- लोकेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान-श्री अख्तरी एवं तकनीकी सहायक - श्री महेश सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

कुल धनराशि- 595655.60

411-ग्राम पंचायत हंसूपुरा वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 452 ग्राम पंचायत हंसूपुरा द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 489333.80 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , नहर की पुलिया से जसवंत के खेत तक गुल खुदाई कार्य , छत्रपाल के खेत से नहर की पुलिया तक भूमि सुधार कार्य, लीलावती के खेत से सुमन के खेत तक भूमि सुधार कार्य, राजवीर के घर के पास हैण्डपम्प के पास शोकपीट निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर

धनराशि -466548.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 22785.80 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-489333.80 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- शमीम अहमद,ग्राम प्रधान-श्रीमति उर्मिला देवी एवं तकनीकी सहायक - श्रीमति ममता से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 489333.80

412-ग्राम पंचायत हुमायुपुर वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - डिलारी जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 453 ग्राम पंचायत हुमायुपुर द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में व्यय धनराशि - 1527531.00 की लेखा परीक्षा आनलाईन आकडो के आधार पर मजदूरी पर व्यय धनराशि विभिन्न कार्यो पर जैसे -ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण , तालाब पर वृक्ष रोपण कार्य, पी. डब्लू डी रोड के दोनो साईडवृक्ष रोपण कार्य , शमशान घाट पर वृक्ष रोपण कार्य, पी.डब्लू .डी रोड से दहला नदी तक भूमि विकास कार्य , पर्धानमंत्री आवास कार्य, धर्मपाल सिंह के खेत से हाईवे तक भूमि विकास कार्य, ग्राम पंचायत में आदि कार्यो , पर धनराशि -1455336.00 तथा सामग्री पर व्यय धनराशि - 72195.00 के सापेक्ष कैशबुक सहित अन्य कोई भी अभिलेख नही हैं,क्योंकि बार-बार मौखिक तथा लिखित (28-12-2022,15-02-2023,16-03-2023-31-03-2023) मांगने के बावजूद कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेषण दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के बिंदुओं 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाए गए के संदर्भ में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी ए सी) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001/मु प्रा प/एतसप/ ग्रा वि टी सी/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितंबर 2008 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार मनरेगा में की गई शासकीय क्षति की वसूली सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33 33.33(समभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी ।उक्त क्रम में गबन की गई धनराशि रु0-1527531.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री- जकी अनवर,ग्राम प्रधान-श्री अभिषेक चौधरी एवं तकनीकी सहायक - श्री जयविन्द्र सिंह से बराबर बराबर मात्रा में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। कुल धनराशि- 1527531.00

413-ग्राम पंचायत बहोरनपुर कलां वर्षः- 2021-22 विकास खण्ड - भगतपुर टाण्डा जनपद- मुरादाबाद

प्रस्तर - 454 ग्राम पंचायत बहोरनपुर कलां की वर्ष 2021-22 की मनरेगा की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में मनरेगा साइट पर उपलब्ध फाइनेशियल स्टेटमेंट में वर्ष दौरान मनरेगा योजना से संबंधित व्यय 7.81 लाख रू० व्यय अंकित पाए गए इसकी पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम प्रधान तथा सचिव से व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक की मांग लेखा परीक्षा दौरान की गयी, किंतु संगत अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। दिनांक 21.04.2022 का ऑफलाइन पत्र द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकार/कार्यकम आधिकारी भगतपुर टांडा को दिनाँक 26.07.2022 व दिनाँक 17.10.2022 व दिनांक 03.02.2023 एवं दिनाँक 09.02.2023 को पत्र द्वारा व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग की गयी किंतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रमअधिकारी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने में कोई प्रयास नहीं किया गया।ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 08 के अनुसारी ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संप्रेक्षण (ऑडिट) के विन्द 07 में उपबंध है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे मंप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमोंमें अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

बिंदु संख्या 08(क) में उल्लिखित है कि यदि दर्शायें गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गये व्यय धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के अलावा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी भी व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराने हेतु उत्तरदायी है।

इस प्रकार लेखा मैनुअल के बिंदु 08 (क) एवं मनरेगा/पंचायतीराज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत रू 7.81 लाख की वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सुशील कुमार तथा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी श्री जी० बी० पाठक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है । तथा इनके विरूध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।